लोक सभा

वाद विवाद

बृहस्पतिवार,

२ सितम्बर, १९५४

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९-१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३-१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . . ३९५–४०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . . ४०६–४२४

अंक ७— मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०३, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . . ४२५–४७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०४, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२ . . . . . ४७३–४८४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . . ४८४–४९८

अंक ८— बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . . ४९९–५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ५४५–५४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . . ५४८–५६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . . . ५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०२, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४६२	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०— शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४६ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६१, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१— सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक-सभा

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी धर्मप्रचारक

*३९६. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या गृह-कार्य मंत्री १८ फरवरी, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कितने विदेशी धर्मप्रचारक आपत्ति-जनक आचरण के दोषी पाये गये हैं;

(ख) ये धर्मप्रचारक किन किन देशों के रहने वाले हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ग) आदिमजाति क्षेत्रों में इन धर्म-प्रचारकों की गतिविधि की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम हुए?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) पिछले पांच वर्षों में सात,

(ख) ४ अमरीकन, २ इटालियन, १ फ्रांसीसी; इन्हें देश से चले जाने को कहा गया।

(ग) सरकार इन धर्मप्रचारकों की कार्य-वाहियों को रोकने के उपाय कर रही है जहां भी यह आपत्तिजनक पाई जाती है। पूर्ण सूचना देना जनता के हित में नहीं है।

श्री एम० एल द्विवेदी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कहीं कहीं पर भारतवर्ष में ऐसे भी मिशनरीज के कार्यों का पता चला है कि जहां पर उन्होंने भारतीय राष्ट्र के लिए अपवादजनक शब्द कहे हैं और बुरी तरह से पेश आए हैं?

श्री दातार: सरकार जहां भी उनके शब्दों तथा कार्यों को भारतीयता के विरुद्ध पाती है वहीं कार्य प्रारम्भ कर देती है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने ऐसे मिशनरीज के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही की है?

श्री दातार: इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु हमने साफ आदेश दिए हुए हैं कि जहां कहीं भी वह भारतीयता के विरुद्ध कार्य करते पाए जायें, वहां कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य उठे---

अध्यक्ष महोदय: बहुत से व्यक्ति खड़े हुए हैं। मैं पर्याप्त प्रश्नों की अनुमति दूंगा।

डा० एन० बी० खरे: क्या अभी समय नहीं आया है कि हम इन धर्मप्रचारकों से भारत

छोड़ने के लिए कहें जैसा कि हमारे पड़ोसी चीन तथा बर्मा ने किया है ?

श्री दातार: नहीं, श्रीमान।

श्री वेलायुधन: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को भारतीयता के विरुद्ध किसी ऐसे विशेष कार्य की जानकारी है जो कि इन धर्म-प्रचारकों ने किया हो ?

श्री दातार: मैंने अभी बताया कि जहां कहीं भी उनके शब्द तथा कार्य भारतीयता के विरुद्ध पाए जाते हैं, वहां कार्यवाही की जाती है।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि वह स्थान कौन कौन से हैं जहां से इन धर्मप्रचारकों को देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं ?

श्री दातार: यह सूचना जनता के हित में नहीं होगी ।

श्रीमती ए० काले: क्या यह सच नहीं है कि एक केन्द्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के राजनवगांव में, यात्रा के समय वहां के एक धर्मप्रचारक की सेवाओं की प्रशंसा की थी; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दातार: मुझे ज्ञात नहीं कि माननीय सदस्य का निर्देश किस ओर है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

*३९८. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अपने निर्माण के पश्चात से स्थायी तौर पर कार्य करता रहा है ?

(ख) यदि नहीं, तो इसकी कितनी बार बैठकें हुई हैं तथा उन बैठकों में क्या क्या कार्य पुरा किया जा चुका है; तथा

(ग) आयोग से सम्बद्ध पदों को छोड़ कर आयोग के अध्यक्ष ने शासकीय तथा पदेन कितने पद रोक रखे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) इसकी बैठक छः बार हुई हैं; तथा यह सरकार द्वारा बताई गई निधि में से विश्व-विद्यालयों का अनुदान निश्चित करने तथा उसे बांटने के कार्य में लगा रहा है । यह विश्व-विद्यालयों के स्तर को सुधारने तथा सुविधाओं का समन्वय करने के उपायों पर विचार करता रहा है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष सम्मानित पद से अवैतनिक रूप में इसका कार्य कर रहे हैं। वे प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अवैतनिक संचालक भी हैं ।

बहु-विवाह

*३९९. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारियों में बहु-विवाह प्रथा से संबंधित सरकार द्वारा कोई नियम बनाया गाया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): अखिल भारतीय सेवाओं के चारित्रिक नियमों में एक उपबन्ध किया गया है कि कोई भी कर्मचारी एक पत्नी के होते हुए सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यह नियम शीघ्र ही लागू होने वाले हैं तथा सभा में अखिल-भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ के अनुसार रखे जाएंगे। केन्द्रीय सेवाओं के नियम, अखिल भारतीय सेवाओं के नियम लागू होने के पश्चात बनाए जाएंगे।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह तय कर दिया है कि किन किन परिस्थितियों में दूसरे विवाह की अनुमति मिल सकती है ।

श्री दातार : सेना में इस प्रकार के नियम हैं तथा वहां कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। हम उन्हीं पर चलेंगे।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन नियमों को लागू करने से पहले राज्य सरकारों की राय जान लेगी ?

श्री दातार : सरकार ने अभी हाल में बुलाए गए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उनकी राय ली थी।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्लूरल मैरिजेज की परिभाषा में बहुपत्नित्व की प्रथा भी इसके अन्तर्गत आती हैं जैसी कि हिमाचल प्रदेश, आदि में प्रचलित हैं ?

श्री दातार : यह भी इन नियमों के अन्तर्गत हैं।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

*४००. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न स्थानों पर पांच सौ बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने की कोई योजना तैयार की हैं :

(ख) यदि ऐसा हैं, तो इस योजना के अन्तर्गत लगभग कितने शिक्षित व्यक्तियों को नौकरी मिलने की सम्भावना हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस योजना पर कितना सम्पूर्णव्यय करने जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) वर्तमान ५०० माध्यमिक स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिणित करने का विचार हैं।

(ख) पूरी पूरी संख्या का अनुमान लगाना कठिन हैं किन्तु प्रत्येक स्कूल में कुछ अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

(ग) यह राज्य सरकारों के सहकार्य और योजना के अन्तर्गत उनके वास्तविक सुझावों पर निर्भर हैं।

सरदार हुक्म सिंह: हमें स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं ?

डा० एम० एम० दास: श्रीमान, उस प्रश्न का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं हैं और यह सूचना हमारे पास नहीं हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि यह स्कूल जनसंख्या के आधार पर या प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के आधार पर खोले जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास : यह नये स्कूल नहीं हैं। वर्तमान माध्यमिक स्कूलों में से ५०० चुन लिये जावेंगे और चुनाव प्रत्येक राज्य के स्कूलों की संख्या तथा उसके विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होगा।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न स्थानों पर इन बहुप्रयोजनीय स्कूलों के हेतु कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान, इन बहुप्रयोजनीय स्कूलों के लिए आवर्त्तक अनुदान १९४ लाख और अनावर्त्तक अनुदान ६२१ लाख होगा।

श्रीमती जयश्री : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इन बहुप्रयोजनीय स्कूलों के लिए हमारे पास प्रशिक्षित अध्यापक हैं ?

डा० एम० एम० दास : कुछ प्रशिक्षित अध्यापक हैं, किन्तु अधिक संख्या में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का प्रबन्ध करना हैं।

हिन्दी

*४०१. **सेठ गोविन्द दास:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ इस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली कक्षाओं में कर्मचारियों को हिन्दी की जो शिक्षा दी जाती हैं, उसका स्तर और भी नीचा कर दिया गया हैं :

(ख) क्या जिन लोगों ने प्राथमिक परीक्षा पास कर ली हैं, उनके हिन्दी के ज्ञान के विकास के लिए, उच्चतर शिक्षा और परीक्षा की कोई मांग की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

सेठ गोविन्द दास: जो पाठ्यक्रम इन लोगों की पढ़ाई के लिए नियुक्त हैं वह पाठ्यक्रम कौन सा हैं और कौन सी पुस्तकें इन लोगों को पढ़ाई जाती हैं ?

डा० एम० एम० दास: श्रीमान, पाठ्यक्रम में निम्न पुस्तकें हैं :

१. हिन्दी की पहली पुस्तक,

२. हिन्दी की तीसरी पुस्तक,

३. सरल हिन्दी, भाग ५ (केवल पाठ २, २४ और ३० को निकाल कर)

४. महापुरुषों का संस्मरण,

५. सरल हिन्दी व्याकरण भाग १।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक भाषा का सम्बन्ध हैं, क्या इस बात का ख्याल रखा जाता हैं कि इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जाएं जिनमें कि "बिचबिंदी खोली" और "पहलुआ" इस तरह के शब्दों का उपयोग न हुआ हो ?

डा० एम० एम० दास: श्रीमान, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि पाठ्यक्रम, प्राथमिक पाठशालाओं के स्तर के समान हैं और जिन शब्दों की ओर आपने संकेत किया हैं, एंसे शब्द इन पुस्तकों में नहीं प्रयुक्त हैं ।

तामकूटी (निकोटिन)

*४०३. **श्री डाभी:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २२ मार्च, १६५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ११६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद द्वारा रजिस्ट्री कराये हुये व्यर्थ तम्बाकू से निकोटिन क्षार निकालने की कार्य पद्धति के प्रयोग के सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही थी उसका क्या परिणाम हुआ ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): हां, श्रीमान। यह निश्चय हुआ हैं कि दक्षिण तथा पश्चिम के क्षेत्रों में कार्य पद्धति के व्यवसायिक विकास का कार्य दो व्यापारिक संस्थाओं को सौंप दिया जाये ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि निकोटिन क्षार बनाने के लिए देश में प्राप्त व्यर्थ तम्बाकू की वार्षिक मात्रा लगभग कितनी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: भारत में तम्बाकू का औसत वार्षिक उत्पादन अनुमानतः ३८० लाख पौण्ड के लगभग हैं। इसमें से ३३० लाख पौण्ड खेती के क्षेत्रों में प्रयोग की जाती हैं और ५० लाख पौण्ड नष्ट होती हैं यह सभी नष्ट होने वाली तम्बाकू तथा करीब २५० लाख पौण्ड तम्बाकू के डंठल निकोटिन सल्फेट बनाने के लिए उपलब्ध होती हैं।

श्री डाभी: यह बातचीत किस स्तर तक पहुंच चुकी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कार्यवाही पूर्ण हो गई हैं; और जहां तक एक व्यापारिक संस्था का प्रश्न हैं उसको स्वीकार पत्र भेजा जा रहा हैं और जहां तक दूसरी संस्था का सम्बन्ध हैं अभी समझौते की बातचीत चल रही हैं ।

श्री डाभी: यह उत्पादन सम्भवतः कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री के० डी० मालवीय: इसकी शीघ्रता के लिए हर एक काम हमारी ओर से अविलम्ब किया जा रहा हैं !

साक्षरता

*४०४. **श्री झूलन सिंह:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में देश में साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है इसका कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो कितनी वृद्धि हुई है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। श्रीमान मैं आप को यह भी बताता हूं कि सम्पूर्ण भारत में साक्षरता का निश्चय जन गणना के समय ही किया जाता है।

श्री झूलन सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इन तीन वर्षों में साक्षरता प्रसार में कितनी धनराशि व्यय की गई है?

डा० एम० एम० दास: इस राशि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा किए गए व्यय सम्मिलित हैं। माननीय सदस्य आयव्ययक देखें उससे उन्हें आंकड़े मिल जायेंगे।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं यह जानना चाहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है?

डा० एम० एम० दास: माननीय सदस्य कृपया ध्यान रखें कि 'शिक्षा' राज्य का विषय है, पर प्रश्न का जहां तक राष्ट्रीय महत्व है केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है और वह देश में प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए बड़ी बड़ी धनराशियां व्यय कर रही है।

श्री झूलन सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस मद के अन्तर्गत कितना व्यय किया है,

डा० एम० एम० दास: जहां तक केन्द्रीय सरकार के आयव्ययक का प्रश्न है इस वर्ष शिक्षा के लिए १० करोड़ से अधिक---मेरे विचार से १२ करोड़ या इस के लगभग---धन रखा गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या सरकार हमें बता सकती है कि इन तीन वर्षों में स्त्रियों की साक्षरता में कितनी प्रगति हुई है?

डा० एम० एम० दास: मैं पहले ही कह चुका हूं देश में साक्षरता प्रसार का पता जन गणना के समय ही लग सकता है। यह एक बहुत विस्तृत तथा अधिक खर्चे वाला काम है। स्त्रियों की साक्षरता की गणना अलग से नहीं की जाती है पर मुझे इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय नहीं है।

पारपत्र नियम उल्लंघन

*४०५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५३ में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर पारपत्र या दृष्टांक नियमों के उल्लंघन के लिए हैदराबाद में मुकदमा चलाया गया: और

(ख) कितने लोगों को दण्ड दिया गया?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) १०।

(ख) ८।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: क्या मैं जान सकता हूं कि अपराध सिद्ध हो जाने पर उनको किस प्रकार का दण्ड मिला?

श्री दातार: अपराध सिद्ध हो जाने पर उनको ६ मास का कारावास या अर्थ दण्ड या दोनों दिया गया।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: क्या मैं जान सकता हूं कि दण्ड भोग लेने के पश्चात उनको पाकिस्तान भेजने के लिए क्या उपाय किया जाता है?

श्री दातार: पहले यह प्रथा थी कि दंड भोगने के पश्चात उनको क्रूरतापूर्ण भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता था। पर भारत पाकि-

स्तान समझौता को ध्यान में रख कर, उनको इस प्रकार भेजना संभव नही हैं । अतः उच्च आयुक्त के द्वारा पाकिस्तान सरकार के सामने मामला रखा जाता हैं और तब वे भेजे जाते हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: क्या यह सत्य हैं कि अनेक पाकिस्तानी राष्ट्र जनों के विरुद्ध जिन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया हैं, हैंदराबाद में कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री दातार: नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और १० में से ८ मामलों में उनको दण्ड दिया गया हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका अभिप्राय हैंदराबाद के मामलों से था ।

श्री दातार: हां, प्रश्न का सम्बन्ध हैंदराबाद से हैं ।

श्री रघुरामैया : माननीय मंत्री ने कहा कि नियम उल्लंघन के अधिकांश मामलों में कार्यवाही की गई, पर मैं जानना चाहता हूं कि कुछ मामलों में, यद्यपि उन्होंने नियम उल्लंघन किया हैं, क्यों जान बूझ कर छूट दे दी गई ?

श्री दातार : जहां तक हैंदराबाद के १० मामलों का प्रश्न हैं, शेष दो में से एक मामला दया प्रदर्शित करके लौटा लिया गया और दूसरा मामला अब भी तय नहीं हो पाया हैं । अतः किसी व्यक्ति का कोई ऐसा मामला नहीं हैं जिसे विधि की कार्यवाही से बचकर निकल जाने की छूट दी गई हो ।

औद्योगिक निगम

*४०६. **श्री नानादास:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी स्वामित्व और गैर सरकारी व्यवस्था के आधार पर एक औद्योगिक निगम स्थापित करने की योजना का अन्तिम निश्चय हो गया; और

(ख) औद्योगिक वित्त निगम की समता में उसका संगठन तथा स्तर क्या होगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रस्तावित निगम एक पंजीकृत संयुक्त स्कन्ध समवाय होगा जब कि औद्योगिक वित्त निगम लोक-सभा के एक विशेष अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एक नियमबद्ध संस्था हैं । औद्योगिक वित्त निगम का मुख्य प्रयोजन औद्योगिक संस्थाओं को साधारण और दीर्घकालीन ऋण दिलाना हैं । नये निगम का अभिप्राय गैर सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक व्यवसायों को केवल ऋण दिला कर ही नहीं वरन् अंश खरीद कर तथा व्यवस्था सम्बन्धी और शिल्पिक सेवाओं तथा परामर्शों के द्वारा सहायता करना हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निगम के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय होने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री ए० सी० गुहा : इस में अधिक समय नहीं लगेगा । क्योंकि सभी पूर्व विषयों का निश्चय हो चुका हैं और कार्यसंचालन समिति के कुछ प्रतिनिधि प्रस्तावित निगम की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समझौते की शर्तों का अन्तिम निश्चय करने संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं ।

श्री वेलायुधन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या औद्योगिक वित्त निगम के लिए यह सम्भव नहीं हैं कि इस नये निगम द्वारा लिये गए सभी उत्तरदायित्वों को लेले ?

श्री ए० सी० गुहा : सभी बातें सम्भव हो सकती हैं यदि लोक-सभा अधिनियम में पूर्ण रूप से संशोधन करें और औद्योगिक वित्त निगम की रचना में परिवर्तनों को लागू करें। (अन्तर्बाधा)

श्री टी० के० चौधरी : क्या कार्य संचालन समिति, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वार्ता करेगी, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा हैं, या विश्व बैंक के साथ ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कि अन्तराष्ट्रीय* मुद्राकोष के साथ ही करेंगी---पर इसमें शुद्धि की जा सकती है ।

खनिज नीति

*४०७. **श्री ए० एम० थामस :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य तथा दक्षिण भारत के राज्यों के सम्मेलन में, जो बैंगलोर में हुआ था, 'खनिज नीति' बनाने के लिए यदि कोई संकल्प पारित किये गये थे, तो वह क्या थे ;

(ख) सरकार उनमें से अब किस को कार्यान्वित करेंगी;

(ग) जिआलाजिकल सर्वे आफ इंडिया और इंडियन ब्युरो आफ माइन्स के खोज तथा अनुसंधान कार्य में एकसूत्रता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं; और

(घ) क्या इण्डियन ब्युरो आफ माइन्स जिआलाजिकल सर्वे आफ इंडिया विभाग के अधीन कार्य करता है या इससे स्वतन्त्र रहकर?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (घ) । एक विवरण, जिसमें सूचना दी है, पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८] ?

श्री ए० एम० थामस : विवरण में यह उल्लेख है कि सम्मेलन में कोई संकल्प पारित नहीं हुआ था, अपितु कार्य की सामान्य रूपरेखा की सिफारिश की गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि सम्मेलन ने कार्य की कौनसी रूपरेखा की सिफारिश की है ?

श्री के० डी० मालवीय : सर्वप्रथम सम्मेलन ने कुछ राज्यों में अलोह धातुओं की खोज की सिफारिश की । आन्ध्र तथा हैदराबाद की कोयला की खानों तथा त्रावनकोर-कोचीन की लिगनाइट की खानों की खोज को प्राथमिकता दी गई । मध्य प्रदेश के भंडारा जिले में क्रोमाइट की खानों की खोज के कार्य को, जिआलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के आगामी क्षेत्रकाल में आरम्भ करने की सिफारिश की गई और यह कहा गया कि यह कार्य सर्वे आफ इण्डिया द्वारा क्षेत्र का वैमानिक मानचित्र तैयार करने के पश्चात होगा । सम्मेलन ने उड़ीसा, आन्ध्र, हैदराबाद तथा त्रावनकोर-कोचीन की ग्रैफाइट की खानों और आसाम के पैट्रोल के कूओं की खोज की तत्कालिक आवश्यकता पर भी जोर दिया। जिपसम खानों को भी प्राथमिकता दी गई और इसी प्राकार अधिक महत्वपूर्ण खनिज-पदार्थों को छांटा गया। और अब अनुसंधान को प्राथमिकता देने की दृष्टि से एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

श्री ए० एम० थामस : विवरण में जियालाजीकल सर्वे आफ इंडिया और ब्युरो आफ माइन्स के कार्यों का सविस्तार उल्लेख है। जिआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया बहुत समय से विद्यमान है। सान्निध्य तथा सहयोग के हित में, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को किन कारणों से जिआलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के अधीन कोई संस्था स्थापित करने की बजाय ब्युरो आफ माइन्स जैसी स्वतंत्र संस्था की स्थापना करनी पड़ी ?

श्री के० डी० मालवीय : यदि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाय तो, यह प्रश्न कोई अधिक प्रासंगिक नहीं है क्योंकि दोनों को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं । जिआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया प्राकृतिक चट्टान निर्माण, आदि की दृष्टि से मानचित्र बनाने तथा खनिज पदार्थों की सम्भावना बताने के संबंध में क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। इंडियन ब्युरो आफ माइन्स को धरती के नीचे जाकर खनिजपदार्थों की प्रकार आदि का पता लगाना पड़ता है कि दोनों को प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रा-

---

*यह उत्तर वित्त उपमंत्री द्वारा बाद में शुद्ध किया गया था २ सितम्बर, १९५४ के वाद-विवाद भाग २ के स्तम्भ के अनुसार

लय के अधीन एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता ही है।

श्री ए० एम० थामस : माननीय मंत्री ने बताया है कि यह कोई अधिक प्रासंगिक प्रश्न नहीं है परन्तु दिये गये वर्णन के अनुसार उनके कार्य एक जैसे ही हैं और इसी कारण मैंने प्रश्न पूछा है। क्या यह सच नहीं है कि जिआलाजिकल सर्वे ने बहुत से सर्वेक्षण किये हैं और यदि हां तो, इस दृष्टि से कि ब्युरो आफ माइन्स एक स्वतन्त्र संस्था है सरकार ने सर्वेक्षण के परिणामों को उस के लिए लाभदायक बनाने के लिए क्या पग उठाये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इण्डियन ब्युरो आफ माइन्स का प्रश्न उस समय उत्पन्न होता है कि जबकि जिआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने उसके लिए कुछ आंकड़े एकत्रित कर दिये हों। जब तक कि उन्हें कुछ आंकड़े न दिए जाएं, तब तक इंडियन ब्युरो आफ माइन्स अपना खुदाई-कार्य या अन्य अनुसंधान नहीं कर सकता। पहले भारत का भूतत्वीय परिमाप विभाग परिमाप मानचित्र बनाता है तथा धरातल की स्थितियों का अध्ययन करता है और उसके पश्चात ब्युरो आफ माइन्स का काम आरम्भ होता है।

श्री वी० पी० नायर: मैं इस प्रश्न से उत्पन्न होने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

सोने की 'काम करने योग्य खानें'

*४०६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २३ अप्रैल १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २०१७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) बिहार के मानभूम जिले में सोने की कितनी 'काम करने योग्य खानें' हैं; और

(ख) क्या वहां खानों का पता हाल में ही लगा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) यह प्रकाशित हुआ है कि मानभूम जिले में तीन स्थानों पर सोने की खानें बहुत समय से विद्यमान हैं, परन्तु आजकल उनमें कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि खानों की मिट्टी में सोने का अंश इतना कम है कि उन में काम करना लाभदायक नहीं रहा है।

(ख) नहीं, श्रीमान।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या उन खानों में मितव्ययता से काम करने का विचार है या विचार पूर्णतया त्याग दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : बात यह नहीं है। विचार का परित्याग नहीं किया गया है। मानभूम जिले में लावा, इचागढ़ और बरुधी के समीप स्वर्ण मिश्रित भूमि को खोदा गया है। लावा की खानों का ठेका आजकल लावा स्वर्ण खान, लि० नामक समवाय के पास है। कुछ समय पूर्व उन्होंने खानों में काम करना बंद करा दिया था क्योंकि उन्होंने इसे लाभप्रद नहीं समझा। बरुधी तथा इचागढ़ की खानों की अभी सविस्तार जांच पड़ताल होनी है। सविस्तार जांच पड़ताल होने के पश्चात तुरन्त ही राज्य सरकार उन को चलाने के लिए किराये से दे सकेगी।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या पहिले इन खानों में खुदाई का काम हुआ है, और यदि हां तो क्या मैं उत्पादन के मूल्य के बारे में जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय: रेत में कितना सोना होता है उसके मूल्य के बारे में कुछ बता सकता हूं। मि० मैकलरेन ने शुद्ध सोने की, जो साधारणतया बहुत सूक्ष्म होता है, मात्रा की गणना की थी। उनके मतानुसार, इसकी तौल ०.०१ से ०.००५ ग्रेनस तक की होती है। सब से बड़ा टुकड़ा, जो प्राप्त हो सकता है, २ ग्रेन से अधिक नहीं होता। चट्टानों की प्राकृतिक

स्थिति और वर्षा की गति बहुमूल्य "धातु" की मात्रा की कमी का कारण हैं।

श्री भागवत झा आजाद: अभी पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने बताया था कि नये जिलों में तथा नये क्षेत्रों में बहुत से खनिज पदार्थों की खुदाई होनी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सोना तथा यूरेनियम जैसी बहुमूल्य धातुओं पर, जो मानभूम तथा सिंहभूम जिलों में मिलती हैं, विशेषज्ञों के सम्मेलन में चर्चा क्यों नहीं हुई?

श्री के० डी० मालवीय : मैं केवल दक्षिणी प्रदेश सम्मेलन के बारे में, जो बैंगलौर में हुआ था कह रहा था। बिहार उत्तरी प्रदेश में आता हैं और बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण निश्चय श्रीनगर में किये गये थे।

आय-कर देने वाले

*४१०. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में आयकर देने वालों से कुल कितना जुर्माना तथा समझौता शुल्क लिया गया;

(ख) ऐसे कर देने वाले कितने थे तथा उनकी बहुसंख्या किस आय-वर्ग की हैं; तथा

(ग) कितने मामलों में कर देने वालों के विरुद्ध दण्ड कार्यवाहियां की गईं?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) १९५२-५३ में आय-कर देने वालों से क्रमानुसार १,३३,६८,६०९ रु० (एक करोड़ तेंतीस लाख अड़सठ हजार छः सौ नौ रुपये) और १,५६,०३१ रु० (एक लाख छप्पन हजार इकत्तीस रुपये) का जुर्माना तथा समझौता शुल्क लिया गया।

(ख) १९५२-५३ में क्रमानुसार कर देने वालों की संख्या, जिन से जुर्माना तथा समझौता शुल्क लिया गया, ३०,३१० तथा १३ थी।

उनकी बहुसंख्या किस आय-वर्ग की हैं, इस संबंध में सूचना प्राप्य नहीं हैं।

(ग) १९५२-५३ में दो कर देने वालों के विरुद्ध दण्ड कार्यवाहियां करनी पड़ीं।

प्रश्न के किसी भी भाग के संबंध में १९५३-५४ के लिए सूचना अभी प्राप्य नहीं हैं।

श्री के० सी० सोधिया : प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के दिए गए उत्तर के प्रसंग में मैं जानना चाहता हूं कि जुर्माना तथा समझौता शुल्कों की वसूली के विरुद्ध कितनी अपीलें की गई थीं? भाग (ग) के प्रसंग में मैं जानना चाहता हूं कि अभियोग के लिए भेजे गये इन मामलों का क्या परिणाम रहा?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह सूचना नहीं हैं।

सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

*४१२. **श्री बहादुर सिंह:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) १ अप्रैल, १९५४ के पश्चात सांस्कृतिक सम्पर्कों की भारतीय परिषद ने सांस्कृतिक संस्थाओं और ख्यातिप्राप्त भारतीय तथा विदेशी विद्वानों को अध्ययन यात्रा के लिए कितने धन का अनुदान दिया हैं;

(ख) क्या इस परिषद ने इस काल में कोई नृत्य तथा संगीत दल भारत बुलाए या भारत से भेजे थे; और

(ग) भारत में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के कल्याण पर इस परिषद ने अबतक कितना धन व्यय किया हैं?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) २६,६४६ रु०।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) १ अप्रैल १९५४ के पश्चात ६,०४१ रु०

श्री बहादुर सिंह: इस वर्ष परिषद को कितना धन दिया गया था और अब तक कितना व्यय हुआ हैं?

डा० एम० एम० दास: श्रीमान, हमारे आय-व्ययक में इस परिषद के लिए २-१/२ लाख रु० नियत थे, जिस में से अब तक परिषद को

अपने व्यय के लिए केवल १ लाख रुपये दिये गये हैं। वास्तव में कितना धन व्यय हुआ है, इस संबंध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री बहादुर सिंह: क्या सांस्कृतिक सम्पर्क की भारतीय परिषद ने ख्यातिप्राप्त विदेशियों की या भारतीयों की किसी यात्रा की व्यवस्था की थी ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास ख्याति-प्राप्त भारतीय प्रोफेसरों की और कुछ अफ्रीका के विद्वानों की भी एक लम्बी सूची है, जिनसे इस परिषद ने विदेशों का भ्रमण करने को कहा था।

श्री बहादुर सिंह: क्या विदेशों को भारतीय संस्कृति की पुस्तकें भेंट करने पर कोई धन व्यय किया गया है ? यदि हां, तो उस धन की मात्रा क्या है और वे कौन कौन से देश हैं ?

डा० एम० एम० दास : अप्रैल १९५४ से भारतीय पुस्तकों की भेंट पर कोई धन व्यय नहीं किया गया है। परन्तु मेरे कथन में शोधन हो सकता है।

श्री वैलायुधन: क्या सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद ने देश में काम करने वाली सांस्कृतिक संस्थाओं के कोई आंकड़े एकत्रित किये हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं इस प्रश्न की सूचना चाहता हूं।

भूतपूर्व सैनिक

*४१४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व सैनिकों को लाभप्रद काम दिलाने वाले सरकारी अभिकरणों के नाम तथा संख्या क्या है;

(ख) १९४७ के बाद अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा तथा उन्हें किस प्रकार की सहायता मिली; और

(ग) रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास विभाग का श्रम मंत्रालय के अधीन काम करने वाले पुनर्वास तथा नियोजन के महा-निदेशक के प्रति कैसा सम्बन्ध है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) निम्न सरकारी अभिकरण भूतपूर्व सैनिकों को लाभप्रद काम दिलाने में मदद कर रहे हैं:

(१) श्रम मंत्रालय के नौकरी दफ्तर---कुल संख्या १२७ ;

(२) रक्षा मंत्रालय का पुनर्वास विभाग;

(३) सिपाहियों, नाविकों तथा वैमानिकों के जिला बोर्ड, जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं---कुल संख्या १४८।

(ख) १९४७ के बाद अब तक विभिन्न योजनाओं के अधीन दी जाने वाली सहायता से २९७५५२ भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचा है। इनमें से २६५४५२ लोगों को सरकारी/गैर-सरकारी नौकरियां दी गई, ७४३९ को खेती में बसाया गया, २१७६ को सहकारी परिवहन संस्थाओं में भर्ती किया गया और २२४८५ को धन्धों का अथवा शिल्पिक प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास विभाग द्वारा श्रम मंत्रालय के पुनर्वास तथा नियोजन के महा-निदेशक के अधीन काम करने वाले नौकरी दफ्तरों में भूतपूर्व सैनिकों के नाम रजिस्टर करने में आवश्यक सहायता तथा सलाह दी जाती है। वह केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों से भी नौकरियां देते समय भूत-पूर्व सैनिकों का विशेष ख्याल रखने की प्रार्थना करता है। इसी प्रकार पुनर्वास तथा नियोजन के महानिदेशक द्वारा चलाए जाने वाले धन्धा शिल्पिक केंद्रों में भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाने के काम में भी वह सहायता करता है और प्रशिक्षण पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्रति मास २५ रुपए की वृत्ति देता है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक: १९५२-५३ में कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां दी गई ?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं। १९४७ से आज तक की संख्या मैंने बता दी है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या माननीय मंत्री तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय का यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयुक्त काम कर रहा है?

सरदार मजीठिया : सभा को तथ्य तथा आंकड़े देने के पश्चात मैं आश्वासन दे सकता हूं कि यह विभाग एक अत्यंत उपयुक्त कार्य कर रहा है। मैंने जो लाखों की गिनती में आंकड़े बताए हैं उनसे यही साबित होता है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५३-५४ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में क्या काम हुआ ?

सरदार मजीठिया: मुझे इसके लिए सूचना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय को यह भी ज्ञात है कि कुछ ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जो अधिक उम्र व कम शिक्षा होने के कारण इन सुविधाओं से लाभ नहीं उठा सकते और जिनकी पेंशन भी इतनी नहीं है कि अपने परिवार का निर्वाह कर सकें। क्या उनके संबंध में भी कोई कदम उठाया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया: बूढ़े तथा अनपढ़ लोगों के बारे में स्वभावतः ही सरकार और कुछ नहीं कर सकती। सरकार केवल उन्हीं लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करती है जो उपयुक्त काम कर सकते हैं तथा अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक: इस विभाग द्वारा कितने भूतपूर्व अधिकारियों को नौकरियां दी गई?

सरदार मजीठिया: इसके लिए भी मुझे सूचना चाहिए।

ग्राम कल्याण परियोजनाएं

*४१५. **श्री भागवत झा आजाद:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त १९५४ में कोई ग्राम कल्याण विस्तार परियोजनाएं आरम्भ की गईं;

(ख) उनपर कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ग) कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) हां।

(ख) प्रत्येक कल्याण विस्तार परियोजना पर सम्भवतः प्रति वर्ष लगभग २५,००० रुपए खर्च होंगे।

(ग) आशा की जाती है कि यथासमय इस योजना के अधीन छः हजार देहातों में रहने वाले ६० लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा।

श्री भागवत झा आजाद: इन ग्राम कल्याण परियोजनाओं के अधीन ठीक ठीक किस प्रकार के काम किए जाते हैं और इनमें तथा योजना मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाली राष्ट्रीय विस्तार सेवा एवं सामुदायिक परियोजनाओं में क्या अंतर होता है ?

डा० एम० एम० दास: केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ठीक ठीक स्वरूप इस प्रकार है : बच्चों का; महिलाओं का तथा विकलांग व्यक्तियों का कल्याण।

श्री भागवत झा आजाद: संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के अनुदान या सहायता दी जाने से पहले क्या शर्तें लगाई जाती हैं?

डा० एम० एम० दास: केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने 'कल्याण विस्तार परियोजना' नामक पुस्तिका प्रकाशित की है। वह हमारे पुस्तकालय में रखी गई है। माननीय सदस्य उसे देखने की कृपा करें।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य ने वह पुस्तिका पढ़ ली है। क्या सरकार को

विदित हैं कि इस प्रकार की सहायता ऐसे लोगों को दी जा रही हैं जिन्हों ने कुछ भी काम नहीं किया हैं और जिन्हें इस प्रकार की संस्थाएं चलाने के विषय में कोई अनुभव नहीं हैं। मैं अपने माननीय मित्र की सूचना के लिए एक दृष्टान्त दे सकता हूं।

डा० एम० एम० दास : जहां तक हमें मालूम हैं, यह कथन सही नहीं हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं एक दृष्टान्त बता दूं ?

अध्यक्ष-महोदय : प्रश्नकाल में चर्चा अथवा वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं होती। अगला प्रश्न।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

*४१८. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की सबसे ऊपर की मंजिल के कई कमरों तथा दालानों की छतें टपक रही हैं जबसे कि इस वर्ष वर्षा आरम्भ हुई हैं ;

(ख) यदि हां तो इसका कारण ; तथा

(ग) केवल चार वर्ष पुरानी इस इमारत के दोषपूर्ण-निर्माण के लिये कौन उत्तरदायी हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं।

(ख) तथा (ग)। ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

अनुसूचित जाति इत्यादि के लिये विदेश जाने की छात्र वृत्तियां

*४१९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना' के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों को दिए जाने वाली विदेशी छात्रवृत्तियों" की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : सरकार ने तैं किया हैं कि आगामी ५ वर्षों के लिए इन छात्रवृत्तियों की संख्या छैं प्रतिवर्ष के स्थान पर १२ प्रतिवर्ष कर दी जाए।

श्री रिशांग किशिंग: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों को अब तक दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की ठीक ठीक संख्या कितनी हैं ?

डा० एम० एम० दास : वर्तमान योजना पिछले वर्ष ही आरंभ हुई हैं तथा इस के अनुसार छांटे गये बिद्यार्थी चालू वर्ष में विदेश जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों, अनूसूचित आदिम ज़ातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के दो दो विद्यार्थी सब मिला कर छैं विद्यार्थी इन छात्र वृत्तियों के लिये चुने गये हैं।

श्री रिशांग किशिंग: क्या सरकार के विदेशी छात्रवृत्तियों की संख्या को पर्याप्त रूप से न बढ़ा सकने के भी कोई कारण हैं ?

डा० एम० एम० दास : चालू वर्ष के लिये इन की संख्या छैं से दुगनी कर दी गई हैं। अब हम प्रत्येक जाति को चार सब मिला कर बारह छात्रवृत्तियां देंगे।

श्री तिम्मय्या: इन छात्रवृत्तियों के लिए आने वाले आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी हैं।

डा० एम० एम० दास: मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा

अन्य पिछड़े हुए वर्गों को छात्रवृत्तियां देने के लिये चुनाव किस प्रकार किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास: गत वर्ष, इस योजना के अंतर्गत विदेश जाने के लिये दिये जाने वाली छः छात्रवृत्तियों के लिये अभ्यार्थियों का चुनाव संघ लोकसेवा आयोग द्वारा किया गया था। आगामी पांच वर्षों में भी यह चुनाव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही किया जाएगा।

श्री नानादास: सरकार द्वारा विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे जाने वाले अन्य जातियों के विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में बाहर जाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कैसी है ?

डा० एम० एम० दास : कोई तुलना नहीं की जा सकती है परन्तु माननीय सदस्य को याद रखना चाहिये कि इन जातियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये चालू वर्ष में ७५ लाख रुपया अलग रख दिया गया है।

आणविक घड़ी

*४२०. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में एक आणविक घड़ी बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां तो क्या उन के पुर्जे भी बनाये जा रहे हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख). हां। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक क्वार्ट्ज घड़ी तय्यार की है तथा माइक्रो वेव क्षेत्र में स्थित अमोनिया गैस के मौलीक्यूलर रिजोनेंस स्पेक्टरम की चुनी हुई फ्रीक्वेंन्सीज के साथ इसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयोगात्मक कार्य किया जा रहा है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह आणविक घड़ी साधारण घड़ियों की तुलना में स्थायित्व की दृष्टि से कैसी होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : इसके ऊपर तो अभी यह एक्सपेरीमेंट ही हो रहा है। उसका नाम एटोमिक क्लॉक दे दिया है, वास्तव में तो यह उससे कुछ और ही है। अभी इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस घड़ी के सम्बन्ध में कितने दिनों से प्रयोग हो रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे सूचना है, यह अभी हाल ही में तैयार हुई है।

श्री जेठालाल जोशी: क्या उसके शान्ति काल के काम तथा युद्ध काल के काम में कोई अंतर होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

दीवान राघवेन्द्र राव : इन वस्तुओं के निर्माण की गवेषणा वैज्ञानिकों द्वारा स्वयं अपनी पहल से, या सरकार के आदेश पर या व्यापारियों की प्रार्थना पर, यदि वह वाणिज्य की सामग्री हो, की जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सभी बातें संभव हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के बाहर के किसी व्यक्ति ने इस की पहल की है परन्तु अधिकांश सम्भावनाएं इसी बात की पाई जाती हैं कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने इस की पहल की है।

श्री गिडवानी: प्रश्न ४२४ तथा ४३८ एक साथ ले लिये जायें।

श्री के० डी० मालवीय: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां यह दोनों एक साथ लिये जा सकते हैं ।

भारत में तेल की खोज

*४२४. **श्री गिडवानी:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से विदेशी समवायों ने भारत में तेल खोजने का कार्य करने के प्रार्थना पत्र भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे समवाय कौन से हैं,

(ग) क्या उन के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जा चुका है ; तथा

(घ) यदि हां तो विनिश्चय क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) । भारत में तेल खोजने का कार्य करने के लिये केवल तीन समवायों ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं । इन के नाम हैं (१) स्टैण्डर्ड वैकम आयल कम्पनी; (२) अमरीकन ओवरसीज पेट्रोलियम लिमिटेड; तथा (३) आसाम आयल कम्पनी।

(ग) तथा (घ)। कुछ प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जा चुका है तथा कुछ रियायतें की जा चुकी हैं । अन्य प्रार्थना पत्रों पर अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

तैल खोज विभाग

*४२९. **श्री गिडवानी:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक तैल खोज विभाग स्थापित करने का विचार कर रही है ; तथा

(ख) यदि हां तो उसके कार्य क्या होंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख) । एक तैल खोज विभाग स्थापित करने की योजना तय्यार की जा चुकी है तथा सरकार उस पर शीघ्रता के साथ विचार कर रही है । अभी विवरण प्रकट नहीं किये जा सकते हैं ।

श्री गिडवानी : इस देश में प्रति वर्ष आयात किये जाने वाले तेल की मात्रा तथा मूल्य कितना है ?

श्री के० डी० मालवीय: यह प्रश्न उत्पादन मंत्री से किया जाय ।

श्री गिडवानी: मैं ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि २२ लाख रुपए मूल्य का तेल आयात किया गया था.....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वे उत्पादन मंत्री से करें न कि इन से ।

श्री गिडवानी : क्या किसी भारतीय समवाय ने तेल खोजने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। यदि नहीं तो क्या उनको इस कार्य के लिये प्रेरित करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे ज्ञान है तेल खोजने का कोई भारतीय समवाय है ही नहीं ।

श्री गिडवानी: तब क्या यह अच्छा न होगा कि यह कार्य सरकार की ओर से किया जाये बजाय इस के कि यह काम विदेशी समवायों को सौंपा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : वे एक सुझाव दे रहे हैं ।

श्री मेघनाथ साहा : तेल खोजने का काम करने वाले इन समवायों में क्या भारतीय कर्मचारियों को रखवाने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां । करार के अनुसार उन को हमारे आदमियों को तेल खोजने का काम सिखाना होगा । इस के अतिरिक्त कई व्यक्ति सम्मिलित किए गए हैं।

श्री बंसल : विदेशी समवायों को तेल खोजने के अधिकार किन निर्देशों तथा निबन्धों के आधीन किये गये हैं ।

श्री के० डी० मालवीय: इनके निर्देश तथा निबंधन विभिन्न प्रकार के हैं। .स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी के करार की शर्तें तय्यार की जा चुकी हैं। यह बहुत बड़ा करार हैं और मैं उस सारे करार को सभा के सामने पढ़ कर सुना नहीं सकता हूं। इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता हैं।

विन्ध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पद

*४२५. **श्री बी० डी० शास्त्री:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विंध्य प्रदेश के कुछ कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के बिना भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की हैं?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) हां।

(ख) ७।

(ग) यद्यपि भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदों पर इसी संवर्ग के अधिकारी काम कर सकते हैं फिर भी संवर्ग नियम इसकी आज्ञा देते हैं कि उचित संवर्ग अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में राज्य सेवाओं के या अन्य प्रकार के अधिकारी भी इन पदों पर कार्य करें। जब स्थापन्न रूप से काम करने की अवधि छः मास से अधिक हो जाए या हो जाने वाली हो तो संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश करना विहित हैं। विन्ध्य प्रदेश सरकार से कहा गया हैं कि इस प्रकार के वह अधिकारियों के मामले संघ लोक सेवा आयोग के पास मंत्रणा के लिए भेज दें।

श्री बी० डी० शास्त्री: क्या मैं जान सकता हूं कि आई० ए० एस० पोस्ट में आफीशियेट करने का मौका सर्विस की सीनियोरिटी के मुताबिक दिया जाता हैं या प्रान्तीय सरकार की इच्छा पर निर्भर हैं कि जिसे चाहे उसे दें?

श्री दातार: नियम बना दिये गये हैं जिन के अनुसार कुछ व्यक्ति प्रान्तीय सेवाओं में से पदोन्नति अभ्यंश के रूप में लिए जा सकते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं जैसे संवर्ग अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं अथवा पर्याप्त अनुभव वाले नहीं होते हैं। इस लिये कुछ समय के लिये पुराने प्रान्तीय सेवाओं के व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ता हैं।

श्री बी० डी० शास्त्री: क्या यह सच हैं कि आई० ए० एस० पोस्ट्स के लिये आफिशिएट करने का मौका जूनियर आफिसर्स को दिया गया हैं और जो सीनियर आफिसर्स थे तथा काबलियत में भी दूसरों से आगे थे उन्हें मौका नहीं दिया गया?

श्री दातार: जहां तक छोटे पद वाले अधिकारियों का सम्बन्ध हैं, उनकी आठ साल की सेवा का होना, बहुत आवश्यक हैं, तभी उनके सम्बन्ध में विचार किया जा सकता हैं।

डा० राम सुभग सिंह: उन का सवाल दूसरा था और जवाब दूसरा दिया गया हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार हैं उन्हों ने ठीक ही उत्तर दिया हैं। उन का कहना था कि नीचे पद वाले अधिकारयों को अवसर दिए गए हैं जब कुछ कुछ ऊंचे पद वालों को कोई भी अवसर नहीं दिया गया हैं। उन्होंने बताया कि कम से कम आठ वर्ष की सेवा का होना आवश्यक हैं।

डा० राम सुभग सिंह: प्रश्न यह हैं कि क्या किसी नीचे पद वाले को अवसर दिया गया हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रशासनीय विवरण की बातें हैं। ऐसे प्रश्नों को न तो स्वीकार करना चाहिये और न सभा में पूछना चाहिये।

श्री एम० एल० द्विवेदी: उम्मेदवारों का चुनाव स्थानीय अधिकारियों में से किया जाता है या थोड़े समय के लिये आने वाले अधिकारियों में से?

श्री दातार : क्या माननीय सदस्य पदोन्नति अभ्यंश के लिये किये जाने वाले चुनाव का हवाला दे रहे हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी: भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये।

श्री दातार : भारतीय प्रशांसनिक सेवा में दो अभ्यंश होते हैं: एक की भर्ती परीक्षा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है तथा दूसरा पदोन्नति के द्वारा २५ प्रतिशत तक लिया जाता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं बाद वाले की बात कर रहा हूं।

श्री दातार: जहां तक बाद वाले अभ्यंश का संबंध है वर्तमान प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकारें, स्थानीय लोक सेवा आयोगों के परामर्श से यदि कहीं पर कुछ सिफारिशें करती हैं। यह सब सिफारिशें संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज दी जाती हैं। इस के पश्चात उन की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री एम० एल० द्विवेदी : भाग ग राज्यों में क्या प्रक्रिया है ? क्या वहां लोक सेवा आयोग नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांन्ति शांन्ति। जो कुछ भी हो, प्रश्न को अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न।

एकरूप शिक्षा नीति

*४१६. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के लिए कुछ मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित किए हैं, ताकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक सी शिक्षा नीति अपना सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने प्रतिनिधि समितियों, आयोगों, जिन में शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड भी सम्मिलित हैं, एवं जिन में राज्य सरकारों के पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के सभी स्तरों एवं स्थिति के बारे में इन समस्याओं के विषय में विचार किया है और उन्होंने बुनियादी, माध्यमिक, उच्च तथा शिल्पिक शिक्षा की प्रतिकृति के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्तों को स्वीकार किया है, और समय समय पर वे राज्य सरकारों को भेजे गए हैं। राज्य सरकारों ने इनके द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में शिक्षा के सम्बन्ध में व्याप्त भिन्न भिन्न प्रकार की उन नीतियों की प्रगति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, जिनसे भारत के भावी नागरिकों के लिए जीवन के विभिन्न कार्यों में रुकावट पड़ती है।

डा० एम० एम० दास: माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा राज्य सरकारों का एक विषय है, और केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके आधार पर वह राज्य सरकारों को किन्हीं निर्देशों पर चलने के लिए बाध्य कर सके। किन्तु समय समय पर उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, और राज्य सरकारों से उनको अपने यहां क्रियान्वित करने की प्रार्थना की है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारें भाषा सम्बन्धी

संविधान के उपबन्धों का विभिन्न प्रकार से निर्वचन करने का प्रयत्न कर रही हैं, और क्या भारत सरकार ऐसी कोई कार्यवाही कर रही हैं कि सभी राज्य सरकारों द्वारा एकरूप शिक्षा नीति अपनाई जाय ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने इस तरह का कोई मामला नहीं आया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं बम्बई का उदाहरण दे सकता हूं ?

श्री रघुरामैया : सम्पूर्ण भारत में लागू होने वाले मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि शिक्षा की वर्तमान नीति से कुछ महत्वपूर्ण विचलन हुए हैं और क्या माननीय मंत्री जी उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण विचलनों का वर्णन करेंगे ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य के प्रश्न को मैं ठीक प्रकार से नहीं समझ सका हूं।

श्री रघुरामैया : मैं स्वयं इसकी व्याख्या करूंगा। इस प्रश्न में सरकार द्वारा शिक्षा के बारे में कुछ मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित करने की चर्चा की गई है ताकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में शिक्षा की एक सी नीति अपना सकें। इसका अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों में शिक्षा की वर्तमान नीति में कुछ रूपभेद करने के लिए केन्द्रीय सरकार तैयार हो गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री वर्तमान नीति से किसी भी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में बता सकते हैं ?

डा० एम० एम० दास: बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में सार्जेन्ट समिति, खेर समिति तथा जाकिर हुसेन समिति के प्रतिवेदनों में विस्तार रूप से सिफारिशें की गई हैं । माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग प्रतिवेदन' तथा विश्व विद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में डा० राधाकृष्णन के विश्व विद्यालय आयोग प्रतिवेदन में ये सिफारिशें दी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्यक्षतः वे बात नहीं समझ पाये ।

श्री रघुरामैया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद: इस तथ्य को दृष्टिगत रख कर कि एक प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक से लेकर भारतवर्ष के प्रधान मंत्री तक ने प्रायः वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निंदा की है और इन शिक्षण संस्थाओं को कलर्क बनाने वाला कारखाना कहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने को बन्द करने अथवा इसका पुनुर्द्धार करने में भारत सरकार का कितना समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदया: शान्ति शान्ति। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अगला प्रश्न ।

नकली पैट्रोल

*४२७. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के सचिव भारतवर्ष में नकली पैट्रोल बनाने के सम्बन्ध में वार्तालाप करने के लिए विदेशों का दौरा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उन्होंने किन किन देशों का भ्रमण किया है, किन किन अभिकरणों से इस सम्बन्ध में चर्चा की है, और इस वार्तालाप का क्या परिणाम रहा ;

(ग) देश में नकली पैट्रोल बनाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजनाएं हैं; तथा

(घ) ये योजनाएं कब क्रियान्वित होंगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख)। बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों के प्रयोजनार्थ सचिव विदेशों के दौरे पर गए हैं। देश में नकली पैट्रोल बनाने के सम्बन्ध में जांच करने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल में जिस नकली पैट्रोल समिति की नियुक्ति की है उसे परामर्श

देने के उद्देश्य से सचिव से कहा गया है कि वे प्रसिद्ध नकली पैट्रोल विशेषज्ञ तथा संसार के प्रसिद्ध निर्माताओं से इस सम्बन्ध में बातचीत करके इस अवसर का लाभ उठायें। इस सम्बन्ध में उन्होंने मुख्यतः जर्मनी, इंगलैण्ड, तथा अमरीका में बातचीत की है। इस उपक्रम में शिल्पिक तथा वित्तीय रूप में भाग लेने के लिए उनके द्वारा कुछ प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गये हैं।

(ग) वित्तीय शिल्पिक तथा इस प्रकार की परियोजना की अन्य कठिनाइयों की जांच करने के लिए सरकार ने एक नकली पैट्रोल समिति की स्थापना की है जो सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इस समिति ने वस्तुतः अपने कार्यों को समाप्त कर लिया है और यह संभावना है कि सितम्बर के आरम्भ में यह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। आज १०-३० बजे उसकी एक बैठक हो रही है।

(घ) योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकार करने और क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में निश्चित होने पर ही उनको क्रियान्वित किया जायगा।

श्री बंसल: क्या भारत सरकार का विचार विदेशी संस्थाओं से इस सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः बातचीत करने का है अथवा उन संस्थाओं से ठेका करने के लिए भारतीय समवायों से कहेगी और तत्पश्चात यहां निर्माण करने के लिए संयत्र लगायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय: यह प्रश्न असामयिक है। किन्तु यदि कोई भारतीय उपक्रम इस कार्य को अपने हाथ में लेने को तैयार होगा तो इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री एस० वी० रामस्वामी: क्या दक्षिण आरकट जिले में लिगनाइट से पैट्रोल निकालने का कोई विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय: सिद्धान्त रूप में यह सम्भव है। वास्तव में यह हो सकता है अथवा नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता।

श्री पी० सी० बोस : क्या प्राकृतिक पैट्रोल तथा इस कोयले से निकलने वाले पैट्रोल के उत्पादन मूल्य के अन्तर के सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम इन सब विस्तृत बातों की जानकारी कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बहुत थोड़ा जानता हूं। किन्तु इस समय इसके बारे में कुछ कहने का समय नहीं आया है।

वीरता-पदक

*४२६. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वीरता पदकों अर्थात परम वीर चक्र, महावीर चक्र, तथा वीर चक्र के विजेताओं को विशेष भूमि अथवा नकद अनुदान दिया जाए;

(ख) यदि हां तो कितनी राज्य सरकारों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है; तथा

(ग) कितने वीरता-पदक विजेताओं को उनकी राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के ये विशेष अनुदान दिए गए हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी हां।

(ख) आंध्र तथा अन्दमान और निकोबार टापुओं को छोड़ कर जिन्हें कि इसकी सूचना अभी हाल में दी गई है, अन्य राज्यों ने अपनी योजनाओं की घोषणा कर दी है।

(ग) १२४।

डा० राम सुभग सिंह: क्या उन सभी राज्य सरकारों ने जिन्होंने कि इस योजना को स्वीकार किया है, वीरता पदक विजेताओं को दी जाने वाली भूमि

के क्षेत्र के सम्बन्ध में एक समान स्तरीय योजना बनाई है?

सरदार मजीठिया: नहीं। यह एकरूप नहीं है। वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान सन् १९४७ से पूर्व प्रचलित प्रथा की ओर आकर्षित किया था, फलस्वरुप इन पदक विजेताओं को पुरस्कार देने की घोषणा का कार्य राज्य सरकारों को अपने अपने साधनों के आधार पर छोड़ दिया गया और उन्होंने न्यूनाधिक रुप में एकही स्तर पर पुरुस्कार दिए हैं।

डा० राम सुभग सिंह: क्या कोई ऐसी राज्य सरकार भी हैं जिन्होंने इन पदक विजेताओं को इकट्ठा धन दिया हो?

सरदार मजीठिया: जी हां। बहुत से धन का नियतन किया गया है। पंजाब ने सबसे अधिक अर्थात १,८२,००० रु०, पश्चिमी बंगाल ने २५,००० रु० तथा बम्बई ने २७,५०० रुपए का नियतन किया है।

डा० राम सुभग सिंह: अब तक इन विजेताओं को कुल कितने एकड़ भूमि दी गई है?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि इस प्रकार के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि उच्चतम पुरस्कार के लिए लगभग २५ एकड़ तथा उसके बाद दूसरे पुरुस्कार के लिए १२ एकड़ तथा इसी तरह से आगे भी।

डा० रामा राव: क्या उन व्यक्तियों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार पदक देती है, राज्य सरकारों द्वारा नकद पुरुस्कार दिलाने का कोई विशेष कारण है?

सरदार मजीठिया : जी हां। माननीय सदस्य जैसा कि जानते हैं कि ये वीरता पदक पदक के रूप में हैं। युद्ध भूमि में व्यक्ति अपने कार्यों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और उस पदक के रूप में वे केन्द्रीय सरकार से सम्मान प्राप्त करते हैं, इस के अतिरिक्त राज्य सरकारें उन्हें और प्रोत्साहन देने के लिए कुछ भूमि तथा धन के रूप में अनुदान देती हैं।

राष्ट्रीय छात्र सेना

*४३०. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५४ में राष्ट्रीय छात्र सेना पर राज्य सरकारों ने कितना व्यय किया ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने १९५४-५५ में खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या में किसी असाधारण वृद्धि की केन्द्रीय सरकार को सूचना दी है?

रक्षा उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) लगभग १११ लाख।

(ख) चालू वर्ष के विस्तार कार्यक्रम के अनुसार भिन्न २ केन्द्रों में कुल २२,५०० छात्र सैनिक बढ़ेंगे।

सरदार हुक्म सिंह: उनकी वर्तमान कुल संख्या कितनी है?

श्री सतीश चन्द्र : उनकी वर्तमान कुल संख्या लगभग ७८,००० है, पिछले मार्च तक यह दर ८३,४९८ रहती थी, परन्तु इस सत्र से बम्बई सरकार ने जूनियर डिवीजन बन्द कर दिया है इसलिए यह घट कर ७८,००० रह गई है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या राष्ट्रीय छात्र सेना के पाठ्यक्रम की परीक्षा करने के लिये नियुक्त की गई विशेष समिति ने उनके प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में किन्हीं विशेष परिवर्तनों की सिफारिश की है?

श्री सतीश चन्द्र : सारी राष्ट्रीय छात्र सेना के पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करने के लिये कोई विशेष समिति नियुक्त नहीं की गई थी,

यह तो मीहिला विभाग की जूनियर शाखा का पाठ्यक्रम निश्चित करने के लिए स्थापित की गई थी जो इस वर्ष आरम्भ की जा रही हैं।

सरदार हुकम सिंह: कुल संख्या में सैनिक छात्राओं का क्या अनुपात हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं पिछले वर्ष सैनिक छात्राओं की संख्या केवल ६०० के लगभग थी। मेरे विचार में इस वर्ष की समाप्ति तक यह संख्या बढ़ कर ५,००० हो जायेगी जिसका अर्थ हैं ८०० प्रतिशत वृद्धि।

सरदार हुकम सिंह उठे---

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

भ्रष्टाचार

***४३१. श्री डाभी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ मार्च, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० ११४५ के उत्तर को देख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस के बाद योजना आयोग की इस सिपारिश के बारे में कि उन सरकारी नौकरों को जिन के विरुद्ध प्रैस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएं अपने को निरपराध सिद्ध करने के लिये वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिये, कोई निश्चय किया हैं, और

(ख) यदि हां, तो वह निश्चय क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां।

(ख) यह निश्चय किया गया हैं कि जब प्रैस में किसी विशेष पदाधिकारी पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाए तो पहले किसी वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा उसकी प्रारम्भिक जांच करायी जाए। यदि प्रारम्भिक जांच से पता चले कि---

(१) आरोप निराधार और अपकीर्तिकर थे और उन्हें बिना कोई कार्यवाही किये नहीं छोड़ना चाहिये ;

(२) आरोपों में शंका थी और सच जानने का सर्वोत्तम साधन न्यायिक कार्यवाही होगा। तो उस विषय को न्यायालय में ले जाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। किन्तु जहां आरोप अधिक गम्भीर न हों तो केवल जांच के परिणाम को प्रकाशित कर देना और जनता की जानकारी के लिए आरोपों का खुले रूप से खंडन कर देना ही पर्याप्त होगा। इस के विपरीत जहां प्रारम्भिक जांच से यह पता चले कि आगे और विस्तृत जांच की आवश्यकता हैं तो वहां सरकार को विशेष पुलिस स्थापना द्वारा नियमित जांच अथवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों के अधीन पूरी विभागीय जांच पर विचार करना चाहिए।

श्री डाभी: क्या गत दो वर्षों में किन्हीं अवसरों पर प्रैस में ऐसे आरोप लगाये गये थे ?

श्री दातार : एक बार ऐसे आरोप लगाये गये थे, और जब मुकद्दमे की धमकी दी गई थी तो क्षमा मांग ली गई थी।

श्री डाभी: यह कहां, किस राज्य में हुआ था ?

श्री दातार : मैं राज्यों के नहीं केन्द्रीय सरकार के बारे में कह रहा हूं।

डा० राम सुभग सिंह: क्या किसी पदाधिकारी के कार्यालय में भ्रष्टाचार का कारण उसकी अयोग्यता और उसकी ओर से किसी भ्रष्टाचार को भी कहा जा सकता हैं ?

श्री दातार: मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय: मुझे प्रश्न यह प्रतीत होता हैं: मान लीजिए एक पदाधिकारी स्वयं भ्रष्ट नहीं हैं, परन्तु वह इतना अयोग्य हैं कि अपने सामने हो रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकता, क्या उसे भ्रष्टाचार समझा जाएगा ?

श्री दातार : उस पदाधिकारी को वह पद सम्भालने के अयोग्य समझा जायेगा और इस अयोग्यता के लिये उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अंधे विद्यार्थी

*४३२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में सरकार ने कितने अंधे विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दीं, और

(ख) क्या सरकार का स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये उन की सहायता करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १५ ।

(ख) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां भारत सरकार की अंधों के लिए स्कूल के बाद की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दी जा सकती हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार का इन अंधे छात्रों को विदेशी छात्रवृत्तियां देने का विचार है ?

डा० एम० एम० दास: वर्तमान योजना के अधीन ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस वर्ष हैदराबाद राज्य में कितने अंधे विद्यार्थी स्नातक बने और कितनों ने विशेष सफलता प्राप्त की ?

डा० एम० एम० दास: इस वर्ष आठ स्नातक बने हैं छः अजमेर से और दो हैदराबाद से । उन में से कितनों को विशेष सफलता मिली है यह मैं नहीं जानता ।

श्री साधन गुप्त: प्रत्येक को कितनी छात्र-वृत्ति दी जाती है और प्रत्येक राज्य में इन्हें प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है ?

डा० एम० एम० दास: पिछले वर्ष १५ छात्र-वृत्तियां दी गई थीं। राज्यानुसार संख्या इस प्रकार है:

बिहार-१
हैदराबाद-४
मद्रास-२
उत्तर प्रदेश-२
पश्चिमी बंगाल-२
मध्य प्रदेश-२
बम्बई-२

वर्तमान योजना के अधीन राज्य सरकारें छात्रों के नाम भेजती हैं और उन्हें इन छात्रवृत्तियों की ५० प्रतिशत राशि भी देनी पड़ती है---५० प्रतिशत केन्द्र देता है और ५० प्रतिशत राज्य सरकारें।

श्री साधन गुप्त: छात्रवृत्ति की राशि किस आधार पर निश्चित की जाती है ?

डा० एम० एम० दास: इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

भारतीय बैंकों में सोवियत लेखे

*४३४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत-रूस व्यापार करार के अनुच्छेद ६ के अनुसार भारतीय बैंकों में लेखे खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन बैंकों में और कब ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत): (क) हां श्रीमान।

(ख) इन इन बैंकों में लेखे खोले गए हैं:

(१) इम्पीरियल बैंक
आफ इंडिया,
कलकत्ता---फरवरी १९५४ में।

(२) बैंक आफ चीन,
कलकत्ता---मार्च, १९५४ में।

(३) युनाइटेड
कमर्शियल
बैंक लिमिटेड,
कलकत्ता---मई १९५४ में।

ये लेखे उन लेखों के अतिरिक्त हैं जो भारत-रूस व्यापार करार होने से पूर्व रूस के राज्य बैंक ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई और लायड्ज बैंक लिमिटेड, बम्बई और दिल्ली में खोल रखे हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या इन बैंकों में जमा कराई गई राशियां केवल व्यापार की

वृद्धि के लिए प्रयुक्त की जाएंगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : व्यापार करार में भुगतान के विषयों का ब्यौरा प्रकाशित किया हुआ है और उन में कुछ ऐसे भुगतान भी हैं जिनका वाणिज्य से सम्बन्ध नहीं।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या दूसरे देशों ने भी जिन से हम ने व्यापार करार किये हुए हैं भारतीय बैंकों में इसी प्रकार के लेखे खोले हुए हैं ?

श्री बी० आर० भगत : वे विदेशी मुद्रा विनिमय की दर से विनियमित होते हैं।

संविधान का संशोधन

*४३५. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या विधि मंत्री २ मार्च, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ के उत्तर को देख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अब यह बतला सकती है कि संविधान का संशोधन करने के लिए विधेयक कब पुनः स्थापित किया जाएगा और ये संशोधन कौन कौन से मुख्य विषयों के बारे में होंगे ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : जी नहीं, यह विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रायः देश के न केवल साधारण व्यक्ति बल्कि मंत्रियों जैसे बड़े बड़े व्यक्ति भी संविधान के संशोधन के बारे में कहते रहते हैं क्या मैं जान सकता हूं कि संविधान के संशोधन के प्रश्न पर विचार करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री बिस्वास : संविधान संशोधित करने का कार्य उतना ही कठिन है जितना कि संविधान बनाने का था । सरकार ने राज्यों के मन्त्रियों, यहां के मन्त्रियों और दूसरे पक्षों से सुझाव मांगे हैं, सम्मतियां प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है, इस विषय पर विचार करने के लिये सरकार ने एक विशेष समिति और एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है। इस प्रकार संशोधनों के सम्बन्ध में जितनी सम्भव होगी जल्दी की जायेगी, परन्तु इन्हें एकदम जल्दी निबटाया नहीं जा सकता। इन पर बड़े ध्यान से विचार करना होगा और सरकार संविधान (संशोधन) विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में किसी निश्चित तिथि का वचन नहीं दे सकती ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ---

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेते हैं। मेरा विचार है कि और कोई अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वी कमान मुख्यालय

*४३७. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या रक्षा मन्त्री २३ नवंम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० २१९ के उत्तर को देख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके पश्चात पूर्वी कमान का मुख्यालय रांची से बदल दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): यह निश्चय किया गया है कि पूर्वी कमान के मुख्यालय का रांची से लखनऊ स्थानान्तरण दिसम्बर, १९५४ में आरम्भ करके १९५५ में पूरा कर दिया जाये ।

श्री झूलन सिन्हा : रांची से लखनऊ स्थानान्तरण करने पर बिहार को जो गम्भीर चिन्ता हुई है क्या सरकार ने उस पर बिचार किया है ?

सरदार मजीठिया : यह बात समझ में आती है, परन्तु कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि रक्षा विभाग के लोगों के पास रांची में कोई भवन नहीं था जब कि लखनऊ में हमारे पास कुछ भवन हैं और इसीलिये मुख्यालय का वहां स्थानान्तरण करना हितकर समझा गया।

श्री भागवत झा आजाद : इतना बड़ा निश्चय करने से पूर्व क्या सरकार ने बिहार सरकार से कहा था और क्या उस ने इस प्रयोजनार्थ भवनों के लिये भूमि देने से इन्कार किया था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): मैं यह बता देना चाहता हूं कि केवल यही कारण नहीं है। केवल भूमि और भवनों की कठिनाई के कारण ही हम इसे स्थानान्तरित नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम सामरिक आधारों पर चाहते हैं कि पूर्वी कमान का मुख्यालय ऐसे स्थान पर हो जहां से सब महत्वपूर्ण स्थानों तक अधिक आसानी से पहुंचा जा सके।

श्री भागवत झा आजाद: सामरिक स्थान...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य डा० राम सुभग सिंह एक प्रश्न पूछना चाहते थे।

डा० राम सुभग सिंह: उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

श्री भागवत झा आजाद : जब भवन के लिये भूमि का प्रस्ताव किया गया था तो सामरिक आधार पर रक्षा मन्त्रालय ने उसे अस्वीकृत कर दिया था। इस परमाणु युग में माननीय मन्त्री ने किस सामरिक आधार को इतना महत्वपूर्ण समझा है ?

श्री त्यागी : मैं ने कहा कि केवल यही कारण न था। सामरिक आधार भी कारण था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विक्रय-कर की वसूली

*३६७. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वित्त** मंत्री १८ फरवरी, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० ६६ के उत्तर को देख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि विक्रय-कर सम्बन्धी अधिकारियों की समिति की बैठक में स्वीकार की गई अन्तरिम योजना में उल्लिखित कार्यवाही के अतिरिक्त व्यापारियों की उन कठिनाइयों को हल करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है जो उन्हें कई राज्यों द्वारा उन व्यापारियों से विक्रय-कर वसूल करने का प्रयत्न करने के कारण सहन करनी पड़ती हैं जो वहां के निवासी नहीं होते ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): सरकार ने निश्चय किया है कि अन्तर्राज्य विक्रय-कर समस्या पर करारोपण जांच समिति की सिफारिशें मिलने पर ही इस विषय में आगे किसी कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।

रक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिये आवासस्थान

*४०२. **श्री नम्बियार:** क्या **रक्षा** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ के उत्तर को निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानागढ़ में रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के लिये स्थायी आवासस्थान की व्यवस्था करने के हेतु १९५४-५५ के लिये कोई परियोजना मंजूर हुई है ;

(ख) कितने कर्मचारी अब भी टूटी-फूटी बैरकों में या छप्परों के नीचे रहते हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो काम के कब तक समाप्त होने की सम्भावना है और कितने कर्मचारियों को स्थायी आवासस्थान मिल जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) यद्यपि इंजीनियर भाण्डार डिपो, पानागढ़ के असैनिक कर्मचारी सरकारी आवासस्थान पाने के अधिकारी नहीं हैं, किन्तु फिर भी वहां की विशेष स्थिति को ध्यान में रख कर सरकार ने १९५२ में अस्थायी प्रकार के आवासस्थान बनाने की एक परियोजना मंजूर की थी। इस परियोजना के शीघ्र ही पूरा होने की सम्भावना है। स्थायी आवासस्थान बनाने के लिये इस समय हमारे पास कोई परियोजना नहीं है।

(ख) कारीगरों और श्रमिकों सहित लगभग १९२ कर्मचारी।

(ग) इस समय जो अस्थायी परियोजना चल रही है उस के १५ सितम्बर, १९५४ को पूरा होने की सम्भावना है। इसके पूरा होने पर ७६ असैनिक कर्मचारियों को अस्थायी क्वार्टरों में रहने का स्थान दे दिया जायेगा।

सैनिक प्रशिक्षण

*४०८. **चौ० रघुवीर सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन किन देशों ने अपने सैनिक पदाधिकारी प्रशिक्षण के लिये भारत के स्टाफ (सैनिक) कालेजों में भेजे हैं; और

(ख) प्रशिक्षण का व्यय कैसे पूरा किया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) अभी तक आस्ट्रेलिया, बर्मा, कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पदाधिकारियों ने स्टाफ कालेज, विलिंगटन में पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

(ख) स्टाफ कालेज में विदेशी विद्यार्थियों की पढ़ाई अधिकांशतया अन्योन्य आधार पर होती है और जहां अन्योन्य व्यवस्था नहीं है, वहां सम्बद्ध देशों से सामान्य प्रशिक्षण व्यय वसूल कर लिया जाता है।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल

*४११. **श्री माधव रेड्डी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४ में अब तक कितने सरकारी प्रतिनिधिमण्डल (सांस्कृतिक तथा अन्य सद्भावना मण्डल) विदेशों को भेजे जा चुके हैं; और

(ख) इन प्रतिनिधिमण्डलों में कितने व्यक्ति थे ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) छः।

(ख) छियासठ।

खारा जल

*४१२. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खारे जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर में कोई गवेषणा और प्रयोग किए गए थे; और

(ख) क्या भारत की अन्य संस्थाओं में भी ऐसे प्रयोग किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी हां।

(ख) जी हां, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना और ईंधन गवेषणा संस्था, जीलगोड़ा।

त्रिपुरा में मजिस्ट्रेट के न्यायालय

*४१६. **श्री दशरथ देव:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोग चलाए जाने योग्य कुछ मामले पड़े हुए हैं क्योंकि सरकार वहां प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट नहीं भेज सकी; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के कारण किन किन डिवीजनों में कष्ट हो रहा है और सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण संस्थायें

*४१७. **श्री अजित सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कृषि तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संस्थाओं का जाल बिछाने के हेतु क्या पग उठाए गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): यह प्रश्न इतना विस्तृत है कि केवल एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकती। एक प्रपत्र जिस में अपेक्षित जानकारी की मोटी रूप रेखा दी हुई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]

खुदाइयां

*४२१. **श्री दिगंबर सिंह:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा काल की वस्तुओं का, जिन से उस काल की सभ्यता पर प्रकाश पड़ सके, पता लगाने के लिए कोई खुदाइयां की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : जी हां।

अस्पृश्यता

*४२२. **श्री बुचिकोटय्या:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने अस्पृश्यता निवारण और राज्य में भूतपूर्व-अपराधी आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां।

(ख) योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें ये हैं :---

(क) अस्पृश्यता निवारण ---

(१) शिक्षा की उन्नति; और

(२) मौखिक तथा लिखित प्रचार।

(ख) **भूतपूर्व अपराधी आदिम जातियों का कल्याण---**

(१) शिक्षा की उन्नति;

(२) आर्थिक उन्नति; और

(३) सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पुनर्वास।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

*४२३. **श्री गाडिलिंगन गौड़:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने १९५४-५५ के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और भूतपूर्व अपराधी आदिमजातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं, और

(ग) सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी नहीं। आन्ध्र राज्य में ऐसी कोई जातियां नहीं हैं जिन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये अलग किया हुआ अनुदान मिल सके।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

परिसीमन आयोग

*४२८. **श्री एस० एन० दास:** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसीमन आयोग ने छठे सत्र में इस सभा में की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या परिवर्तन किए गये हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): (क) जी नहीं।

(ख) कोई नहीं। आयोग की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ में दी हुई हैं और आयोग सदा इन्हीं का अनुसरण करता रहा है और कर रहा है।

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग

*४३३. **चौ० रघुवीर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने महसूल की चोरी कर सामान ले जाने तथा भ्रष्टाचार के ऐसे कितने मामले पकड़े हैं जिनमें अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया हो; तथा

(ख) एक अलग विभाग रखने से कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

वित्त-उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) विभाग अभी भी निर्माण की दशा में है। आवश्यक कर्मचारियों के अभाव से अब तक यह संभव नहीं हुआ कि उसे उचित रूप से कार्य करने की दशा

में लाया जाय। फिर भी अब तक उसने कपट के दो मामलों का अनुसंधान किया है तथा दो मामलों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग के पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोपों का अनुसन्धान किया है।

इसके अतिरिक्त इस विभाग ने दामन, गोआ पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान तथा पाकिस्तान और काश्मीर की सीमाओं पर भी चोरी से माल लाने और ले जाने को रोकने तथा इन सीमाओं पर गश्त को मजबूत करने के उद्देश्य से भू-सीमाओं का सर्वेक्षण किया है।

(ख) विभाग की सफलता का निर्णय अभी नहीं किया जा सकता।

नौ सेना प्रशिक्षण केन्द्र

*४३६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ में खोले गए दो नवीन नौ सेना प्रशिक्षण केन्द्रों की क्या प्रगति हुई है;

(ख) किस केन्द्र ने अधिक संख्या में खलासियों तथा सीधे भर्त्ती होने वाले पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है; तथा

(ग) इन प्रशिक्षण केन्द्रों की शीघ्र प्रगति में कौन सी कठिनाइयां हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०**]

(ख) आई० एन० एस० वेन्डुरुथी ने विभाजन के कारण उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए सभी सीधे भर्त्ती होने वाले पदाधिकारियों तथा खलासियों को प्रशिक्षण दिया है।

(ग) इन वस्तुओं की कमी :

(१) साधन सामग्री

(२) प्रशिक्षित शिक्षक

(३) स्थायी भवन।

खनिजों पर स्वामित्व तथा मृत खनिभाटक की दरें

*४३९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज मन्त्रणा बोर्ड ने जिसकी बैठक २ जून १९५४ को रांची के ओडर हाउस में हुई थी, खनिजों पर स्वामित्व तथा मृत खनिभाटक के दरों के बारे में विचार किया था; तथा

(ख) यदि हां तो इन मामलों के बारे में बोर्ड के क्या विनिश्चय हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान।

ग्रामीण शिक्षा पद्धति का अध्ययन

*४४०. **सरदार हुक्म सिंह : श्री जेठालाल जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेनमार्क की ग्रामीण शिक्षापद्धति का अध्ययन करने के लिए भारतीय शिक्षा-विद् तथा राज्यों के प्रतिनिधियों का कोई दल अभी हाल में डेनमार्क गया था; तथा

(ख) यदि हां, तो इस दल में कितने शिक्षा-विद् हैं और उनका संवरण किस आधार पर हुआ था ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी हां।

(ख) उनकी संख्या १८ है। इन सदस्यों का संवरण, कुछ राज्य सरकारों तथा कुछ महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संस्थाओं के परामर्श के आधार पर भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस दल में, ग्रामीण तथा बुनियादी प्रशिक्षण कालिजों के प्रधानाध्यापक, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रशासन से सम्बन्धित पदाधिकारी और ग्रामीण तथा समाज शिक्षा क्षेत्र के पुराने कार्यकर्ता सम्मिलित हैं।

आयकर आयुक्त सम्मेलन

*४४१. **चौ० रघुवीर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर १९५३ में आयकर आयुक्तों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या क्या महत्वपूर्ण विनिश्चय हुए; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्मेलन द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। किन्तु आयकर पदाधिकारी, श्रेणी २ की नियुक्ति के सिलसिले में विभागीय पदोन्नति समिति की जो बैठक सितम्बर १९५३ में नई दिल्ली में हुई थी उसमें भाग लेने वाले आयकर आयुक्तों ने अपनी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ प्रा-वेधिक तथा प्रशासनीय समस्याओं के बारे में अनौपचारिक रूप से अवश्य विचार किया था।

(ख) कोई विनिश्चय नहीं किये गये थे। आयुक्तों के दृष्टिकोण को ध्यान में रख लिया था, और जहां सम्भव हुआ वहां कार्यवाही की गई थी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

ई० एम० ई० संस्थापन, किर्की

२०१. **श्री वी० पी० नायर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एम० ई० संस्थापन के लिए १९५३-५४ में लगभग एक लाख रुपये का लिनो-लियम स्थानीय तौर पर क्रय किया गया था;

(ख) सरकारी गाड़ियों की मरम्मत में कितना लिनोलियम लगा है; तथा

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सा लिनोलि-यम पदाधिकारियों के निजू फरनीचर में काम आया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) नहीं। लगभग ११,००० रुपये का लिनोलियम क्रय किया गया था और यह लिनोलियम केन्द्रीय सैनिक कारखाना तेलगांव रंभाड़ द्वारा १९५२-५३ में क्रय किया था।

(ख) २३०४ वर्ग फुट।

(ग) नहीं।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

२०२. **श्री वी० पी० नायर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने (१) उड़ने योग्य होने के प्रमाणपत्र के पुनर्नवीनीक-रण के लिए (२) उड़ने योग्य होने के प्रारम्भिक प्रमाणपत्र के लिए (३) डीसी० ३ के ८०० उड़ान के घंटों की जांच के लिए कितना धन लिया है; तथा

(ख) सन १९५० से १ जून १९५४ तक कितने डीसी० ३ विमान मरम्मत के लिए विदेशों से हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के पास आए हैं, और इस प्रकार के विमानों की मरम्मत के लिए कितना व्यय लिया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) चूंकि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड एक व्यापारिक संस्थान है और इसी आधार पर चल रहा है अतः समवाय तथा इसके व्यापारियों के बीच हुए वित्तीय लेन देन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बताना समवाय के हित में नहीं है।

(ख) इस बीच में १८ विदेशी डीसी० ३ विमानों की मरम्मत की गई है। मरम्मत में बड़े बड़े पुर्जों आदि के परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक विमान की मरम्मत के लिए औसतन ५०,००० रुपया लिया गया था।

टेम्पेस्ट विमान

२०३. **श्री वी० पी० नायर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्यतः इंजिन की खराबी के कारण ७० से अधिक टेम्पेस्ट विमान नष्ट हो गये हैं,

(ख) जून १९५१ से अब तक इस प्रकार के विमानों की दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं; तथा

(ग) इस प्रकार के विमानों की दुर्घटनाओं को रोकने अथवा कम करने के लिए सरकार द्वारा, यदि की गई हैं, तो क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख). टॅम्पेस्ट विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या बताना लोकहित में नहीं हैं; किन्तु मैं यह बता दॅना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़ें दिये हैं वे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताये हैं। इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस बात से हो जाएगा कि १९५१ से लेकर अब तक टॅम्पेस्ट विमान के इंजिन की खराबी के कारण केवल ३ विमानचालकों की मृत्यु हुई हैं।

(ग) सभी विमान संबंधी दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच विशेषज्ञ सेवा न्यायालय की बैठक स्थायी रुप से हुआ करती हैं, और इस प्रकार की दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने की दृष्टि से इस न्यायालय द्वारा की गई सिपारिशों तथा निर्णयों के आधार पर आवश्यक निरानात्मक कार्यवाहियां शीघ्रता के साथ की जाती हैं।

निरुद्ध व्यक्ति

२०४. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में अगस्त १९५४ के अंत तक निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या क्या हैं; तथा

(ख) ३१ अगस्त, १९५३ की संख्या की तुलना में यह संख्या कैसी हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख). मैं सभा पटल पर दो विवरण रखता हूं; उनमें से एक विवरण १५ अगस्त, १९५४ को निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या हैं तथा दूसरे में ३१ अगस्त १९५३ को निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या हैं। विवरण से यह प्रकट होता हैं कि १५ अगस्त १९५४ को निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या ३१ अगस्त १९५३ को निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या से ३६ कम हैं। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]

३१ अगस्त १९५४ को निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी आंकड़ें अभी प्राप्य नहीं हैं।

सैन्य चिकित्सा दल

२०५. **श्री वी० पी० नायर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५४ को सैन्य चिकित्सा दल में कितने असैनिक कर्मचारी कार्य कर रहे थे ; तथा

(ख) अब उनकी सेवाओं के निबंधन तथा शर्तें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र) : (क) ५०६१।

(ख) सैन्य चिकित्सा दल के असैनिक कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें वही हैं जो रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले अन्य असैनिक कर्मचारियों के हैं। यह निबंधन तथा शर्तें सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले अनेक नियमों तथा आदेशों में दिये हुए हैं जैसे कि असैनिक सेवा विनियमन, रक्षा सेवाओं में असैनिकों के (वेतन पुनर्विचार) नियम, रक्षा सेवाओं में असैनिकों के (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम तथा रक्षा सेवाओं में असैनिकों के (अस्थायी सेवा) नियम।

शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय

२०६. **सेठ गोविन्द दास:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और मैसूर के राज्यों में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): १९५२-५३ के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२] इसी प्रकार की १९५३-५४ की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

सैन्य कर्मचारिवृन्द दल में छंटनी

२०७. **श्री गिडवानी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब भारतीय सैन्य दल भंग किया गया था तो भारतीय सैन्य दल के क्लर्क सैन्य कर्मचारीवृन्द दल में भेज दिए गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे नौकरी से निकाले जा रहे हैं; तथा

(ग) यदि हां तो इस के कारण क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, १९४९ में किसी समय भारतीय सैन्य क्लर्क दल (आई० ए० सी० सी०) के भंग किए जाने पर उस में काम करने वाले सारे क्लर्क जी० डी० क्लर्कों (कर्मचारिवृन्द कार्य) के रूप में सैन्य सेवा दल में भेज दिये गये थे ।

(ख) नहीं, उनको साधारण रीति से ही, सेवा काल के पूर्ण हो जाने पर, या जितने समय के लिए रखे गए थे उसके समाप्त हो जाने पर, या अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के किए जाने पर निकालना पड़ा या इस लिए निकालना पड़ा कि वे स्वास्थ्य के आधार पर काम करने के योग्य नहीं थे ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

असैनिक रक्षा संस्थापन

२०८. **श्री सी० आर० चौधरी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक रक्षा संस्थापनों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन संस्थापनों में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या अलग अलग कितनी है ;

(ग) कर्मचारियों के इन अनेक वर्गों के कुल वेतन-बिल अलग अलग कितनी राशि के हैं; तथा

(घ) इन संस्थापनों में काम करने वाले विदेशी राष्ट्रजनों की कुल संख्या तथा उनके नाम, उनके वेतन तथा उनकी सेवा के विशेष निबंधन यदि कोई हों, तो वे क्या हैं?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) रक्षा संस्थापनों की संख्या, जिनमें असैनिक व्यक्ति कार्य करते हैं, २००२ हैं ।

(ख) (१) गजेटेड २,१४०

(२) नान गजेटेड (औद्योगिक) १,३४,४०२

(३) नान गजेटेड (अनौद्योगिक) १,०६,५४०

नोट : इन में वायुबल के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं जो एकत्रित किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रखे दिये जायेंगे ।

(ग) (१) गजेटेड : ६,८०,५७७ रुपये

(२) नान गजेटेड (औद्योगिक) : ६१,१२,०१९ रुपये

(३) नान गजेटेड (अनौद्योगिक): ४७,२०,५४७ रुपये

नोट : इन में सेना के असैनिक संस्थापनों के तथा वायुबल के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के वेतन-बिलों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं जो एकत्रित किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(घ) ८४ ।

विदेशी नागरिकों के नामों, उनके वेतनों तथा विशेष निबंधनों का, यदि कोई हों, एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिए **परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**]

राष्ट्रीय छात्र सेना दल (बालिका शाखा)

२०९. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष में, विभिन्न हाई स्कूलों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल (बालिका शाखा) की एक छोटी टुकड़ी संगठित करने का विचार कर रही है।

(ख) यदि हां तो ऐसे छात्र सैनिकों का प्रस्तावित लक्ष्य कितना है ; तथा

(ग) इन छात्र सैनिकों को प्रशिक्षण देने में होने वाला व्यय कितना होगा ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) हां।

(ख) बालिका शाखा की ७९ छोटी टुकड़ियां चालू वर्ष में हाई स्कूलों में संगठित की जाएंगी जिनमें ७९ महिला अधिकारी होंगे तथा २३७० बालिका छात्र सैनिक होंगे।

(ग) इस में लगभग ४,९०,००० रुपये का खर्च होगा ।

नव-साक्षरों के लिये विश्वकोष

२१०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवसाक्षरों तथा वयस्कों के लिये एक लोकोपयोगी विश्वकोष तय्यार करने का कार्य आरम्भ हो गया है; तथा

(ख) यदि हां तो यह कार्य कब समाप्त हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) प्रथम अंक तय्यार हो गया है तथा शीघ् ही प्रकाशित हो जायेगा । इस कार्य के समाप्त होने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं निर्धारित की गई है।

अमरीकी-भारतीय कार्यकरण करार

२११. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५३ तथा १९५४ में कितने अमरीकी-भारतीय कार्यकरण करारों तथा अनुपूरक करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) अगस्त १९५४ तक होने वाले कार्यकरण करारों में से प्रत्येक के अन्तर्गत कितने अमरीकी विशेषज्ञ भारत में कार्य कर रहे हैं; तथा

(ग) क्या सरकार इन अधिकारियों को कोई वेतन, मानवेतन, दैनिक भत्ता या सफर खर्च देती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) १९५३ में ६ कार्यकरण करारों तथा ७ अनुपूरक करारों पर हस्ताक्षर हुए थे तथा १९५४ में आज की तिथि तक १४ कार्यकरण करारों तथा ११ अनुपूरक करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं ।

(ख) एक विशेषज्ञ कार्यकरण करार न० ४ के अन्तर्गत कार्य कर रहा है तथा एक कार्यकरण करार न० ५ के अन्तर्गत कार्य कर रहा है ।

(ग) सरकार इन अधिकारियों को कोई भी वेतन, मानवेतन या दैनिक भत्ता नहीं देती है परन्तु जब वे सरकारी कार्य से भारत में यात्रा करते हैं तो इन की यात्रा के वास्तविक व्यय का भार वहन करती है ।

प्रादेशिक सेना

२१२. **चौ० रघुवीर सिंह**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना की भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिये बनाई गई उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रणा समिति की १९५३-५४ में कितनी बैठकें हुईं; तथा

(ख) उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) एक ।

(ख) समिति की रचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]

सोने की जब्ती

२१३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५४ से चौथानियन से प्राप्त जब्त किये गये सोने की मात्रा तथा मूल्य कितना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): १ जनवरी १९५४ से लेकर ३० जून १९५४ तक विभिन्न बंदरगाहों तथा भू-सीमा शुल्क चौकियों पर चौर्यानियन से प्राप्त सोने के रूप में जब्त किये गये सोने की मात्रा ७६,९८७ तोले थी तथा वर्तमान बाजार भाव के आधार पर उसका मूल्य ६५,९२,५७२ रुपये था ।

सैनिक टुकड़ी निधि

२१४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक टुकड़ी निधि में सैनिक बल के पदाधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की साधारण दरें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५**]

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षा

२१५. **श्री भागवत झा आजाद:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो योजना के अधीन इंगलैंड तथा अन्य देशों में आजकल कितने भारतीय प्रशिक्षा पा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : कोलम्बो योजना के अधीन इंगलैंड तथा अन्य देशों में प्रशिक्षा पाने वाले भारतीय प्रशिक्षार्थियों की संख्या निम्न है :—

इंगलैंड	५५
अन्य देशों	८४

नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र, हामला

२१६. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में हामला नामक स्थान पर स्थित नौ सेना प्रशिक्षण केन्द्र में आजकल कितने छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) इस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के लिए छात्रों की योग्यताएं क्या होनी चाहिएं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) यह जानकारी प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

(ख) इस प्रशिक्षण केन्द्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये अपेक्षित योग्यता बताने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६**]

सामाजिक कल्याण संस्थाओं को सहायता

२१७. **डा० सत्यवादी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, तथा दिल्ली राज्य की उन सामाजिक कल्याण संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें १९५३-५४ में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड से सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) उन में से प्रत्येक को कितनी सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) तथा (ख). राज्यवार विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७**]

राज्यों के सामाजिक कल्याण बोर्डों को आर्थिक सहायता

२१८. **डा० सत्यवादी:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ के लिये सामाजिक कल्याण बोर्डों को आर्थिक सहायता देने के लिये पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली राज्यों से अलग अलग कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) तथा (ख). राज्यवार विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८**]

हीरे की खानें

२१६. **श्री बी० डी० शास्त्री:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हीरे की खानें कितनी हैं ,

(ख) ऐसी खानें कितनी और किन स्थानों पर हैं जहां हीरे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं;

(ग) पन्ना में प्रति वर्ष निकाले जाने वाले हीरों का अनुमानित मूल्य कितना है, और

(घ) हीरों के खान से निकालने पर होने वाले व्यय में और उन से प्राप्त होने वाले लाभ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कितना कितना हिस्सा रहता है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लोक-सभा

बृहस्पतिवार,
२ सितम्बर, १९५४

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

Preservation Unit
1-4-82
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सोमवार २३ अगस्त, १९५४	
श्री सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
मेज पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

	स्तम्भ
सदस्य द्वारा पदत्याग	२१
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—अस्माप्त	२२—९६
मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४	
आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य।	९७—१०४
पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	१०४
हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा	१०४
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार	१०४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि	१०४-१०५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त	१०५—१८८
बुधवार, २५ अगस्त, १९५४	
पटल पर रखे गये पत्र—	
संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना	१८९
संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३	१८९-१९०
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन	१९०
परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश	१९०-१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश	१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण	१९१-१९२
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार	१९२
सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें	१९२
प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में :	
विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना	१९२
वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन	१९२
सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन	१९२
"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना	१९३-१९४
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१९३-२०७
तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वृद्धि	२०७-२०८
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त	२०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५१

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५१—५१

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १५ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्दमेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . ८५१—८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—
ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन
पटल पर रखे गये पत्र—
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . ८५९—
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक—
खंडवार विचार—असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र —
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन—
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००२
सभा का कार्य—बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२—१००५
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . . १००६—१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . १०६९-१०७०

	स्तम्भ
़तीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . .	१०७०
़ीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . .	१०७०
़ीय प्रशासन सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
़िय पुलिस सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
़िय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७०
़िय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४ . .	१०७१
़ीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ .	१०७१
़ीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ .	१०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ . . .	१०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम	१०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७१—१०७८
़न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	१०७९—१११८
़ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१११८
़ तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत	१११८—११६६
़िकर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त	११६६—११६८

़ुवार ११ सितम्बर, १९५४

़न पर रखे गये पत्र—	
़ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें .	११६९
़ा० सदस्य की दोष-सिद्धि	११६९—११७०
़धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त .	११७०—१२०२
़रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य .	१२०२—१२०५
़तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	१२०६
़त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	१२०६—१२१२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक-सभा

मंगलवार, २ सितम्बर, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९–१६ म० पू०

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न का,जो टी० के० चौधरी जी के द्वारा पूछा गया था, उत्तर देते हुए मैं ने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से परामर्श करना होगा । वास्तव में वह पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक है जिस से पूंजी विनियोग निगम के सम्बन्ध में परामर्श करना होगा ।

पटल पर रखा गया पत्र

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १४

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम,

१९५२ की धारा (९) की उपधारा २ के आधीन भारत परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १४ दिनांक १७ अगस्त, १९५४ की एक प्रति को सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एस–२७३/५४]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त तीन संदेशों की सूचना देनी है ।

(१) कि राज्य सभा ने औषधि (संशोधन) विधेयक १९५४ को अपनी ३१ अगस्त, १९५४ की बैठक में पारित कर दिया है ;

(२) कि राज्य सभा ने रेलवे सामान (अवैध कब्ज़ा) विधेयक, १९५४, को अपनी ३१ अगस्त, १९५४ की बैठक में पारित कर दिया है; तथा

(३) कि राज्य सभा ने दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ को अपनी ३१ अगस्त, १९५४ की बैठक में पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

सचिव ने राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक पटल पर रखे :—

१. औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४।

२. रेलवे सामान (अवैध कब्ज़ा) विधेयक, १९५४ ।

[सचिव]

३. दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

विशेष विवाह विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : हम राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विशेष विवाह विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

खंड २-- (परिभाषायें)

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : खंड २ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह परिभाषा खंड है तथा मैं विधि मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह 'व्यभिचार' शब्द की परिभाषा करें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि परिभाषा खंड में शब्द 'व्यभिचार' की परिभाषा भी शामिल हो, क्योंकि यदि इस खंड को बिना संशोधन किये ही छोड़ दिया जायेगा तो आगे चल कर 'व्यभिचार' की व्याख्या करनी कठिन होगी । सीधी बात यह है कि इस समय हम खंड २ पर विचार करना उपस्थगित कर दें तथा खंड ३ को लें तथा यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह इस सम्बन्ध में माननीय विधि मंत्री से चर्चा कर सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं एक मध्यमार्ग का सुझाव दूंगा, कि यदि माननीय मंत्री मेरे तर्कों को स्वीकार कर लें तो खंड २७ के आधीन व्याख्या के रूप विशेष परिभाषा की जा सकती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं ने इस आशय का एक संशोधन दिया था कि "पति अथवा पत्नी के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति से सम्भोग करता/करती है" शब्दों को प्रति स्थापित किया जाय । ऐसा करने से व्यभिचार शब्द की परिभाषा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय विधि मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करना चाहते हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं इस की प्रक्रिया आप पर छोड़ता हूं । मैं किसी भी प्रक्रिया को स्वीकार करने को प्रस्तुत हूं । यदि आप कहें कि विधेयक का परिभाषा खंड तब तक उपस्थगित रहे जब तक कि अन्य भागों का निपटारा न हो जाय और तब यदि जोड़ने घटाने अथवा संशोधन करने के कुछ परिवर्तन करने पड़े तो वे पीछे लिये जा सकते हैं तो इस प्रश्न पर मैं बिल्कुल आप के हाथ में हूं ।

किन्तु जहां तक वर्तमान प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावित संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं । वास्तव में हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक के सम्बन्ध में, जो कि इस समय संयुक्त समिति के समक्ष है, यह प्रश्न उठाया गया था । वहां हम ने व्यभिचार को विवाह के भंग होने अथवा विवाह-विच्छेद का आधार बनाया था । हम ने यह भी कहा था कि किसी स्त्री से, अथवा किसी ऐसी स्त्री या पुरुष से संभोग करने पर जो उस की पत्नी या पति नहीं है इस विधेयक के उपबन्धों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी । यदि यह प्रस्थापित किया जाय तो इसे लिया जा सकता है तथा इसी सम्बन्ध में व्यभिचार का भी प्रश्न लिया जा सकता है । विवाह-विच्छेद विधियों में व्यभिचार का एक महत्वपूर्ण स्थान है । इस कारण किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिये । यदि इस के क्षेत्र को विस्तृत करने की प्रस्थापना हो तो यह दूसरी बात है । इसे पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावित किया गया है किन्तु शब्द व्यभिचार का एक विशेष अर्थ होता है--क्योंकि यह शब्द सभी विवाह-विच्छेद अधिनियमों में

प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय दंड संहिता में व्यभिचार की परिभाषा दूसरे प्रकार से दी हुई है। इस के अर्थ हैं किसी ऐसे पुरुष का विवाहित स्त्री से सम्भोग करना जो उस की पत्नी न हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं, इस प्रश्न पर माननीय सदस्य तथा मंत्री महोदय बाहर चर्चा कर लें। यहां मैं केवल प्रक्रिया सम्बन्धी अंग से ही सम्बन्धित हूं। इसलिये मैं इस समय खंड २ के सम्बन्ध में प्राप्त हुए समस्त संशोधनों को लूंगा तथा अभी खंड २ को मतदान के लिये प्रस्तुत नहीं करूंगा। २७ खंड तक पहुंचने तक यदि माननीय सदस्य तथा मंत्री महोदय किसी संशोधन पर सहमत हो जायेंगे तो उसे स्वीकार कर लिया जायेगा। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह अग्रेतर संशोधन भी प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्या डा० जयसूर्य अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री जयसूर्य (मेदक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ की पंक्ति १६ में शब्द "Agent" ("एजेन्ट") के पश्चात् "appointed by the Govt. of India" ("भारत सरकार द्वारा नियुक्त") शब्द आदिष्ट किये जायें।

पृष्ठ १ की पंक्ति २० में शब्द "Commission" ("आयोग") के पश्चात् "appointed by the Govt. of India" ("भारत सरकार द्वारा नियुक्त") शब्द आदिष्ट किये जायें।

अध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सूची संख्या ५ में मौजूद हैं।

श्री बिस्वास : ये दोनों संशोधन नितान्त अनावश्यक है। वाणिज्य अधिकारी निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जायेगा क्योंकि हम विदेशी सरकारों के वाणिज्य अधिकारियों पर शुल्क नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि मेरे माननीय मित्र सामान्य खंड अधिनियम की धारा २१४ को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि परिभाषा में यह नहीं बताया गया है कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होना चाहिये। इसलिये यह नितान्त अनावश्यक है।

डा० जयसूर्य : मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता हूं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : क्या मैं इस सत्य की ओर आप का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं कि प्रकाशित संचित सूची परिचालित नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह संचित सूची सुविधा के लिये एक अतिरिक्त सूची है। इस में सूची संख्या ७ शामिल नहीं है। इस दृष्टिकोण से यह परिचालित नहीं की गई है।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फर्रुखाबाद-उत्तर) : मैं ने वर्जित पीढ़ियों के सम्बन्ध में एक संशोधन की सूचना दी है। मेरा संशोधन यह है कि यदि रूढ़िगत विधि के अनुसार उन का विवाह वर्जित है तो उन को वर्जित पीढ़ियों में ही समझा जाये। विशेष विवाह विधेयक में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार चचा ज़ाद भाइयों के बच्चे भी परस्पर विवाह कर सकते हैं। ऐसी बात हिन्दू समाज के लिये घृणित है तथा उन में अचलित भावनाओं के प्रतिकूल है। मेरा निवेदन है कि इस को रूपान्तरित किया जाये तथा विधि ऐसी ही होनी चाहिये जैसी कि वह इस समय है, अर्थात् हिन्दुओं में वर्जित पीढ़ियां वही रहें जो इस समय हैं। इस प्रकार जनता की भावनाओं का आदर किया जायेगा। ऐसा न किये जाने पर समाज विश्रंखल हो जायेगा। यदि यह बात हिन्दुओं के मनोभावों के विरुद्ध

[श्री मूलचंद दुबे]

है तो कोई कारण नहीं है कि इसे इस समय रखा ही जाये ।

श्री बिस्वास : मैं इस संशोधन को केवल इस कारण से स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि यदि मेरे माननीय मित्र अनुसूची में दी हुई सूची को जोड़ना अथवा घटाना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं । किन्तु इस स्थान पर, जहां कि वर्जित सम्बन्धों की परिभाषा दी हुई है, रूढ़ि का निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है । यह विधि केवल हिन्दुओं के लिये ही नहीं है प्रत्युत सभी व्यक्तियों के लिये है, इसलिये यहां सामान्य अर्थों में हिन्दू विधि के अनुसार वर्जित सम्बन्धों की परिभाषा करना ठीक नहीं होगा । केवल यही किया गया है कि स्वीकार किया गया सूत्र वह है जो दूसरे स्थानों की विवाह विधियों में माना गया है । हम ने एक सूची दे दी है जिस से यह जानना नितान्त सरल है कि किन स्त्री अथवा पुरुष के बीच शादी की अनुमति नहीं दी जा सकती है । अब यदि आप यहां रूढ़ि को इसलिये स्थान देते हैं क्योंकि हमें हिन्दू विधि के विशेष नियमों को परिरक्षित रखना है तो यह ठीक नहीं होगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि मेरे माननीय मित्र सूची में कुछ जोड़ना चाहते हैं अथवा उस सूची में से किसी नाम को हटाना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है; वह अनुसूची पर चर्चा होते समय किया जा सकता है और उस समय माननीय सदस्य अपने संशोधन रख सकते हैं । इसलिये मैं खंड २ के उपखंड (क) के आधीन वर्जित सम्बन्धों की परिभाषाओं की व्याख्या के रूप में संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं ।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : मेरे संशोधन में शब्द "अभिभावक" की परभाषा दी गई है । मैं ने खंड ४ (ग) के सम्बन्ध में आयु को २१ से कम कर के १८ कर देने का संशोधन प्रस्तुत किया है । उस में यह कहा गया है कि जिस की आयु २१ वर्ष न हो परन्तु उस ने १८ वर्ष पूरे कर लिये हों तो उस का विवाह अभिभावक--माता अथवा पिता की सहमति से हो सकता है और इसलिये शब्द अभिभावक की परिभाषा करना आवश्यक हो जाता है ।

श्री बिस्वास : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं । आशा है कि सभा भी इसे स्वीकार करेगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये अभिभावक को प्राथमिकता दिये जाने के विषय में मुझे कुछ संशय है । न्यायालय द्वारा अभिभावक तब नियुक्त किये जाते हैं जब पिता सम्पत्ति की देखरेख करने योग्य नहीं होता है । परन्तु जहां तक मानवीय सम्बन्धों का प्रश्न है यह निश्चित है कि पिता सम्पत्ति का न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक के मुक़ाबले में अधिक उत्तम तथा पक्षपातरहित अभिरक्षक हो सकता है ।

इस विषय पर प्रवर समिति में भी चर्चा हुई थी । मेरा विचार है कि जहां तक विवाह का प्रश्न है पिता को प्राथमिकता मिलनी चाहिये और सम्पत्ति के प्रबन्ध में न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक को प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मुझे यह निवेदन करना है कि दी गई परिभाषा दोषपूर्ण है । इस की कार्यान्विति में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । श्री वेंकटरामन् के संशोधन में न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित अभिभावक का निर्देश है । इस प्रकार तो प्रत्येक विवाह के लिये न्यायालय को अभिभावक नियुक्त करने पड़ेंगे । यह कठिनाई केवल उसी दशा में

दूर हो सकती है जब कि शब्द 'अभिभावक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत' जोड़ दिये जायें ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि अभिभावक की स्वीकृति का विचार केवल उसी अवस्था में किया जायेगा जब कि विवाहित किये जाने वाले व्यक्ति के माता या पिता जीवित हों । अनाथों के मामलों में क्या होगा ? प्रत्येक अनाथ के लिये तो न्यायालय अभिभावक नियुक्त करता नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि खंड २ में शब्द 'अभिभावक' को रखने के स्थान पर यह प्रावधान किया जाये कि जब सहमति प्राप्त करना आवश्यक समझा जाये तो हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि अभिभावक कौन है ।

श्री एस० एस० मोरे : विवाह की स्वीकृति दिये जाने के विषय में न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक को लाने का मैं विरोध करता हूं । मैं हिन्दुओं की बात कर रहा हूं । मान लीजिये कि प्रतिपाल्य एक जाति विशेष का है और अभिभावक किसी अन्य जाति का है, तो उस के प्रतिपालक की जाति के रीति रिवाजों से परिचित न होने से उलझनें पड़ सकती हैं । इसलिये मैं प्रवर समिति द्वारा दी गई परिभाषा को ठीक समझता हूं । प्रवर समिति ने यह सुझाव दिया है कि यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के लिये अभिभावक की स्वीकृति अपेक्षित हो तो इस स्वीकृति को देने का अधिकार पिता को और पिता के बाद माता को होगा । परन्तु यह भी सुझाव है कि सौतेला पिता और सौतेली मां इस के अन्तर्गत नहीं आते हैं । अतः इस सिफ़ारिश के अनुसार न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक का कोई स्थान ही नहीं है ।

एक अन्य समस्या को देखिये । इतने सारे शरणार्थी आये हैं और उन में से कुछ अनाथ भी हैं । यदि यह खंड ऐसे ही रहता है तो माता पिता के जीवित रहते, चाहे वह कहीं भी क्यों न हों, और किसी व्यक्ति को सहमति देने का अधिकार नहीं होगा । इस खंड के न जाने कितने निर्वाचन किये जायेंगे । श्री वेंकटरामन् के संशोधन के स्वीकार कर लिये जाने पर भी स्थिति में अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा । अतः मेरी विधि मंत्री से यह प्रार्थना है कि वह इन सब बातों पर फिर से सोच विचार करें । हम सब इस पर मिल कर विचार करें । इस से इतनी उलझनें पैदा होंगी जिन के परिणामस्वरूप स्वयं विवाह के शून्य घोषित कर दिये जाने की संभावना हो सकती है । बच्चों पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि विधिवत विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न बच्चों को अवैध घोषित कर दिया जायेगा । अतः कोई निर्णय करने से पहले हमें इस की सभी उपलक्षणाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला–शिमला) यह विषय विधि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । शब्द 'अभिभावक' कोई निरपेक्ष शब्द नहीं है अपितु वह एक सापेक्ष शब्द है । अभिभावक किसी प्रतिपाल्य का होना चाहिये और भारतीय संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रतिपाल्य का अल्पवयस्क होना आवश्यक है । केवल दो अपवादों के अतिरिक्त हम १८ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति का कोई अभिभावक होना चाहिये इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ।

अपवाद यह हैं । प्रत्येक राज्य में एक प्रतिपालन अधिनियम है, परन्तु कभी कभी स्वयं न्यायालय ही अभिभावक का कार्य करता है । अठ्ठारह वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति का अभिभावक न्यायालय हो सकता है । अतः १८ वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति किसी प्रतिपालन के प्रति उत्तरदायी नहीं है क्योंकि वह प्रतिपाल्य नहीं है और प्रतिपाल्य हो भी नहीं सकता है । वह तो अपने पिता क

[श्री टेक चन्द]

प्रतिपाल्य भी नहीं होता है। पिता का नाता बना रह सकता है परन्तु पिता की अभिभावकता १८ वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् समाप्त हो जाती है।

एक क्षण के लिये यदि यह मान भी लिया जाये कि अभिभावक होते हैं तो वह भी दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त। प्राकृतिक अभिभावक माता-पिता होते हैं और विवाहित महिला के विषय में उस का पति होता है। न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक व्यक्ति के लिये हो सकता है तथा सम्पत्ति के लिये भी हो सकता है। इस मामले में यदि उसे प्रस्तावित विवाह सम्बन्ध पर स्वीकृति देनी है तो क्या वह सम्पत्ति के अभिभावक के रूप में स्वीकृति देगा अथवा व्यक्ति के अभिभावक के रूप में। इस विषय पर अधिकाधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है, और इसीलिये प्रवर समिति ने आयु सीमा को १८ से बढ़ा कर २१ किया था क्योंकि २१ वर्ष से कम आयु वाले को अभिभावक की आवश्यकता ही नहीं है और इसलिये यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह कठिनाई इस प्रकार दूर की गई थी।

तीसरे, यह क़ानून उन व्यक्तियों में जिन के माता पिता जीवित हैं अथवा जिन के अभिभावक हैं तथा जिन व्यक्तियों के माता पिता तथा अभिभावक नहीं हैं एक प्रकार का भेदभाव करता है। चाचा या बड़े भाई को क़ानून अभिभावक मानेगा नहीं, विधान में इस की परिकल्पना की ही नहीं गई है। परिणाम यह होगा कि उन व्यक्तियों के मामलों में, जिन के माता पिता न हों, जिन के कोई अभिभावक नियुक्त न किये गये हों और जिन की सम्पत्ति कोर्ट आफ़ वार्ड्स के अधीन हो, समाज उन की सहायता नहीं करेगा, उन का मार्गप्रदर्शन नहीं करेगा और न उन के विवाहादि के मामले में कुछ कह सकेगा। ऐसी परिस्थिति में सर्वोत्तम उपाय प्रवर समिति के सुझाव के अनुसार आयु को बढ़ा कर २१ वर्ष कर देना है। इस संशोधन से उलझनें बढ़ेंगी और क़ानूनी कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व) : मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम यह निर्धारित करते हैं कि विवाह की अवस्था वयस्कावस्था अर्थात् १८ साल होगी तो फिर संरक्षकों के पुरःस्थापन की क्या आवश्यकता है। १८ साल की अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना काम करने व अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के योग्य हो जाता है और विधि भी उस पर कोई निर्योग्यता लागू नहीं करती है। भारतीय वयस्कता अधिनियम ने जो यह विभेद पुरःस्थापित कर दिया है कि वैसे तो एक व्यक्ति १८ वर्ष की आयु में पूर्ण वयस्क माना जायेगा परन्तु यदि उस का अथवा उस की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त हो गया है तो वह २१ वर्ष की अवस्था में वयस्क होगा इस बात में कोई तर्क नहीं दिखाई देता। कम से कम विवाह अधिनियम में तो हम इस बात का पुरःस्थापन न करें। १८ और २१ दो अवस्थाओं में से हम को एक विवाह की अवस्था निश्चित कर लेना चाहिए। भारतवर्ष में १८ वर्ष की अवस्था में व्यक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है अतः इसी को हमें विवाह-अवस्था स्वीकार कर लेना चाहिए। यह विभेद स्थापित करना, कि यदि एक व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त हो गया है अथवा उस के माता पिता जीवित हैं तो १८ वर्ष से २१ वर्ष की उम्र तक विवाह के लिये उस को उन की स्वीकृति की आवश्यकता होगी अन्यथा १८ वर्ष की अवस्था ही पर्याप्त है, बड़ा दोषपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद १४ के विरुद्ध है।

[**सरदार हुकम सिंह** पीठासीन हुए]

मैं इस पक्ष का समर्थन करता हूं कि विवाह की उम्र २१ से १८ कर दी जाये और मैं इस संशोधन के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं अपने पूर्व वक्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का समर्थन करता हूं । अवयस्क के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दो प्रकार के संरक्षक नियुक्त किये जाते हैं–– सम्पत्ति का संरक्षक तथा उस का अपना संरक्षक । व्यक्ति का संरक्षक न्यायालय माता या पिता को ही बनाता है बशर्ते कि उन में पुनर्विवाह इत्यादि से सम्बन्धित कोई दोष नहीं है । संरक्षकों की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य वास्तव में अवयस्क की सम्पत्ति की रक्षा करना है । इस बात में कोई तर्क नहीं दिखाई देता कि क्योंकि किसी व्यक्ति के लिये संरक्षक नियुक्त हो गया है अतः १८ वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर वह अपने विवाह की बातचीत नहीं कर सकता जब कि दूसरा व्यक्ति, जिस के लिये न्यायालय द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त हुआ है, वैसा करने को पूर्ण स्वतंत्र है ।

न्यायालय द्वारा नियुक्त हुये संरक्षक की अनुमति वाला उपबन्ध भी मेरे विचार में बिल्कुल अनावश्यक है और इसको निकाल देना चाहिए । जैसे ही एक अवयस्क, जिस के लिये न्यायालय द्वारा एक संरक्षक नियुक्त हुआ है, १८ वर्ष की उम्र में पहुंचता है, उस को अन्य व्यक्तियों की भांति ही अपना विवाह करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : मैं अपने मित्र श्री वेंकटारमन् द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं ।

इस संशोधन के प्रति विशेष आपत्ति यह है कि १८ वर्ष की अवस्था के बाद व्यक्ति पर विवाह सम्बन्धी कोई बन्धन लागू न किया जाये । वास्तव में यह विधेयक विशेष विवाह के विनियमन से सम्बन्धित है और इस के दूसरे ही विधि सम्बन्धी परिणाम निकलते हैं । इस का साधारण हिन्दू अथवा मुसलमान विधियों के अनुसार होने वाले विवाहों से कोई सम्बन्ध नहीं । भाव यह है कि इस विचार से कि २१ वर्ष की अवस्था से ऊपर वाला व्यक्ति १८ और २१ के बीच की अवस्था वालों के मुकाबले में विवाह के परिणामों को अधिक अच्छी तरह समझ सकता है, यह सोचा गया कि १८ और २१ के बीच की अवस्था वालों के लिये कुछ पूर्वोपाय किये जायें । यह बात भी तभी है जब कि विवाह के पूर्व न्यायालय द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त कर दिया गया हो अथवा माता या पिता जीवित हों कि इस संशोधन के अन्तर्गत संरक्षक की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

यह सुझाव रखा गया है कि कहां सम्पत्ति का संरक्षक समझा जाये और कहां व्यक्ति का उस में भ्रम हो सकता है । मैं इस से सहमत हूं और आशा करता हूं कि मेरे मित्र 'संरक्षक' शब्द के बाद 'व्यक्ति' शब्द जोड़ने में आपत्ति नहीं करेंगे ।

मेरे मित्र श्री टेक चन्द ने एक बात उठाई थी कि १८ वर्ष के बाद संरक्षक का कुछ अधिकार नहीं रहेगा । संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षक का अधिकार व्यक्ति पर २१ वर्ष की आयु तक रहता है । थोड़े समय को यह मान लिया जाये कि जो कुछ मेरे मित्र कहते हैं वह ठीक है और १८ वर्ष की उम्र के बाद संरक्षक का कोई काम नहीं रह जाता तो स्पष्टतः ऐसे संरक्षक की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं––वह चला जाता है ।

श्री टेक चन्द : वस्तुतः म ठीक कहता हूं ।

श्री रघुरामैया : दूसरी बात यह उठाई गई है कि बाप के रहते हुये किसी अन्य संरक्षक की बात को प्राथमिकता देना उचित नहीं है ।

[श्री रघुरामैया]

बाप के अतिरिक्त अन्य संरक्षक को न्यायालय उसी समय नियुक्त करता है जब बाप में पुनर्विवाह इत्यादि का कोई दोष पाया गया हो अतः उस बात के उठाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

किसी के द्वारा विभेद की बात उठाई गई थी । वास्तव में संशोधन का तात्पर्य यह है कि यदि एक व्यक्ति २१ से नीचे है तो ऐसे मामलों में जहां कि न्यायालय अथवा पिता या माता के द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है कुछ अतिरिक्त पूर्वोपाय करना आवश्यक है और यदि एक व्यक्ति के न पिता है, न माता और न न्यायालय द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त हुआ है तो उस को स्वेच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय सदस्य ने संशोधन के अर्थ को गलत समझा । यदि यह संशोधन स्वीकृत हो जाता है और विवाह की उम्र १८ कर दी जाती है, जैसा कि खंड ४ से स्पष्ट होता है, तो विवाह के पंजीयन से पूर्व किसी संरक्षक की स्वीकृति आवश्यक होगी । ऐसी अवस्था में व्यक्ति को किसी के लिये अपना संरक्षक बनाना पड़ेगा, अन्यथा उस का विवाह अवैध हो जायेगा ।

श्री रघुरामैया : यह बात केवल उनके लिय लागू होगी जिन का संरक्षक पहले से नियुक्त है । संरक्षक के न होने पर किसी की स्वीकृति आवश्यक नहीं ।

एक बात यह उठाई गई है कि चाचा चाची तथा माता पिता में कोई विभेद क्यों समझा जाय । यह बात बड़ी स्पष्ट है कि जितने निःस्वार्थ भाव से माता पिता युवक अथवा युवती के जीवन के बारे में सोच सकेंगे उतनी अच्छी तरह चाचा चाची नहीं । अतः मैं 'of the person' ('व्यक्तिक') शब्द और जोड़ने का सुझाव देता हूं और संशोधन का समर्थन करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान् मेरे दृष्टिकोण से हम इस बात पर समय से पूर्व चर्चा कर रहे हैं । इस संशोधन के अनुसार यदि २१ विवाह की उम्र निश्चित होती है तो प्रश्न यह आता है कि संरक्षकों को रखा जाय अथवा नहीं ।

मेरे कुछ माननीय मित्रों की राय में १८ वर्ष की आयु में लड़के-लड़कियों में काफी समझ आ जाती है जब कि कुछ अन्य लोगों की राय यह है कि ऐसा अपवादस्वरूप हो सकता है किन्तु वैसे उनमें अपना अच्छा-बुरा समझने की समझ नहीं आ पाती है । ऐसी दशा में संरक्षक की अनुमति यदि आवश्यक कर दी जाती है तो इस में उन्हीं का हित होगा । मेरी राय में श्री राघवाचारी ने ठीक ही कहा है कि सम्पत्ति के संरक्षक तथा व्यक्ति के संरक्षक में स्पष्ट विभेद होना चाहिये ।

हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों विधियों के अनुसार लड़की १६ वर्ष की आयु में वयस्क समझी जाती है किन्तु हिन्दू विधि के अनुसार लड़के भी १६ वर्ष की आयु में वयस्क हो जाते हैं । भारतीय वयस्कता अधिनियम के अन्तर्गत लड़के तथा लड़कियां दोनों ही १८ वर्ष की आयु में वयस्क माने जाते हैं । अतः इस का अर्थ यह भी हुआ कि वे विवाह भी कर सकते हैं । इसलिये यदि लड़के के लिये २१ वर्ष तक तथा लड़की के लिये १८ वर्ष उचित आयु निर्धारित की जाती है तो फिर संरक्षक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती किन्तु यदि संरक्षक की अनुमति का प्राप्त करना आवश्यक ही माना जाता है तो वह व्यक्ति के संरक्षक की मानी जानी चाहिये । कभी-कभी अनाथों अथवा अल्पवयस्कों के लिये न्यायालय को भी संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है । कभी कभी संरक्षक का धर्म दूसरा होने पर विवाह में उचित राय के सम्बन्ध में कठिनाई

उपस्थित हो सकती है। ऐसी दशा में न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

विधि के अनुसार भी उचित मां बाप के न होने पर संरक्षक की आवश्यकता होती है। अतः संरक्षक की अनुमति ऐसी दशा में आवश्यक हो जाती है। मैं श्री टेक चन्द के इस कथन से सहमत नहीं कि १८ वर्ष की आयु होने पर ऐसे संरक्षक की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरी समझ से विधि यह है कि जहां संरक्षक होगा वहां २१ वर्ष की आयु से लड़का वयस्क समझा जायगा। अधिकांशतः तो माता पिता उचित होंगे ही, और जहां कहीं नहीं होंगे वहीं संरक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता होगी और ऐसी दशा में माता-पिता के बजाय संरक्षकों की राय ली जायगी।

श्री साधन गुप्त के इस कथन से मैं सहमत नहीं कि जिन में संरक्षक नहीं नियुक्त किये जाते हैं और अनाथ बच्चों को स्वयं ही सम्पूर्ण दायित्व संभालना पड़ता है वे अधिक अनुभवी एवं व्यवहारकुशल हो जाते हैं।

अतः मैं श्री वेंकटरामन् से निवेदन करूंगा कि वह "व्यक्ति के संरक्षक" इन शब्दों को संशोधन में रखें तो अधिक अच्छा होगा अन्यथा इस मामले में सम्पत्ति के संरक्षक का कोई भी महत्व नहीं होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इस कारण इस उपखण्ड को आयु के प्रश्न के अन्तिम निर्णय तक अवश्य रहने देना चाहिये। संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा ४ (२) में भी दो प्रकार के संरक्षकों की व्यवस्था की गई है। पंजाब, इलाहाबाद तथा अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा यह अनेक बार कहा जा चुका है कि वैयक्तिक सम्पत्ति का संरक्षक विवाह के सम्बन्ध में संरक्षक नहीं माना जायगा। इस अधिनियम का विवाह सम्बन्धी संरक्षक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि उस की नियुक्ति की जा सकती है किन्तु उस को अल्पवयस्क के विवाह करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि संरक्षक को, चाहे वह सम्पत्ति का हो अथवा व्यक्ति का, सम्पूर्ण अधिकार दे दिये जायेंगे यहां तक कि उसे विवाह करने तक का अधिकार भी होगा।

श्री वेंकटरामन् के कथन में एक बहुत बड़ी कमी है। उन्हों ने कहा है कि "ऐसे किसी संरक्षक की अनुपस्थिति में"--यह संरक्षक तो ऐसा होता है जिस की नियुक्ति संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत की गई है—"पिता और पिता के पश्चात् माता" संरक्षिका होगी। किन्तु यदि माता-पिता न हों तो क्या होगा। हिन्दू विधि के मिताक्षरा के अन्तर्गत तो विवाह के लिये संरक्षक सब से पूर्व पिता, पितामह, भाई और उस के पश्चात् माता का स्थान रखा गया है। अतः भाई का अधिकार भी इस सम्बन्ध में होना चाहिये। इस कारण प्रत्येक मामले में पिता को रखना उचित नहीं होगा। यदि पिता ने अपने स्त्री बच्चों को छोड़ दिया हो तो ऐसी दशा में माता को पिता से परामर्श लिये बिना पुत्री का विवाह करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। खण्ड २ को अभी रहने देना चाहिये जैसा कि श्री मोरे ने कहा है। हम लोग श्री वेंकटरामन् तथा विधि मंत्री से परामर्श कर इस के लिये ऐसा संशोधन बनायें जो सभी स्थितियों में लागू हो। यदि आप वयस्कता की आयु अठारह तथा इक्कीस के बीच रखना चाहते हैं तो उसे इस प्रकार न बनाइये कि वह लागू न हो सके।

सभापति महोदय : माननीय विधि मंत्री की इस सम्बन्ध में क्या राय है ?

श्री बिस्वास : जब यह प्रस्ताव रखा गया था तो मैं अपनी राय दे चुका था कि मैं इस सम्पूर्ण खण्ड को अभी रोकना चाहूंगा किन्तु अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था

[श्री बिस्वास]

कि खण्ड २ के विषय में कार्यसूची पर जितने भी संशोधन हैं उन पर चर्चा की जाय और यदि इस पर मतविभेद हुआ तो उस संशोधन विशेष को मतदान के लिये न प्रस्तुत किया जाय, वास्तविक मतदान तब तक के लिये रोक लिया जाय जब तक कि सम्पूर्ण विधेयक को समाप्त नहीं कर लिया जाता। मैं तो सदा आप लोगों व अध्यक्ष की इच्छानुसार चलता हूं। मैं अपने माननीय मित्रों से भी मिलने का इच्छुक रहता हूं और यह मामला ऐसा है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे सदन के सम्मुख कुछ विचार रखने हैं जो यदि आप चाहें तो मैं अभी भी रख सकता हूं किन्तु यदि सदन की यह इच्छा हो और आप भी सहमत हों तो विवाह की आयु के प्रश्न पर विचार करने के समय तक इस को रोका जा सकता है और मेरा विदम्र निवेदन यह है कि यही बुद्धिवादी उपाय होगा।

सभापति महोदय : तो मेरे विचार में हमें इस संशोधन पर अग्रेतर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। यह अब उठा रखा जायेगा और समय आने पर इस का निर्णय किया जायेगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : खण्ड ४ (ग) के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है। यदि विधि मंत्री का सुझाव यह है कि चर्चा तो अब कर ली जाये किन्तु मतदान उठा रखा जाये, तो मैं इस अवस्था पर कुछ बातें कहना चाहूंगा।

श्री बिस्वास : इस का परिणाम यह होगा कि खंड ४ पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो जायेगी। यदि आप अपने संशोधन पर बोलते हैं तो अन्य संशोधनों की चर्चा के समय उसी तर्क वितर्क की पुनरावृत्ति होगी। इसी लिए मैं समझता हूं कि आप भी उस अवस्था पर बोलना पसन्द करेंगे।

सभापति महोदय : तो इस संशोधन को उठा रखा जायेगा। अब हम अन्य खंड लेंगे। खंड ३।

इस के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। मैं इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

श्री राघवाचारी : मैं एक चीज़ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि खंड २ पर चर्चा उठा रखी जाये, और प्रत्येक शब्द की परिभाषा निश्चित न की जाये तो उस समय जब कि हम उन अन्य खंडों पर विचार करेंगे जिन में उन शब्दों का उल्लेख है, जिन की परिभाषा खंड २ में की गई है, उन के सम्बन्ध में कोई निर्णय करना बहुत कठिन होगा। अतः मेरा निवेदन है कि खंड २ के उन आवश्यक भागों पर जिन में वे शब्द हैं, चर्चा जारी रखी जाये।

श्री बिस्वास : मेरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्य विधि मंत्री से मिल कर इस बात को तय कर लें।

सभापति महोदय : यह ठीक है कि यदि हम इसे छोड़ दें, तो हमें आगे कठिनाइयां पेश आयेंगी। इस लिये इस पर अभी चर्चा करने में कोई हानि नहीं। माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री बिस्वास : जहां तक वर्जित पीढ़ियों के नाते का सम्बन्ध है, संशोधन केवल एक है और इसे निबटाया जा चुका है।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं आप का ध्यान विशेष रूप से स्पष्टीकरण १ में दिये गये खंड की ओर दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"इस सम्बन्ध में यह भी आता है—

(ग) गोद लेने से स्थापित तथा रक्त का सम्बन्ध।"

इस खंड से बहुत भ्रांति पैदा होने का डर है। मेरे विचार में 'गोद लेना' शब्द को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जहां तक हिन्दू विधि का सम्बन्ध है, यह दो प्रकार से हो सकता है—या दत्तक ढंग से या कृत्रिम ढंग से। यदि दत्तक रूप में गोद लिया जाये, तो दत्तक बच्चा गोद लेने वाले पिता के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाता है, अर्थात् गोद लिया हुआ बच्चा न केवल गोद लेने वाले पिता के सम्बन्ध में अपितु उस के अन्य रिश्तेदारों के सम्बन्ध में भी उस के परिवार का सदस्य हो जाता है। कृत्रिम ढंग किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति के रूप में होता है। गोद लिया हुआ बच्चा केवल गोद लेने वाले पिता का पुत्र बन जाता है, उस के भाई का भतीजा नहीं बनता। अतः गोद लेना या तो दत्तक रीति से होना चाहिये या कृत्रिम रीति से। जब आप गोद लेने की बात कर रहे हों, तो आप को यह कहना चाहिये कि गोद लेने की प्रक्रिया से किसी व्यक्ति पर वर्जित पीढ़ियों के सम्बन्ध में कुछ विधियां इस प्रकार लागू होंगी जैसे कि वह उसी परिवार में पैदा हुआ हो। उस अवस्था में जब कि आप ने किसी बच्चे को केवल अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए गोद में लिया हो, वर्जित पीढ़ियों के बनाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : सम्बन्ध की वर्जित पीढ़ियों की इस परिभाषा पर मुझे घोर आपत्ति है। यह इंगलैंड के १९४९ के विवाह अधिनियम से ली गई जान पड़ती है और केवल यही नहीं वरन अनुसूची भी उसी से नकल की गई है।

कितना आश्चर्यपूर्ण है कि हम ने इन सभी रिश्तों नातों की गणना तो कर दी है किन्तु यह नहीं सोचा कि क्या कभी वास्तव में ऐसी बात हो भी सकती है। अतः मुझे इस विशेष खंड पर बहुत आपत्ति है और अंग्रेजी विधि के ऐसे उपबन्धों को, जो भारतीय परिस्थितियों में लागू नहीं होते इस प्रकार अपना लेना भी उचित नहीं है।

अब उस स्पष्टीकरण को लीजिये जिस के शब्द हैं "गोद लेने से स्थापित तथा रक्त का सम्बन्ध"। इस के अनुसार गोद लिये गये पुत्र को भी वह सभी वर्जित पीढ़ियां लागू होंगी जो गोद लेने वाले पिता को लागू हैं। किन्तु यदि ऐसा है तो क्या उस के वास्तविक पिता की पीढ़ियां उस के लिए वर्जित होंगी या नहीं ? वर्तमान विधि के अनुसार तो गोद लिए जाने के तुरन्त पश्चात् उस का अपने वास्तविक परिवार से पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और वह गोद लेने वाले पिता के परिवार का सदस्य बन जाता है।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : किन्तु "तथा रक्त का सम्बन्ध" शब्दों से इस कठिनाई का निवारण हो जाता है।

श्री एस० एस० मोरे : हो सकता है कि मैं इस विषय को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाया हूं किन्तु मैं यह तो अवश्य कहूंगा कि इस में मिथ्याबोध की सम्भावना है।

माननीय विधि मंत्री ने १९४९ के विवाह अधिनियम की प्रथम अनुसूची को तो ले लिया है किन्तु द्वितीय अनुसूची को छोड़ दिया है यद्यपि यह दूसरी सूची संरक्षणता के विषय में अधिक प्रकार से हमारा पथप्रदर्शन करती है। उक्त अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत विधुर अथवा विधवा के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। किन्तु प्रस्थापित विधि में १८ और २१ वर्ष के बीच के सभी लोगों को अपने संरक्षक की अनुमति लेनी होगी।

श्री रघुरामैया : किन्तु श्री वेंकटरामन् द्वारा प्रस्तुत संशोधन का आशय ऐसे व्यक्तियों को छूट दिलवाना है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपना भाषण वर्तमान चर्चा तक ही सीमित रखना चाहिए।

श्री राघवाचारी : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि "रक्त का सम्बन्ध" शब्दों से भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है। गोद लेने का हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार एक विशेष महत्व है किन्तु यहां हमारा आशय केवल उसी चीज़ से नहीं है वरन सभी प्रकार के "गोद लेने" से है।

किसी भी सम्प्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी अन्य सम्प्रदाय के लड़के लड़की को गोद ले सकता है। मान लीजिये कि मैं किसी हरिजन लड़की को गोद लेता हूं तो वर्तमान अधिनियम के अनुसार तो उस का विवाह मेरे लड़के से नहीं हो सकेगा क्योंकि उसे मेरा ही खून समझा जायेगा जो कि वास्तव में वह नहीं होगी। अतः यह शब्द निकाल दिये जाने चाहिएं और यदि "दत्तक" प्रकार के "गोद लेने" से ही अभिप्राय है तो फिर इसी शब्द का प्रयोग होना चाहिए।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं पूर्व वक्ता के सुझाव का समर्थन करता हूं। माननीय मित्र श्री टेक चन्द ने भी यही निर्देश किया था कि गोद के रिश्ते का भिन्न भिन्न वर्गों के लिये भिन्न भिन्न अभिप्राय है।

जहां तक ईसाई जाति का सम्बन्ध है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन व्यक्तियों के ऊपर जिन के बीच गोद का रिश्ता है इस प्रकार के आदेश लागू करने का विरोध किया जायेगा। जैसा श्री टेक चन्द ने बताया है, सगोत्र की विचार भावना गोद लेने की धारणा पर आच्छादित नहीं हो गई है। यह विचार दान देने वाले और दान लेने वाले के सम्बन्ध के अधिक निकट है। पूर्व वक्ता के सुझाव को मान लेने पर यह कठिनाई दूर हो जायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक यह शब्द गोद के रिश्ते और रक्त के रिश्ते के द्योतक हैं, पूर्व वक्ता सर्वथा उचित हैं कि 'दत्तक' से ही प्रयोजन है। इसी तरह हिन्दू विधि में भी 'कृत्रिम' अथवा अन्य प्रकार के अंगीकरण से सम्बन्ध की सृष्टि नहीं होती है। अतः इन शब्दों का केवल एक ही अर्थ है, अर्थात् गोद की रिश्तेदारी। इस के अतिरिक्त कोई रिश्तेदारी नहीं है। मेरा विचार है कि शब्द बिल्कुल सही हैं और उन में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन का मंतव्य 'दत्तक' से ही है।

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि आप सब प्रयोजन से सहमत हैं तो मैं विधि-शब्द सागर से 'गोद लेने' का अर्थ पढ़ता हूं। उस में कहा गया है कि गोद लेने का अर्थ उस कार्य से है जिस से पैत्रिक तथा अन्य सम्बन्ध उन व्यक्तियों के बीच स्वीकृत कर लिए जाते हैं जो प्रकृति द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं। यह एक ऐसा विध्यानुकूल कार्य है जिस के आधार पर एक वयस्क व्यक्ति किसी अल्पवयस्क को संतान के रूप में ग्रहण करता है और इस प्रकार उक्त अल्पवयस्क के सम्बन्ध में समस्त अधिकार तथा उत्तरदायित्व वहन करता है।

यद्यपि हिन्दू दृष्टि से यह गोद लेना नहीं है फिर भी इस शब्द का इतना व्यापक अर्थ लगाया गया है कि यह परिवार द्वारा अपना लिये जाने वाले बालक के किसी भी सम्बन्ध पर लागू होता है। अतः इस विषय को स्पष्ट कर यह कह देने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम हिन्दू विधि के पर्यादित दृष्टिकोण से गोद लेने पर विचार कर रहे हैं।

श्री दिनशा मुल्ला ने कहा है कि गोद लेने की प्रथा मुसलमान विधि में मान्य नहीं है, यह अंग्रेजी विधि और पारसी विधियों में भी नहीं है। केवल हिन्दुओं में है और उन में भी यदि किन्हीं वर्ग वशेषों में यह मान्य नहीं है तो इस के सिद्ध हो जाने पर न्यायालय इसे स्वीकार करेंगे।

'कृत्रिम' में बालक अपने जन्म के वंश की सम्पत्ति का भी स्वामी बना रह सकता है जब कि 'दत्तक' में ऐसी कोई बात नहीं है। दत्तक का अर्थ है पूर्ण पृथक्करण।

श्री बिस्वास : गोद लेने के प्रश्न ने माननीय मित्रों में पर्याप्त रुचि उत्पन्न कर दी है लेकिन यह उल्लेखनीय है कि किसी ने एक भी संशोधन उपस्थित नहीं किया।

आप ने सम्पूर्ण खण्ड २ पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है। मैं नहीं समझता कि इस पर सामान्य चर्चा की पुनरुक्ति होगी अथवा इस तथ्य को देखते हुए कि तीन सौ संशोधन हैं--बहुत से अभी आने शेष हैं--हम उन संशोधनों के सम्बन्ध में एक एक खण्ड पर अपनी चर्चा सीमित कर दें।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री से कह दूं कि संशोधन न होने पर भी खण्ड पर चर्चा हो सकती है।

श्री बिस्वास : मैं यह सुझाव नहीं रख रहा हूं कि माननीय सदस्य चर्चा नहीं कर सकते हैं। न मैं किसी प्रकार का औचित्य प्रश्न अथवा विधि प्रश्न ही उत्पन्न कर रहा हूं। लेकिन इस बात को देखते हुए कि हम ने इस पर चार दिन तक चर्चा कर ली है और इस सम्बन्ध में तीन सौ संशोधन हैं मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम खण्ड के निर्दिष्ट भागों पर पुनः सामान्य चर्चा नहीं करेंगे जिन पर पहले चर्चा नहीं की गई थी अथवा जो पहले चर्चा का विषय नहीं थे। मैं नहीं समझता कि कार्यक्रम मंत्रणा समिति ने क्या किया है। प्रारम्भ में इस विषय पर केवल कुछ घंटों का समय नियत किया गया था। बाद में उसे बढ़ा दिया गया और इस पर चार दिन तक सामान्य चर्चा की गई। यदि सम्भव हो, और सदन स्वीकार करे तो मेरी केवल यह इच्छा है कि प्रत्येक खण्ड पर की जाने वाली चर्चा उचित समयावधि तक ही सीमित कर दी जाय।

गोद लेने के विषय में, मैं माननीय मित्रों को सूचित कर दूं कि यद्यपि गोद लेने से सम्बन्धित विधेयक अभी सभा के समक्ष नहीं है, लेकिन उस में निर्दिष्ट रूप से यह उपबन्ध रहेगा कि गोद लेने की 'दत्तक' पद्धति को ही विधि द्वारा मान्यता दी जायेगी अन्य किसी पद्धति को नहीं।

श्री टेक चन्द : विशेष विवाह विधि द्वारा ?

श्री बिस्वास : यह प्रश्न हिन्दू विधि के अन्तर्गत गोद लेने के बारे में उठाया गया था। जहां तक हिन्दू विधि का सम्बन्ध है मैं ने पहले ही बतला दिया है कि यह विधेयक हिन्दू संहिता का अंग बनेगा। मेरा तात्पर्य मुस्लिम विधि या किसी अन्य विधि से नहीं था। जब मैं ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है तो मेरे माननीय मित्र अन्तर्बाधा क्यों डालते हैं ? (**अन्तर्बाधा**)

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री को बोलने दीजिये।

श्री बिस्वास : जब हिन्दू विधि के अन्तर्गत गोद लेने का प्रश्न सभा के सम्मुख आयेगा तो हम केवल दत्तक प्रथा तक ही सीमित रहेंगे।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : यह विधेयक उस विधेयक के बाद लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री बिस्वास : श्री एन० सी० चटर्जी ने स्वयं दिनशा मुल्ला को उद्धृत किया है जो विधि के महारथी समझे जा सकते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं :--

"गोद लेने की प्रथा को मुस्लिम, अंग्रेजी तथा पारसी विधियों में मान्यता नहीं दी गई है। केवल हिन्दू धर्म ने ही इसे माना है; किन्तु

[श्री बिस्वास]

उस में भी किसी परिवार या जाति की प्रथा के अनुसार उसे निषिद्ध किया जा सकता है और यदि ऐसी प्रथा सिद्ध कर दी जाती है तो अदालत उस पर ध्यान देगी ।"

जिस गोद लेने का यहां उल्लेख है उसका अर्थ वैधिक रूप में गोद लेन से है । यदि कोई ऐसी प्रथा है जिस के अनुसार गोद लेना निषिद्ध है तो वह गोद लेना इस खण्ड के अन्तर्गत नहीं आता । यह स्पष्ट होना चाहिए ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : हमें वही कहना चाहिए जो सार्थक हो ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को बोलने दीजिये ।

श्री बिस्वास : विधेयक में अनेक शब्द ऐसे हैं जिन के लिये आप कह सकते हैं कि उन्हें अधिक स्पष्ट किया जाय । फिर भी कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट है ।

जो कोई भी इस विधेयक को पढ़ेगा वह "गोद लेना" शब्दों का निर्देशित मामलों में कहीं गलत अर्थ नहीं लगायेगा । यदि कोई ईसाई किसी बच्चे को पाल-पोस कर बड़ा करता है तो इस प्रकार का सम्बन्ध विवाह को नहीं रोक सकता । यह कह कर किसी विवाह को रोकने का ध्येय क्या है कि अमुक दल सम्बन्ध की निषिद्ध श्रेणी के अन्तर्गत है । इस का सगोत्र या निकट का सम्बन्ध है । इसे प्रत्येक जानता है । सारी योजना उत्पत्ति-शास्त्र पर आधारित है । यदि निषेध है तो वह रक्त सम्बन्ध के आधार पर अधिक है ।

आप संदर्भ को पढ़िये । वहां आप को 'गोद लेना' शब्दों के अर्थ में ये सम्बन्ध भी सम्मिलित मिलेंगे :— अर्द्ध तथा पूर्ण आत्मीयता, अवैध तथा वैध आत्मीयता गोद का सम्बन्ध और आत्मीय सम्बन्ध । अतः गोद लेने का अर्थ स्पष्ट किया गया है । इस का यह अर्थ नहीं है कि यदि आप किसी बच्चे को प्यार करते हों, जिसे पाल-पोस कर बड़ा करें तो वह आप की वैध सन्तान हो जाय । हम कुछ विवाहों को यदि निषिद्ध मान रहे हैं तो उत्पत्ति शास्त्र के आधार पर ही ऐसा कर रहे हैं ।

अब प्रश्न यह है कि विधेयक कुछ सदस्यों के मतानुसार स्पष्ट नहीं है । इस के लिये वे संशोधन प्रस्तुत करें । मैं ने ज्ञात किया है कि सभा ने खण्ड २ के सब संशोधन निबटा दिये हैं । केवल अंतिम संशोधन, जो श्री वेंकटरामन् का है, रह गया है । मैं सामान्य वाद-विवाद के लिये प्रस्तुत हूं किन्तु मैं सद्सोत्पन्न संशोधनों को स्वीकार करना नहीं चाहता । यह स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार सहसा कोई संशोधन रखे जायें, तो अपने प्राधिकारियों के दल-बल समेत मैं उन का तुरन्त सामना करने को नहीं बैठा हूं । मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है । पता नहीं मेरे मित्र किस दावपेंच से कोई बात रखें । मुझे ये सब पहलू सोचने के लिये समय चाहिए ।

श्री टेक चन्द : क्या मैं दो मिनट के लिये बोल सकता हूं ?

श्री लोकनाथ मिश्र : क्या मैं दो शब्द कह सकता हूं ?

श्री टेक चन्द : संशोधन अभी छपे नहीं हैं, अतः आज प्राप्त नहीं होंगे ।

दूसरे, श्री मुल्ला का यह कथन कि गोद लेने की प्रथा इंगलैंड में नहीं है, गलत है । इंगलैंड में गोद लेने का अधिनियम है जिस के द्वारा बच्चे गोद लिये जाते हैं अतः मैं माननीय मंत्री से इस की परिभाषा करने की प्रार्थना करूंगा कि क्या यह प्रथा हिन्दू विधि में ही है ?

सभापति महोदय : बिना संशोधन के इसे मैं सभा में नहीं रख सकता । (**अन्तर्बाधा**) । मैं खण्ड २ की भिन्न भिन्न परिभाषाओं को

मतदान के लिए रखता हूं । मेरे विचार से किसी को इस पर आपत्ति नहीं है ।

खंड २ के भिन्न भिन्न उपखंड (क से छ तक, च को छोड़ कर) मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हो कर विधेयक में जोड़ दिये गये । पूरे खंड पर मत नहीं लिया गया ।

सभापति महोदय : अब हम खंड ३ की ओर बढ़ेंगे ।

श्री वेंकटरामन : मेरे विचार से मेरा संशोधन भी नहीं रखा गया ।

सभापति महोदय : खंड ३ पर कोई संशोधन नहीं है ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४—(विशेष विवाह सम्पन्न करने के सम्बन्ध में शर्तें)

श्री मूलचन्द दुबे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ४५ में 'Law' ['विधि'] शब्द के पश्चात् "or custom" ["अथवा रीति"] शब्द रखे जायें ।

मैं आग्रह करता हूं कि रीति सम्बन्धी विधि को निषिद्ध अंशों के सम्बन्ध में यथावत् रख दिया जाये; इस के अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री बिस्वास : विधि में रीति तथा रिवाज दोनों आ जाते हैं, इसलिए इस की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री मूलचन्द दुबे : श्रीमान्, यह मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री बिस्वास : इस सम्बन्ध में "विधि" का अर्थ रीति तथा रिवाज दोनों से है अतः मैं अपने मित्र से यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन पर आग्रह न करें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि 'विधि' में "रीतियों" भी शामिल है तो हमें अन्य स्थानों पर भी संशोधन नहीं रखने चाहियें । क्योंकि कहीं कहीं पर हम रीतियों के अनुसार किसी से विवाह नहीं कर सकते, परन्तु दूसरे स्थान पर हमारे वैसे ही सम्बन्ध होने पर भी हम विवाह कर सकते हैं ।

श्री बिस्वास : मैं ने कहा कि इस संदर्भ में इस की आवश्यकता नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि माननीय मंत्री 'विधि' का अर्थ रीतियों लगायेंगे तब तो इस के अर्थ में विस्तार होगा । हम सभी बातों को संक्षिप्त रूप में लिपिबद्ध करना चाहते हैं अतः यदि इस के यह अर्थ हो गये तो मालूम नहीं सभा का क्या हाल होगा । अतः मैं नम्रता-पूर्वक आग्रह करूंगा कि विधि का अर्थ केवल विधि ही लगाया जाये । अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री श्याम नन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : जब कि आप विधि को संक्षिप्त में लिपिबद्ध करने जा रहे हैं, तब जिस रीति ने विधि का रूप धारण कर लिया है उसी को विधि के अर्थ में लगाना उपयुक्त होगा । यदि विधि मंत्री इस संशोधन के पक्ष में हैं तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो इस का विरोध करना चाहिए । अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि इस को स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : केवल यह कह देने से कि विधि में रीतियां भी आती हैं काम चलने वाला नहीं । खंड १५ के अन्तर्गत यह साफ साफ दिया हुआ है कि निषिद्ध सम्बन्ध बिना विधि तथा रीतियों के नहीं हो सकते । अतः इस की विधि तथा रीति दोनों में भिन्नता है । यहां भी इस शब्द के अर्थ ठीक समझ में नहीं आयेंगे ।

सभापति महोदय : मैं भी माननीय मंत्री से इस पर विचार करने के लिए कहूंगा ।

श्री बिस्वास : मेरे विचार से इस विधेयक के अन्तर्गत विवाह की योजना में रीतियां नहीं आनी चाहियें । फिर भी यदि मेरे मित्र इस को सम्मिलित करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : परन्तु सदस्य इस को नहीं सम्मिलित करना चाहते हैं ।

डा० रामाराव (काकिनाडा) : मैं इस संशोधन का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि जो विवाह रीति सम्बन्धी विधि के अन्तर्गत आते हैं उन को भी मैं इस विधि में रखना चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री ने कहा....

श्री मूलचन्द दुबे : श्रीमान्, मैं सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ३ पर, पंक्ति १ से ११ के स्थान पर निम्न अंश रखिये :

"In force relating to the solemnization of marriages, a marriage between any two persons may be solemnized under this Act, if marriage between them is not permissible by any custom having the force of law."

"विवाहों की सम्पन्नता से सम्बद्ध लागू विधि के अनुसार, इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच विवाह सम्पन्न हो सकता है, यदि उन के उस विवाह को विधि का बल रखने वाली किसी भी रीति से अनुमति नहीं मिल सकती ।"

जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, विवाह दो भिन्न जातियों में हो सकता है परन्तु एक संशोधन की स्वीकृति के पश्चात् यह भी तय हो चुका कि विवाह एक धर्मावलंबी तथा दूसरे धर्मावलम्बी में भी हो सकता है ।

श्री बिस्वास : दो हिन्दुओं में, दो मुसलमानों में, दो पारसियों में तथा दो जैनियों में और इसी प्रकार ।

श्री वी० जी० देशपांडे : वह कहते हैं कि इस विधेयक से हिन्दू और मुसलमान, ईसाई और पारसी, आदि एक दूसरे के बीच विवाह कर सकते हैं । हमें यह बताया गया था कि यह विशेष विवाह विधेयक इसलिए है कि एक व्यक्ति दूसरे धर्मावलम्बी से विवाह कर सके । परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशेष विधि न रह कर सार्वजनिक विधि बनने जा रही है । मैं नहीं चाहता कि जो विवाह दूसरी विधियों से विधिपूर्वक बताये जाते हैं वह इस से कुछ लाभ उठाने का प्रयत्न करें । अतः मैं इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं । विवाह-विच्छेद विधेयक के तलाक सम्बन्धी तथा इस के बहुत से खंड एक दूसरे से मिलते हैं । यदि दो हिन्दू हिन्दू विधि के अन्तर्गत अपना विवाह कर सकते हैं, तब उन को इस विधेयक के अन्तर्गत अदालत में बुला कर लाने और विवाह रचाने की क्या आवश्यकता है । हमारे देश में विवाह की पवित्रता रहनी चाहिए—हां जो जोड़े किसी अन्य विधि से अपना विवाह नहीं कर सकते हों वे इस विधेयक की शरण लें ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) मेरे विचारानुसार इस विशेष विवाह विधेयक का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत के लिए एक सामान्य विवाह विधि बनाना है जबकि इस संशोधन का उद्देश्य भारत की जातियों को सदैव

पृथक पृथक रखना है । अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । इस विधेयक से निकट भविष्य में एक सामान्य आधुनिक विवाह विधि बनाने में सहायता मिलेगी ।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) :

धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाश्चा प्रवर्तते ।
नाऽश्चयो व्याश्चयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति ।।

सभापति महोदय, बात यह है कि हमारे दक्षिणी भाई भगवान के नाम से बहुत जल्द घबरा जाते हैं ।

विवाह के सम्बन्ध में आप इस समय जो कानून बना रहे हैं यह स्पेशल विवाह के लिए है और यह एक स्पेशल सा कानून है । मैं समझता हूं कि हमारे विधि मंत्री जैसे गम्भीर हैं उन्हों ने उसी गम्भीरता के साथ यह चेष्टा की है कि हिन्दू कानून को सर्वथा न मिटाया जाय । यह उन को अभीष्ट नहीं है । ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रिय मित्र श्री देशपांडे जी का जो यह संशोधन है कि हिन्दुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में उन के परसनल ला को जीवित रहने दें, इस को स्वीकार किया जाय ।

एक माननीय सदस्य : उस से क्या फायदा ?

श्री नन्द लाल शर्मा : अगर आप हिन्दू जाति को नहीं मिटाना चाहते हैं, अगर आप मुसलमान सम्प्रदाय को नहीं मिटाना चाहते हैं, अगर आप ईसाई सम्प्रदाय को नहीं मिटाना चाहते हैं तो जब मुसलमान मुसलमान में, जब हिन्दू हिन्दू में, और जब ईसाई ईसाई में परसनल ला के अनुसार विवाह हो सकता है तो फिर उस को आप यह अवसर क्यों देते हैं कि वह अपने परसनल ला को छोड़ कर, जो विवाह संस्कार की पद्धति है उस को छोड़ कर इस विवाह पद्धति से विवाह करे । अगर उन का परसनल ला इस प्रकार के विवाह करने की आज्ञा न देता तो आप उन को इस कानून में आज्ञा दे सकते थे । यद्यपि हम उस चीज़ को भी सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं करते । अगर आप यह समझते कि इस प्रकार के विवाह के लिए धर्मशास्त्रानुसार हिन्दू को हिन्दू के साथ या मुसलमान को मुसलमान के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं है तब तो आप इस स्पेशल मैरिज बिल में उस को अनुमति देते । और आज जो हिन्दू मैरिज एंड डाइवोर्स बिल आ रहा है उस के अनुसार तो आप डाइवोर्स की बहुत बड़ी छूट दे रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में कोई कारण नहीं है कि वह विवाह संस्कार को छोड़े और इस कानून के अनुसार विवाह करे । मैं यह बात केवल हिन्दुओं के लिए ही नहीं कहता हूं, ऐसा मुसलमानों के लिए भी हो सकता है और औरों के लिए भी हो सकता है, कि यदि वे अपने परसनल ला के अनुसार विवाह कर सकते हैं तो उन को उस पद्धति के परित्याग करने का मौका नहीं देना चाहिए । इसलिये मैं इस संशोधन का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ दक्षिण) : १९२३ से विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह करने का अधिकार हिन्दू तथा अन्य धर्म के अनुयाइयों को मिलता रहा है । हम दिन प्रति दिन प्रगति कर रहे हैं, लोग अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, इस कारण अब इस अधिकार का वापस लेना सम्भव नहीं है । विवाह का एक मुख्य उद्देश्य है कि वंशावलि को आगे चलाया जाय । इस में धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है । अतः इस खंड में श्री देशपांडे की इच्छानुसार संशोधन नहीं किया जा सकता ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : श्रीमान्, मैं श्री देशपांडे से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि हम इस खंड में उन के सुझावानुसार संशोधन करें तो क्या उस रूप में भाई बहिन का आपस में विवाह स्वीकार्य नहीं हो जायेगा ?

सभापति महोदय : इस विधेयक को पारित करने के लिए १६ घंटे नियत हैं। यदि हम कुछ संशोधनों पर बहुत अधिक समय लेंगे तो कदाचित हम विधेयक के अन्तिम भाग का सूक्ष्म अध्ययन न कर सकें। मैं माननाय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हीं बातों को कहें जिन पर वे ज़ोर देना चाहते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : आप ने अभी बताया कि १६ घंटे नियत हैं। जहां तक मैं समझता हूं कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक अभी नहीं हुई है और उस ने इस पर विचार विमर्श नहीं किया है। मेरा विचार है कि मामला परीक्षात्मक है और हम अभी इस के बारे में निश्चय नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : अभी मैं ने इस का उल्लेख इसी कारण किया था कि मैं इसे जानता हूं। इस मामले में सभा को पूर्ण अधिकार है और हम इस का ध्यान रखेंगे कि हम कितना काम कर सकते हैं तथा हमें कितने और समय की आवश्यकता होगी। मैं ने सभा का ध्यान केवल सीमित समय की ओर आकर्षित किया था।

श्री टेक चन्द : कदाचित श्री देशपांडे का विषय ही पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का विषय है। मैंने भी इसी आशय का एक संशोधन भेजा था। विशेष विवाह अधिनियम का अधिनियमन करने का प्रमुख कारण यह था कि हमारे देश में यदि एक नागरिक किसी अन्य नागरिक से, अपने अपने धर्म या धार्मिक विश्वास के अनपेक्ष, विवाह करना चाहें तो उन के मार्ग में कोई वैधानिक रुकावट न हो। परन्तु यदि हम इस उद्देश्य का ध्यान करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक उस सीमा का उल्लंघन कर जाता है जो इस उद्देश्य ने निर्धारित की है। अतः इस का क्षेत्राधिकार अन्तर्धार्मिक विवाहों तक ही सीमित होना चाहिये। अतः मैं अपने पूर्ववक्ता के मत का समर्थन करता हूं।

श्री लोकनाथ मिश्र : श्रीमान्, मैं श्री देशपांडे या पंडित भार्गव के संशोधन का समर्थन करता हूं। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि वे इस संशोधन से हिन्दू व्यक्तिगत विधि को बचाने के लिए इतने चिन्तित क्यों हैं। इस विधेयक के नाम में ही यह बात सन्निहित है कि यह विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन के आचार विचार विशेष प्रकार के हैं। यह महत्वपूर्ण बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये। मेरे माननीय मित्र श्री दास ने अभी कहा था कि वह इस विधेयक को केवल इस कारण स्वीकार करते हैं कि यह समस्त भारतीयों के लिए विवाह विधि का पूर्वगामी है। यदि उद्देश्य यह है और सरकार इस से सहमत है तो मैं कहता हूं कि सरकार को यह कहने का साहस रखना चाहिये। परन्तु यदि आप का अभिप्राय यह है कि एक हिन्दू विधि हो, एक मुसलमान विधि हो, एक ईसाई विधि हो, और उन सब के ऊपर यह विधि हो जो उन सब लोगों पर लागू हो, जो उन विधियों के अन्तर्गत नहीं आना चाहते। इस बात का स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिये। यदि माननीय मंत्री इस का स्पष्टीकरण कर चुके हैं तो वह उसे दुबारा कहने की कृपा करें।

श्री साधन गुप्त : श्रीमान्, मैं श्री देशपांडे के संशोधन का घोर विरोध करता हूं। श्री देशपांडे चाहते हैं कि इस विधेयक के अधीन विवाह का अधिकार केवल विभिन्न जाति वाले वर वधु को हो और एक जाति वाले इस के अधीन विवाह न कर सकें। श्रीमान्, इस विधेयक में केवल विवाह प्रक्रिया का ही उपबन्ध नहीं किया गया है अपितु इस में कुछ अधिकार भी दिये गये हैं, और उन में सब से अधिक महत्वपूर्ण अधिकार विवाह-विच्छेद का है। इस विशेष विधेयक

के अधीन होने वाले विवाहों तथा व्यक्तिगत विधि के अधीन चाहे वह हिन्दू विधि हो और चाहे मुसलमान विधि, होने वाले विवाहों में विवाह-विच्छेद के प्रश्न पर बड़ा अन्तर है।

यह कहा गया है कि इस विधेयक से शास्त्र और शरियत छिन्न भिन्न हो जायेंगे। शास्त्र रहेंगे और शरियत भी रहेगी। लोगों को उन विधियों के अधीन विवाह करने का अधिकार है। इस विधेयक के अन्तर्गत हम केवल यह करना चाहते हैं कि जो शास्त्रों या शरियत के अनुसार विवाह करना न चाहें, वे विवाह का एक भिन्न रूप अपना सकें। केवल इस कारण से कि वर तथा वधु दोनों एक ही जाति के हैं, हमें उन्हें ऐसा करने का अधिकार क्यों नहीं देना चाहिये ? इस का कोई ठोस कारण नहीं है, ऐसा करने से उन्हें रोकने में कोई युक्ति नहीं है। अतः मेरा निवेदन यह है कि केवल इस कारण से कि दोनों एक जाति के हैं, इस विधेयक के अधीन होने वाले विवाहों के परिणामस्वरूप विवाह-विच्छेद के उदार अधिकारों आदि से उन्हें वंचित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

श्री बेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : इस प्रकार का संशोधन स्वीकार करने का, विधेयक के सम्पूर्ण भाव पर ही नहीं अपितु इस के सिद्धान्त पर भी, बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह संशोधन केवल हिन्दू जाति के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण हिन्दू सामाजिक ढांचे के लिए भयप्रद है। यदि यह स्वीकार हो जाता है तो इस से हिन्दुओं में भी बहुत सी उपजातियों में विवाह होने बन्द हो जायेंगे। वास्तव में, मेरा विचार है कि मूल खंड ४, सरकार का केवल एक साधारण प्रयास है, क्योंकि इस से अन्य धर्म वालों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें एक ऐसा विधान बनाना चाहिये जो देश में प्रत्येक जाति व धर्म वाले पर लागू हो सके।

विवाह की रूढ़ विधि तथा व्यक्तिगत विधि का उल्लेख किया गया था। मेरा विचार है कि इस खंड के स्वीकार हो जाने पर भी, विवाह की रूढ़ विधि समाप्त नहीं होगी। यह एक साधारण खंड है। परन्तु इस का प्रभाव सम्पूर्ण हिन्दू व्यवस्था पर पड़ेगा, और इस की आवश्यकता है। अतः मैं श्री देशपांडे के संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय विधि मंत्री इस संशोधन विशेष को स्वीकार नहीं करेंगे।

डा० जयसूर्य : यदि मेरे माननीय मित्र श्री लोकनाथ मिश्र ने विधि मंत्री का आरम्भिक भाषण पढ़ा होता तो उन्हें बोध हो जाता कि विधेयक का उद्देश्य क्या है। इस का एक सीमित उद्देश्य है। मेरा विचार है कि १८७२ में हम ने केशव चन्द्र सेन के कारण, विशेष विवाह अधिनियम बनाया था। मैं नहीं जानता कि 'ब्रह्म समाजी' जिन के लिए यह बनाया गया था, हिन्दू रहे थे या नहीं। क्या वे हिन्दू नहीं हैं ? यदि आप हिन्दू विधि में सुधार करना चाहते हैं, तो आप का स्वागत है। यदि आप प्राचीन रूढ़ विधि अपनाना चाहते हैं, तो वह अपनाइये। आप को कोई नहीं रोकता। परन्तु आप को उन लोगों को, जो अब भी अपने को हिन्दू कहते हैं, अपने विचारानुसार अनावश्यक बातों को अस्वीकार करने से रोकने का क्या अधिकार है ? हम बातों का लौकिकीकरण कर रहे हैं और यह एक आरम्भिक प्रयास है। कुछ बातों को छोड़ कर जैसे रक्त-सम्बन्ध तथा सामान्यतया मानी हुई बातें, किसी प्रकार का अपवर्जन नहीं होना चाहिये। अतः ये सारी बातें कि यह खतरे में है, वह खतरे में है, सांस्कारिक प्रथा खतरे में है, बेकार हैं। यदि आप संस्कार चाहते हैं, तो उसे अवश्य अपनाइये। यदि आप उसे नहीं चाहते, तो आप कुछ अधिक आसान रीति अपना सकते हैं।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : मेरा विचार है कि श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन सम्पूर्ण विधेयक को विध्वंस करने का एक कुशल प्रयत्न है जो कि गोरिल्ला युद्ध की भांति है जिस से वह भली भांति परिचित हैं।

कोई माननीय सदस्य : दोनों महाराष्ट्रीय हैं ।

श्री गाडगील : सर्व प्रथम, इस खंड पर दो विभिन्न और विरोधी दृष्टिकोणों से आक्रमण किया गया है, उन में से एक यह है कि यह बुरा है और दूसरा कि यह पर्याप्त अच्छा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह परमावश्यक है कि इस देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह और विवाह-विच्छेद के लिए सामान्य विधान होना चाहिए। पर जब तक यह संभव नहीं है तब तक जो भी नियम बनाये जायें उन पर विचार कर लिया जाय और जो अधिक उत्तम हो उसे ग्रहण किया जाय ।

विवाह के सम्बन्ध में यह विशेष उपबन्ध वहां १८७२ से है और हिन्दू समाज इसे ३० वर्षों से सहन करता आ रहा है । हमें विदित है कि पुराने युग में पुरुषों और स्त्रियों के कार्यों पर दृढ़ नियंत्रण था। वर्तमान समय में परिस्थितियों में परिवर्तन हो चुका है। अतः एक उदार प्रवृत्ति का अनुसरण विवाह के मामलों में लगभग एक शताब्दी से हो रहा है। हमें प्रगति करना चाहिए प्रतिगामी नहीं बनना चाहिए ।

यदि किसी कारणवश हम श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन स्वीकार कर लेते हैं तो भारतीय विशेष विवाह अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सम्पन्न हुये विवाहों का क्या होगा ? क्या इस का अर्थ यह होगा कि उत्तराधिकार के अभिप्राय से यह बच्चे या जो कुछ भी हो चुका है सभी अवैध ठहराया जायेगा ? सामान्य हिन्दू विधि के अन्तर्गत बम्बई राज्य को छोड़ कर कहीं भी विवाह-विच्छेद के लिए कोई उपबन्ध नहीं हैं। विवाह-विच्छेद वर्तमान युग की नितान्त आवश्यकता है यद्यपि हम यह नहीं चाहते कि विवाह-विच्छेद केवल सह सम्मति के आधार पर ही हो परन्तु इस आमरण कारावास से छुटकारा पाने का कोई मार्ग तो होना ही चाहिए। अतः बम्बई राज्य के बाहर के रहने वाले जो विवाहित हैं या जो विवाह करना चाहते हैं उन्हें प्रकृति के बेजोड़ होने या अन्य किसी कारण से भावी आकस्मिकता से बचने का कोई खंड अवश्य होना चाहिए, चूंकि वह विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करेंगे अतः उन को यह उपबन्ध सुलभ होना चाहिए। भारतीय विशेष विवाह अधिनियम बड़ा लोकप्रिय हो गया है और मैं स्वयं भी इस का प्रशंसक हूं। मैं नहीं जानता क्यों श्री वी० जी० देशपांडे इस प्रकार के संशोधन के लिए अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए आतुर हैं । मेरा विचार है कि इस संशोधन का विरोध आवश्यक है ।

श्री बर्मन : मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के संशोधन के प्रस्ताव करने का क्या प्रयोजन है ?

श्री बिस्वास : प्रयोजन तो स्पष्ट है पर अर्थ स्पष्ट नहीं है ।

श्री बर्मन : इस का प्रयोजन चाहे कुछ भी हो पर यह व्यर्थ का विचार है। विधयक में यही खंड जो विशेष विवाह सम्पन्न करने की शर्तों के सम्बन्ध में है वास्तव में एक मौलिक उपबन्ध है। वह इस सम्पूर्ण खंड को बिल्कुल निकाल कर उस के स्थान पर कुछ और रखना चाहते हैं। उन के संशोधन के अनुसार खंड निम्न प्रकार होगा :

"विशेष विवाह के सम्पन्न करने के सम्बन्ध में शर्तें–विवाह सम्पन्न होने के सम्बन्ध में वर्तमान समय में प्रचलित किसी अन्य विधि में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं दो व्यक्तियों में

विवाह सम्पन्न किया जा सकता है यदि उन का विवाह किसी प्रथा, जो विधिवत शक्तिशाली है के अनुसार अनुमित नहीं है।"

अतः ऐसे विशेष विवाह केवल उन मामलों में होंगे जहां कोई प्रथा बाधा उत्पन्न करती हो। कोई धर्म सम्बन्धी विधि उस में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। मेरे विचार से यह असंगत विचार है कि ईसाई या हिन्दू समाज में कोई प्रतिबन्धक प्रथा न होने पर एक स्त्री और पुरुष का विवाह सम्पन्न हो सकता है चाहे उन में कितने निकट सम्बन्ध, जैसे चाचा और भतीजी, क्यों न हों! अतः केवल सामाजिक प्रथा की बाधा होने पर वे विवाह के लिए आवेदन पत्र दे कर विवाह सम्पन्न करवा सकते हैं। मूल विधेयक में यह उपबन्ध है कि दोनों पक्षों में किसी एक की पत्नी या पति जीवित न हो तब यह अधिनियम लागू होगा। अन्यथा, मान लीजिये, एक व्यक्ति की एक स्त्री जीवित है और वह सामाजिक प्रथा के बन्धन से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता पर इस संशोधन के अनुसार वह दोनों आवेदन पत्र दे कर विवाह सम्पन्न करवा सकते हैं और उन के मार्ग में कोई वर्तमान विधि बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। इसी प्रकार मूल विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि दोनों पक्षों की आयु २१ वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। अन्यथा १२ वर्ष के लड़के और लड़कियां विवाह के लिए प्रार्थी बन सकते हैं? अतः प्रतिबन्ध क्या है? और वर्जित पीढ़ियों का बन्धन भी इस संशोधन के अनुसार निरर्थक हो जाता है। अतः यह संशोधन मेरे विचार से असंगत है। मुझे आशा है सभा इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार करेगी।

श्री वेंकटरामन् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया"

पंडित ठाकुर दास भार्गव: क्या आप मुझे मेरे संशोधन संख्या २२१ के प्रस्ताव करने की अनुमति देंगे क्योंकि मेरे संशोधन का प्रथा से कोई सम्बध नहीं है।

श्री बिस्वास : उस संशोधन के प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम सभी श्री देशपांडे के संशोधन को अस्वीकार कराने का प्रयत्न करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा संशोधन खंड संख्या १ से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि इस से उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो ठीक है, क्योंकि मैं उस संशोधन पर भाषण देना चाहता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि श्री देशपांडे का संशोधन अस्वीकार हो जाता है तो उस पर प्रतिबन्ध लग जायेगा, क्या ऐसा नहीं है, श्रीमान्?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधि मंत्री का कथन है कि प्रतिबन्ध नहीं लगेगा।

श्री बिस्वास : मैं नहीं समझ पाया कि श्री देशपांडे के संशोधन का अर्थ क्या है।

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री श्री देशपांडे के संशोधन का उत्तर दे रहे हैं?

श्री बिस्वास : बात यह नहीं है.....

सभापति महोदय : मैं समापन प्रस्ताव पर सभा का मत जानना चाहता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं।

सभापति महोदय: इस विषय पर पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है अतः मैं इसे सभा के सम्मुख उपस्थित करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा समापन प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए कहता हूं।

श्री बिस्वास : श्री देशपांडे के संशोधन के अनुसार केवल उन्हीं भाग्यहीन लोगों को इस विधि के अन्तर्गत विवाह करने का अवसर मिलेगा जिन के लिए प्रथा के अनुसार विवाह के लिए कोई उपबन्ध नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या मैं विधि मंत्री से प्रश्न कर सकता हूं कि क्या मूल विशेष विवाह अधिनियम का यही उद्देश्य नहीं था ? क्या केशव चन्द्र सेन और ब्रह्म समाज के अन्य नेताओं का उद्देश्य यही नहीं था ? क्या उन के इस अधिनियम के पक्ष में होने का केवल यही कारण नहीं था कि वे अपने व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत जाति तथा दूसरे बन्धनों के कारण विवाह नहीं कर सकते थे ।

श्री बिस्वास : मैं नहीं समझ पाता कि आप के तर्क का क्या आधार है कि केवल उन्हीं लोगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए जिन को प्रथा के अनुसार निषेध है । व्यक्तिगत विधि और प्रथा विधि में अन्तर है । आप का कथन है कि जब तक प्रथा विधि का बन्धन नहीं होगा आप इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह नहीं कर सकते । इस प्रकार थोड़े से भाग्यहीन लोग ही, जिन के लिए प्रथा में कोई उपबन्ध नहीं है इस अधिनियम का लाभ उठा सकेंगे । मानो सरकार इन बेचारे विशेष लोगों के विवाह के उपबन्ध के हेतु प्रयत्न कर रही हो ।

अतः मैं इस संशोधन में कुछ तथ्य नहीं पाता हूं और यह अस्वीकृत होना चाहिए । यदि दो व्यक्तियों को उन के व्यक्तिगत विधि के अनुसार विवाह करने की अनुमति है तब श्री देशपांडे के संशोधन के अनुसार वह इस विधि के अनुसार विवाह न कर सकें । अपनी व्यक्तिगत विधि के अनुसार विवाह करने में किसी को कोई बन्धन नहीं है । इस उपबन्ध की शरण में आने के लिए आप को कोई बाध्य नहीं करता । यदि आप इस विधि के अनुसार कुछ ऐसी सुविधायें पा सकते हैं जो आप को व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हैं तो आप इस विधि के अनुसार विवाह करने का विकल्प कर सकते हैं । आयु के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता यदि आप आयु १८ वर्ष निश्चित करते हैं तो उन के माता पिता की अनुमति लेनी पड़ेगी अतः आयु यदि २१ वर्ष होगी तो माता पिता की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है । कल्पना कीजिये एक व्यक्ति अपनी पुत्री को उत्तराधिकार का सम्पूर्ण अंश देने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करता है पर हिन्दू विधि के अनुसार पुत्री को उत्तराधिकार का पूर्ण अंश नहीं दिया जा सकता । इस से उस को असंतोष होगा । अतः उसे इन उपबन्धों का लाभ क्यों न उठाने दिया जाय ? यह स्वेच्छा से लिया जा सकता कोई अनिवार्यता नहीं है ।

मुझ से प्रश्न किया गया था कि क्या यह स्पष्ट हो गया है कि क्या सभी व्यक्तिगत विधियों का निर्मूलन कर दिया जायेगा ?

मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि इस विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है । और मैं ने कल भी यह दोहराया है यह संविधान की धारा ४४ में दी गई बात की ओर एक कदम मात्र है । अभी हम उस दिन से बहुत दूर हैं जब कि समूचे भारतवर्ष में विवाह की एक सामान्य विधि होगी । अभी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं । हम तेजी से बढ़ रहे हैं । हो सकता है कि हमारी चाल धीमी हो किन्तु हम उस तेजी से बढ़ रहे हैं जो सावधानी की दृष्टि से उचित है ।

राज्य-सभा में सवाल उठाया गया था कि "हम हिन्दू विवाह तथा विच्छेद की नई विधि बना रहे हैं । किन्तु मुस्लिम समाज के बारे में क्या होगा ?" इस के जवाब में मैं ने कहा था : "शायद अब आगे हमें ऐसे विधेयक पर ही विचार करना होगा । किन्तु हम सब संप्रदायों के लिए विवाह के

नये विधेयक एक साथ ही तो नहीं बना सकते हैं।" हमें अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। हम सब जानते हैं कि हिन्दू कोड बिल का क्या हाल रहा। परन्तु यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि अन्य संप्रदायों के लिए विवाह विधि बनाने की बात को हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। (**अन्तर्बाधा**)

मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि वह कुछ संयम से काम लें। हम यथासमय इस काम को पूरा करेंगे। हम उस प्रकार की चर्चा दुबारा नहीं छेड़ना चाहते जैसी कि हिन्दू कोड के बारे में हुई थी। फिर उन संप्रदायों के व्यक्तियों से तथा दलों आदि से परामर्श भी किया जाना चाहिये। हमें अपने बहुमत के आधार पर उन पर कोई चीज़ लादनी नहीं चाहिये। किसी संप्रदाय पर सामाजिक विधान लादा नहीं जाना चाहिये। हमें चाहिये कि उन्हें समझा बुझा कर अपने साथ ले चलें। हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम यह नहीं कह सकते कि एकबारगी हम सारी व्यक्तिगत विधियां समाप्त करेंगे। यह कायम रहेंगी, और जब तक कायम रहेंगी तब तक प्रभावी भी रहेंगी। अतः यह विधेयक केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी कि स्वयं अपनी कोई व्यक्तिगत विधि नहीं है। यदि उन की कोई व्यक्तिगत विधियां हैं तो उन के अनुसार वह विवाह कर सकते हैं। यह विधेयक केवल एक शक्तिदायक उपाय है। बस, मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री एस० एस० मोरे : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। श्री देशपांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन अनाकलनीय है। अतः प्रक्रिया नियमों के नियम संख्या ११७ (३) के अनुसार अस्वीकार्य है।

सभापति महोदय : इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय द्वारा श्री देशपांडे का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा उक्त संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन (डिंडीगल) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ ३ में पंक्ति ५ के स्थान पर "कोई भी विवाहेच्छु पक्ष विकृतचित्त प्रमाणित न किया गया हो" रखा जाय।

मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री यदि संभव हो तो मेरा संशोधन स्वीकृत कर लें। साधारण लोग तो आसानी से किसी को बावला (इडियट) कह देते हैं। जो अधिक चतुर या बुद्धिमान नहीं है उसे भी बावला कहा जाता है। 'बावला' शब्द का अर्थ आम तौर पर विकृतचित्त नहीं किया जाता। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं ने अपना संशोधन रखा है।

डा० जयसूर्य तथा श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी द्वारा इसी आशय के संशोधन प्रस्तुत किये गये।

सभापति महोदय संशोधन प्रस्तुत हुए।

श्री टेक चन्द : यद्यपि मेरा संशोधन परिचालित नहीं हुआ है, फिर भी मुझे अपनी बात कहने दी जाय। मेरा निवेदन यह है कि यहां पर 'उन्मत्त' शब्द का प्रयोग बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 'उन्माद' मानसविकृति या चित्तभ्रम का ही एक प्रकार है। बावलापन भी इसी का एक प्रकार है। भारतीय उन्माद अधिनियम, १९१२, की धारा ३(५) में इस की सब से अच्छी व्याख्या दी हुई है। उस

[श्री टेक चन्द]

में 'बावला या विकृत चित्त वाला व्यक्ति' शब्दों का प्रयोग किया गया है। 'विकृत चित्त' शब्द अस्पष्ट नहीं है; उस के निश्चित अर्थ हैं। अतः मैं यह समझता हूं कि यहां पर 'उन्मत्त' शब्द के स्थान पर 'बावला या विकृतचित्त वाला व्यक्ति' शब्द रखे जायें तो ठीक होगा।

बावलापन और उन्माद दोनों ही मानस विकृति की दो किस्में हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बावला या उन्मत्त न हो फिर भी वह विकृत चित्तवाला हो। इस बात को देखते हुए मैं समझता हूं कि यहां पर भी बिलकुल वही शब्द रखे जायें जो कि भारतीय उन्माद अधिनियम में रखे गये हैं।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा संशोधन भी बहुत कुछ ऐसा ही है। विवाह के लिये सहमति अत्यन्त आवश्यक है, और इस के लिये यह आवश्यक है कि दोनों विवाहेच्छु पक्ष स्वस्थ चित्त वाले हों। अल्पमति वाले व्यक्तियों में भला बुरा समझने की शक्ति का सदैव अभाव होता है और इस प्रकार वे अपनी सहमति देने के अयोग्य होते हैं। इस विधेयक के उपबन्धों को बावलेपन और उन्माद (पागलपन) के मामलों तक ही सीमित रखा गया है। इन दोनों शब्दों के अन्तर्गत विकृतचित्त के सभी प्रकार नहीं आते। 'विकृत चित्त' शब्द के अन्तर्गत इस प्रकार के सभी मामले आ जायेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि 'बावला या उन्मत्त' शब्दों के स्थान पर 'विकृत चित्त वाला' शब्द रखे जायें। इंगलैण्ड की विधि में भी ऐसा ही है और मेरे विचार से यही अधिक उचित भी है।

सभापति महोदय : श्री एन० सी० चटर्जी।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं भी इस पक्ष में हूं कि श्री टेक चन्द का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। इस विधि का सम्बन्ध उन्हीं व्यक्तियों से है, जो विकृत चित्त वाले हैं। यह मुख्य चीज है। यद्यपि मानसिक विकृति के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, फिर भी मेरे विचार से 'बावला' शब्द का रखा जाना आवश्यक है। यदि इस शब्द को निकाल दिया गया तो बाद में यह तर्क किया जा सकता है कि चूंकि काफी सोच विचार करने के बाद संसद् ने इस शब्द को नहीं रखा, इसलिये इस का अर्थ यह होता है कि एक 'बावला' व्यक्ति विवाह कर सकता है। इस से बहुत गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अतः मेरे विचार से 'बावला' शब्द अवश्य रहना चाहिये।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं भी यह समझती हूं कि 'बावला' शब्द रहना चाहिये। हम ने प्रवर समिति में इस पर विचार किया था, और माननीय विधि मंत्री ने एक उद्धरण देते हुए बताया था 'बावला' वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के प्रति निर्देश करता है जिन में जन्मजात मूढ़ता के फलस्वरूप सहमति देने योग्य समझदारी नहीं होती। अतः इस शब्द को रखा जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि हम यह रखते हैं कि "किसी भी विवाहेच्छु पक्ष को विकृत चित्त वाला नहीं प्रमाणित किया गया है", तो ऐसे मामले में क्या होगा जिस में एक विकृत चित्त वाले पुरुष या स्त्री का विवाह हो जाता है, परन्तु उसे विकृत चित्त वाला प्रमाणित न किया गया हो। मान लीजिये स्त्री उस विवाह को रद्द करवाना चाहती है। ऐसी दशा में क्या होगा? मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहती हूं।

डा० जयसूर्य : विकृत चित्त होने के प्रमाणपत्र का सुझाव हम ने इसलिये दिया था क्योंकि स्वस्थ मनस्कता और विकृत मनस्कता या चातुर्य और मूढ़ता के बीच अन्तर बहुत नाजुक और बहुत व्यापक हैं। अतः जब आप

"विकृत चित्त वाला प्रमाणित किया गया" शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप समाज के ऊपर एक उत्तरदायित्व लादते हैं । क्यों कि दुश्मनी के कारण आप किसी भी व्यक्ति को विकृत चित्त वाला घोषित कर सकते हैं । ऐसे मामले होते हैं । अतः हम किसी भी व्यक्ति की स्वस्थ मनस्कता के सम्बन्ध में यह जानना चाहते हैं कि वह अपसामान्य (एबनार्मल) है या अवसामान्य (सब-नार्मल) । वस्तुतः 'बावला' शब्द 'अव-सामान्य' है । हमें यहां पर बहुत सतर्क रहना है क्योंकि न तो अपसामान्य व्यक्ति और न ही अवसामान्य व्यक्ति उत्तरदायित्व को स्वीकार कर सकता है । मैं तो यह समझता हूं कि हमें इस विषय पर सुजननशास्त्र और डाक्टरी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये ।

ऐसा भी संभव है कि विवाह होने के समय किसी व्यक्ति की मानसिक विकृति का पता न चल सके और बाद में वह सामने आये । उदाहरण के लिये अत्यधिक ईर्ष्या एक प्रकार की मानस विकृति है । मूढ़ता या अल्पमतित्व की अपेक्षा यह चीज़ किसी भी स्त्री के जीवन को अधिक कष्टप्रद बना सकती है । इन चीज़ों पर हमें विचार करना है । डाक्टरी एवं मानसोपचार के दृष्टिकोण से मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री वकटरामन् : हम लोग 'बावला' शब्द की परिभाषा और तत्संबन्धी न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों से परिचित हैं । उन को ध्यान में रखते हुये, मेरा निवेदन है कि इस शब्द को रखना उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि उस का न रखना । इस सम्बन्ध में मैं श्री चटर्जी के विचारों से सहमत हूं । अतः मेरे विचार से इस खंड को ज्यों का त्यों रखा जाना चाहियें ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं समझता हूं कि यदि इस खंड को नकारात्मक रूप में न रख कर निम्न रूप में रखा जाय तो सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा । खंड इस प्रकार होना चाहिये :

"यह प्रमाणित होना चाहिये कि दोनों पक्ष स्वस्थ चित्त वाले हैं;"

श्री बिस्वास : तब तो बहुत कम विवाह होंगे ।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है ?

श्री बिस्वास : ये शब्द भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम से लिये गये हैं । अन्य विवाह सम्बन्धी विधियों में ऐसे शब्द आते हैं । यह सुझाव दिया गया है कि यह प्रमाणित होना चाहिये कि विवाह करने वाला व्यक्ति विकृत चित्त वाला है । परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि इस देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस से हम यह मालूम कर सकें कि कोई व्यक्ति स्वस्थ मनस्कता के आधार पर विबाह करने के योग्य है या नहीं। (**अन्तर्बाधा**)।

विवाह-विच्छेद सम्बन्धी खंड में हम ने यह उपबन्धित किया है कि यदि विवाहित पक्षों में से कोई पक्ष लगातार एक निश्चित काल तक विकृत चित्त वाला रहता है, तो यह विवाह-विच्छेद के लिये उचित कारण होगा । ये शब्द हिन्दू विधि में दाय विधि के सम्बन्ध में आते हैं, और इसलिये इन का प्रयोग इस विधेयक में किया गया है । अब इन का अपना एक विशेष महत्व हो गया है । अतः मैं समझता हूं कि इन को बदलने से कोई लाभ नहीं होगा । उन्माद अधिनयम में इस की परिभाषा दूसरे शब्दों में की गई है । परन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि यहां भी वही परिभाषा रखी जाय । यहां पर तो सहमति से विवाह का प्रश्न है विवाहेच्छुक पक्षों के लिये यह पता लगाना कठिन नहीं होना चाहिये कि दूसरा पक्ष जन्मतः बावला या पागल है या नहीं । यदि कोई सन्देह हो, तो इस विवाह के लिये कोई जबरदस्ती नहीं है ।

[श्री बिस्वास]

पक्षों को एक अग्रेतर अधिकार यह भी दिया गया है कि यदि उन में से कोई भी एक निश्चित समय से अधिक काल तक लगातार पागल या बावला रहे, तो वे उस विवाह को समाप्त करवा सकते हैं । इन सब बचावों को देखते हुए, इन शब्दों को बदलना व्यर्थ है ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : क्या बावलेपन या पागलपन का पता लगाने की कोई व्यवस्था है ?

श्री बिस्वास : किसी व्यक्ति को पागलखाने भेजने के लिये पहले उस को परीक्षण के अधीन रखा जाता है, तब यह मालूम होता है कि वह पागलखाने भेजने के योग्य व्यक्ति है या नहीं । परन्तु यहां पर तो विवाह का प्रश्न है—पागलखाने भेजने का नहीं । अतः यह तरीका यहां पर नहीं लागू हो सकता है ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन के लिये आग्रह करते हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा संशोधन मतदान के लिये रखा जाये ।

डा० जयसूर्य : उन्हों ने जो कानूनी परिभाषा दी उस को मैं स्वीकार करता हूं और अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

सदन की अनुमति से डा० जयसूर्य का संशोधन वापस लिया गया ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : मैं अपने संशोधन के लिये आग्रह नहीं करती हूं ।

सभापति महोदय द्वारा श्री गुरुपादस्वामी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : क्या श्री वी० पी० सिन्हा अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री वी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमुई) : सभापति जी, मैं अपने संशोधन नम्बर २८ को मूव करता हूं जो इस प्रकार है :

पृष्ठ ३, पंक्ति ५ में—

" an idiot or " (एक बावला या) शब्द निकाल दिये जायें ।

मेरा संशोधन यह है कि इस में से 'ईडियट' शब्द निकाल दिया जाये क्योंकि 'ईडियट' की परिभाषा इस बिल में नहीं दी हुई है, इसलिये 'ईडियट' शब्द का साधारण अर्थ ही लिया जायेगा जो कि 'मूर्ख' होता है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ५ में " Lunatic " (उन्मत्त) के पश्चात् "or is impotent or is a leper or is suffering from venereal diseases" (अथवा नपुंसक हो या कोढ़ी हो या गुप्त रोग से पीड़ित हो) शब्द रखे जायें ।

मैं यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि बाद में मुकदमेबाज़ी, लड़ाई झगड़े तथा अन्य बुरे परिणाम न हों । जब कि हम विवाह के लिये एक आदर्श विधि बना रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि विवाह करते समय दोनों में से कोई भी पक्ष इन निर्योग्यताओं से पीड़ित न हो । ऐसा उपबन्ध करने से विवाह के उपरान्त होने वाली बहुत सी मुकदमेबाज़ी न होगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय विधि मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

पृष्ठ ३, पंक्ति ५ में "Lunatic" ("पागल") के पश्चात् "or is impotent or is a leper or is suffering from venereal diseases" ("अथवा नपुंसक हो अथवा कुष्ट रोगी हो अथवा गुप्त रोगों से पीड़ित हो") निविष्ट किया जाये ।

श्री बिस्वास : यदि चर्चा करने का विचार न हो, तो मैं अपनी बात कहूं। संशोधन केवल इसी कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विवाह से पूर्व इस बात का कौन पता लगायेगा कि दोनों में से कोई नपुंसक है या नहीं। यह तो विवाह के पश्चात् जब स्त्री पुरुष कुछ समय एक साथ रहते हैं तभी एक दूसरे को पता चल सकता है कि किसी में यह त्रुटि है। और फिर इसे विवाह भंग करने न्यायिक विवाह-विच्छेद का आधार भी बनाया जा सकता है। परन्तु यदि विवाह से पूर्व कोई व्यक्ति आप को ले जा कर डाक्टर से आप की शारीरिक परीक्षा कराये, तो डाक्टर कैसे जान सकेगा कि आप में यह त्रुटि है। आप के पास कौन सा साधन है जिस से यह प्रयोग किया जा सके कि आप पुंसक हैं अथवा नपुंसक ? यह बिल्कुल अव्यवहार्य है।

गुप्त रोगों के बारे में भी बिना स्वास्थ्य परीक्षा करवाये कैसे पता चल सकता है ? इस अधिनियम के अधीन यदि एक व्यक्ति विवाह करता है और स्वास्थ्य परीक्षा कराना स्वीकार करता है तो वह दूसरे पक्ष को बता देगा कि "मुझे अमुक गुप्त रोग है"। वह इस सच को नहीं छिपायेगा, परन्तु केवल यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये कि उसे कोई गुप्त रोग नहीं है वह स्वास्थ्य परीक्षा कराना स्वीकार नहीं करेगा कोई रोग की अवस्था भी तो नहीं जान सकता। मैं इस विषय में अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता। पैनिसिलीन और सल्फा औषधियों इत्यादि से आप चाहे स्थायी तौर पर इस के चिह्नों को न मिटा सकें, परन्तु कुछ समय के लिये आप अच्छे-भले दिखाई दे सकते हैं। अतः यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है कि विवाह से पूर्व किसी चिकित्सक से यह प्रमाण-पत्र लिया जाये कि सम्बन्धित व्यक्ति को कोई गुप्त-रोग नहीं है अथवा उस में कोई त्रुटियां नहीं हैं। ऐसे प्रमाण-पत्र का क्या मूल्य है ? क्या आप ये जितने चाहें नहीं ले सकते हैं ? मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

डा० जयसूर्य : मुझे खेद है कि मैं माननीय मंत्री के साथ सहमत नहीं हूं। जर्मनी में विधि के अधीन विवाह से पूर्व किसी सरकारी संस्था से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है। जहां वे विवाह पर और व्यय करते हैं वहां क्या वे स्वास्थ्य परीक्षा पर १० रु० या १५ रु० व्यय नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ऐसे तरीके हैं जिन से पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को कौन-सा रोग है।

नपुंसकता के विषय में मैं माननीय मंत्री के साथ सहमत हूं कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं इस का प्रमाण न देदे उसे नपुंसक घोषित नहीं किया जा सकता।

श्री एस० एस० मोरे : तो इस का अर्थ यह है कि चिकित्सा विज्ञान नपुंसक है।

डा० जयसूर्य : कई बातों का विचार करना होता है। भारत में छोटी आयु में ही विवाह हो जाता है जब कि उन्हें कोई अनुभव नहीं होता और उनसे आशा भी नहीं की जाती है कि विवाह से पूर्व उन्हें कुछ भी पता न हो। वास्तव में किसी के नपुंसक होने का निश्चय करना कठिन है जिस की चर्चा हम बाद में करेंगे।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

श्री वी० मिश्र (गया उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में पंक्ति ६ के स्थान पर यह रखा जाये—

"(c) the parties have completed the age of

twenty-one years and the difference of age between the parties does not exceed fifteen years;"

["(ग) दोनों इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और दोनों की आयु में १५ वर्ष से अधिक अन्तर न हो।"]

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं सुझाव देता हूं कि आयु सम्बन्धी सारे संशोधनों पर एक साथ चर्चा की जाये।

सभापति महोदय : आयु की सीमा निश्चित करने वाले सब संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसारावपेट): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के स्थान पर यह रखा जाये —

"(c) the male has completed the age of twenty-one and the female the age of eighteen;"

["(ग) पुरुष की आयु २१ वर्ष की पूरी हो चुकी हो और स्त्री ने १८ वर्ष की आयु"]

डा० रामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के स्थान पर यह रखा जाये—

"(c) the parties have completed the age of eighteen years :

Provided that if the man has not completed the age of twenty-one years, he shall have obtained the consent of his guardian."

["(ग) दोनों की १८ वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो :

परन्तु यदि पुरुष की आयु पूरी २१ वर्ष की न हुई हो, तो वह अपने संरक्षक की अनुमति ले चुका हो;"]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के स्थान पर यह रखा जाये—

"(c) the woman has completed the age of eighteen years and the man the age of twenty-one years ;"

["(ग) स्त्री की आयु १८ वर्ष की पूरी हो चुकी हो और पुरुष की आयु २१ वर्ष की;"]

डा०जयसूर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के स्थान पर यह रखा जाये—

"(c) the parties have completed the age of eighteen years :

Provided that the bridegroom shall obtain the consent of his parents or guardian if he is below the age of twenty-one years."

["(ग) दोनों १८ वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों;

परन्तु यदि वर की आय २१ वर्ष की न हो, तो वह अपने माता पिता या संरक्षक की स्वीकृति लेगा।"]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(c) the man has completed the age of twenty-one years and the woman the age of eighteen years;"

["(ग) पुरुष की आयु २१ वर्ष की पूरी हो गई हो और स्त्री की आयु अठारह वर्ष की;"]

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के स्थान पर यह रखा जाये—

"(c) the parties have completed the age of twenty-one years, or in the case of a boy who has completed eighteen years but not completed twenty-one years, and in the case of a girl who has completed fifteen years and not completed twenty-one years, the consent of the father, if alive, or if the father be dead, the guardian of such person, in case there be no such person the consent of the mother of such boy or girl, has been given to the marriage ;"

["(ग) दोनों की आयु २१ वर्ष की पूरी हो गई हो, अथवा ऐसे लड़के के मामले में जिस की आयु १८ वर्ष की पूरी हो गई हो, परन्तु २१ वर्ष की पूरी न हुई हो, और ऐसी लड़की के मामले में जिस की आयु १५ वर्ष की पूरी हो गई हो और २१ वर्ष की पूरी न हुई हो, तो यदि पिता जीवित हो, तो पिता की अनुमति और यदि पिता मृत हो, तो ऐसे व्यक्ति के संरक्षक की अनुमति, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो, तो विवाह के लिये ऐसे लड़के अथवा लड़की की मां की अनुमति मिल गई हो;"]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के स्थान पर यह रखा जाये—

"(c) the parties have completed the age of twenty-one years and the difference of age between the parties does not exceed fifteen-years;"

["(ग) दोनों की आयु २१ वर्ष की पूरी हो चुकी हो और उन की आयु में १५ वर्ष से अधिक का अन्तर न हो;"]

श्री वेंकटारमन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ६ में, "twenty one years" ("२१ वर्ष") के स्थान पर "eighteen years" ("१८ वर्ष") रखा जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ६ में, "twenty one years" ("२१ वर्ष") के स्थान पर "twenty five years" ("२५ वर्ष") रखा जाये ।

श्री बी० पी० सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ६ के अन्त में "in case of males and eighteen years in case of females" ("पुरुषों की और स्त्रियों की १८ वर्ष") जोड़ा जाये ।

श्री वेंकटारमन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये--

"(cc) each party, if he or she has not completed the age of twenty-one years, has obtained the consent of his or her guardian if any to the marriage :

Provided that no such consent shall be required in the case of widow, widower or divorcee."

["(गग) दोनों में से यदि किसी की आयु २१ वर्ष की पूरी न हुई हो, तो उस ने विवाह के लिए अपने किसी संरक्षक की, यदि कोई हो तो, अनुमति प्राप्त कर ली हो :

परन्तु विधवा, विधुर या वह व्यक्ति जिस का विवाह-विच्छेद हुआ हो उसे ऐसी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ।"]

श्री सी० आर० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति ७ और ८ में "relationship" ("सम्बन्ध") के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये--

"unless the law or any custom or usage having the force of law, governing each of them permits of a marriage between the two."

("जब तक उन में से प्रत्येक पर लागू होने वाली विधि, या किसी रूढ़ि या प्रथा जिस में विधि की सी शक्ति हो, दोनों के आपस में विवाह की अनुज्ञा न दे)

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री वी० मिश्र : सभापति जी, मुझे अपने संशोधन नंबर ६० के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है, इसलिए कि वह संशोधन बहुत ही सादा है और किसी पक्ष के खिलाफ नहीं जाता है । खास तौर से कानून मंत्री के भी खिलाफ नहीं पड़ता है । जो विधेयक का उद्देश्य है उस के खिलाफ भी नहीं है । और इस से कोई ऐसी बात उपस्थित नहीं होती कि जिस से यह किसी खास तरह की राय रखने वालों के खिलाफ पड़े । इस विधेयक में पहले से २१ साल उम्र दी हुई है । मैं उस के पक्ष में हूं । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के अनुसार २१ साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए । बहुत से संशोधन इस पक्ष में हैं कि १८ साल उम्र कर दी जाय । पर मुझे इस विशेष विवाह के लिए १८ साल की उम्र कम मालूम होती है, इसलिए कि हमारा ख्याल है कि १८ या १९ वर्ष तक लोगों की समझदारी बड़ी गड़बड़ रहती है और वह शादी इस उम्र पर समझदारी के साथ नहीं हो सकती । इस बीस साल के बाद ही ऐसी शादी होनी चाहिए ।

साथ ही इस संशोधन का यह अर्थ है कि हम अनमेल विवाह पसंद नहीं करते हैं । वैसे मैं इस संशोधन को न भी देता, लेकिन खासकर इसलिए मुझे यह संशोधन देना पड़ा कि इस विधेयक में वर्जित डिग्री की विचित्र कल्पना

की गयी है। इस में नानो की मां से या दादा के बाप से शादी करने की कल्पना की गयी है। जब ऐसी कल्पनायें की जा रही हैं तो उन के लिए कोई न कोई उपाय निकालना जरूरी है। इसलिए मैं ने यह रखा है कि आप इस बिल में सिर्फ इतना जोड़ लीजिये कि जो शादी २० साल की उम्र के बाद होगी उन के बीच में उम्र का फर्क १५ साल से ज्यादा न हो। इस से बिल भी अपनी जगह पर रहेगा और इस में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा और इस से वह सारी बातें बेकार हो जायेंगी। इस में जो शंका नानी की मां से या दादा के बाप से शादी करने की की गयी है इस संशोधन से वह दूर हो जायगी। इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से यह समस्या हल हो जायगी। इतना निवेदन करते हुए मैं मंत्री जी से कहता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। इस से यह विधेयक जैसा है वैसा ही रहेगा और उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

डा० रामा राव: इन युवक तथा युवतियों की आयु-सीमा के निर्धारण के बारे में हमें कई पहलुओं पर विचार करना चाहिये। मैं बिना शर्त १८ वर्ष की आयु-सीमा रखने के पक्ष में हूं। जो व्यक्ति वयस्क हो जाय वह सभी प्रकार का संविदा कर सकता है। तब व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि कोई १९ या २० वर्ष की लड़की विवाह करना चाहे तो उस पर हम क्यों प्रतिबन्ध लगायें। क्या सरकार इस विधि के अधीन विवाह करने वालों पर यथासंभव अधिकाधिक प्रतिबंध लगाना चाहती है? सरकार को प्रतिबन्ध-हीन १८ वर्ष की सीमा पर क्यों आपत्ति है? एक २० वर्ष की युवति को अपने माता अथवा पिता की अनुमति की क्या आवश्यकता है विशेषत: जब वह दूसरी जाति या दूसरे धर्म में विवाह कर रही हो, जिस के सम्बन्ध में माता पिता का विरोध संभव है। उन्हें इस आयु में विवाह के लिए स्वविवेक और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये।

हमारी शिक्षित लड़कियों के लिए विवाह एक समस्या बन रही है क्योंकि एक विशेष आयु के पश्चात् उपयुक्त पति पाने के अवसर कम हो जाते हैं।

हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि इन युवक तथा युवतियों को उन की इच्छा के अनुसार विवाह के लिए सुविधाएं दी जाएं। अतएव माता-पिता या संरक्षक से अनुमति मांगने का प्रतिबन्ध लगाना सर्वथा निरर्थक है।

सभा से मेरी प्रार्थना है कि वह मेरे संशोधन पर विचार करे और आयु-सीमा घटा कर बिना शर्त १८ वर्ष कर दी जाये।

कुछ लोग अत्यधिक सुधारवादी हैं। वे आयु-सीमा बढ़ाना चाहते हैं। हम बाल-विवाह के विरुद्ध हैं, हमें इस के विपरीत दूसरी अन्तिम सीमा को भी नहीं अपनाना चाहिये जिस से विवाह असंभव हो जाये। अत: अत्यधिक सुधारवादियों से मेरी प्रार्थना है कि वे अपने लड़कों और लड़कियों के लिए इतनी कठिनाई पैदा न करें जिस से वे इस विवेकपूर्ण विधान से लाभ न उठा सकें।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है यह विधि वैज्ञानिक बातों पर आधारित समझी जाती है। यह विधि शिक्षित, प्रगतिशील और आधुनिक सभ्यता के लोगों पर और ऐसे विवाहों पर लागू होगी जो विवाह माता-पिता के आदेश पर नहीं किये जायेंगे। जहां तक मैं समझ सका हूं विशेष विवाह विधेयक का यही उद्देश्य है कि जाति, धर्म और अन्य किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न रहे। यदि दो व्यक्तियों को सभी प्रकार की अर्थात् माता-पिता सम्बन्धी, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों का ध्यान न रख कर विवाह करना है, तब तो मेरा यह निवेदन है कि २१ वर्ष की आयु भी बहुत बड़ी नहीं है। यदि आप अवयस्क और किशोर अवस्था के लड़के लड़कियों को इस प्रकार का विवाह करने देंगे तो केवल विवाह-

विच्छेद ही में वृद्धि होगी। आजकल १८ वर्ष की आयु में लड़के बच्चे ही होते हैं, और शिक्षा-क्रम इतना विस्तृत होता है कि हमें भले और बुरे का ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो पाता।

अतएव मेरी सभा से यह सिफारिश है कि वे २१ वर्ष की आयु-सीमा को जो पहले ही कम है, रहने दें। इस से संरक्षता आदि का प्रश्न भी नहीं रहेगा।

श्री वेंकटरामन : इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि यथासंभव अधिकाधिक लोग इस के अधीन आ जायें, क्योंकि हम चाहते हैं कि विवाह के सम्बन्ध में एक-रूप नागरिक संहिता लागू हो और यह एक के बाद दूसरा प्रतिबन्ध लगाने से नहीं हो सकता।

इस देश में एक नारी के लिए २१ वर्ष तक प्रतीक्षा करना बहुत कठिन होगा। यदि वह हिन्दू विधि के अधीन १६ वर्ष की आयु में विवाह कर सकती है, तो उसे इस विधि के अधीन विवाह का लाभ प्राप्त करने के लिए २१ वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है ?

इस देश में यह माना जाता है कि १८ वर्ष की आयु में कोई भी व्यक्ति परिपक्व हो जाता है और वह विधि के अनुसार अपनी सम्पत्ति को बेच या दे सकता है और अपनी इच्छानुसार निश्चय कर सकता है। तब केवल विवाह के मामले ही में उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाये और क्यों उसे २१ वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाये। मैं इस बात से सर्वथा सहमत हूं कि इन मामलों में परामर्श और पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता है। इसी लिए मैं ने संशोधन ६२ और २९५ प्रस्तुत किये हैं। संशोधन २९५ में १८ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिये संरक्षक की अनुमति प्राप्त करने का उपबन्ध किया गया है। इस से १८ वर्ष से २१ वर्ष तक की आयु में काफी बचाव का विधान हो जाता है।

अतएव मेरा निवेदन है कि यदि इन दोनों संशोधनों को इकट्ठे ले लिया जाये तो पर्याप्त सीमा तक आचार्य कृपालानी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण हो जाता है।

संरक्षक शब्द पर चर्चा में कुछ उलझन रही है। मैं इसे यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम यहां संरक्षता की विधि नहीं बना रहे हैं। हम कह सकते हैं कि विवाह की अनुमति देने के लिए अमुक् अमुक् व्यक्ति संरक्षक होगा, वह केवल इस कृत्य के लिये संरक्षक है, न कि सम्पत्ति आदि का संरक्षक। मैं ने परिभाषा की धारा में यह खण्ड रखा है कि पिता संरक्षक होगा और यदि पिता न हो, तो माता और माता के न होने पर न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति संरक्षक होगा।

सभा को केवल एक ही प्रश्न की ओर ध्यान देना है और वह यह है कि क्या इस विधि के अधीन लड़कियों को तब तक विवाह करने से रोकना ठीक है जब तक वे २१ वर्ष की न हो जायें। इस विषय पर अलग अलग मत होंगे। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि २१ वर्ष से कम आयु के पुरुषों और स्त्रियों को यदि वे अनुमति प्राप्त कर लें इस अधिनियम के अधीन विवाह करने से नहीं रोकना चाहिये।

इस सम्बन्ध में दूसरे दृष्टिकोण को भी मैं समझ सकता हूं और मैं तो इस बात से सहमत हूं कि एक वयस्क और स्वतन्त्र व्यक्ति के लिए अनुमति प्राप्त करना सर्वथा निरर्थक है। परन्तु हम सारे देश और सब सदस्यों को इस पर सहमत नहीं कर सकते। अतएव विभिन्न मतों में कुछ समझौते की आवश्यकता थी और इसलिए १८ वर्ष से २१ वर्ष तक की आयु में कुछ पथ-प्रदर्शन के लिए सुझाव दिया गया है। यदि इन दोनों संशोधन को इकट्ठे

ले लिया जाये तो इस से विधि तथा प्रथा में बहुत प्रगति होगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ने एक ऐसा मामला देखा है जिस में विमाता २२ वर्ष की, सौतेला पुत्र ३५ वर्ष का और पिता ६० वर्ष का है । यहां दम्पत्ति की आयु में बहुत बड़ा अन्तर है । यह विचार करना कितना भयानक और अमानुषिक है कि सौतेले पुत्र की आयु इतनी है कि वह २२ वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है । प्रजनन शास्त्र के नियमों के अनुसार दम्पत्ति की आयु में इतना अन्तर नहीं होना चाहिये । अतएव मैं ने अपने संशोधन में यह सुझाव रखा है कि पति पत्नी की आयु में १५ वर्ष से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : दोनों में कौन बड़ा होना चाहिये ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरे विचार में यह प्रश्न अधिक जटिल होता जा रहा है । सामान्यतः यह समझा जाता है कि पति की आयु पत्नी से अधिक होनी चाहिये । यह सर्वथा अविचारणीय और अनुचित है कि ६०, ७० और ८० वर्ष के व्यक्ति को २० अथवा २१ वर्ष की लड़की से विवाह की अनुज्ञा दी जाय । इस से तो दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं होगा । ऐसी स्थिति का अन्त कर देना चाहिये । २१ वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करना ठीक है; परन्तु हमें पति-पत्नी की आयु में अन्तर की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर देनी चाहिये । यह अन्तर १५ वर्ष का ठीक रहेगा । यह प्रजनन शास्त्र के अच्छे नियमों के सर्वथा अनुकूल है । मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे माननीय मित्र इसे स्वीकार कर लें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : चैअरमैन साहब, मैं ने ऐमेन्डमेन्ट नम्बर २२७ मूव किया है । मेरी अदब से गुजारिश यह है कि हम को यह फैसला करना है कि लड़के और लड़की की मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिये । आम तौर पर जो ख्याल किया जाता है वह यह है कि मुनासिब एज क्या है । मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यहां सिर्फ सवाल मिनिमम एज का है । इसमें दो बातें गौर करने के काबिल हैं । पहले तो फिजिकल मैच्योरिटी (maturity) की बात और दूसरी बात यह कि उस के अन्दर इतनी समझ और इतनी ताकत आ गई है कि वह अपना भला बुरा समझ सके । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक फिजिकल मैच्योरिटी का सवाल है, १६ बरस की उम्र काफी ख्याल की गई है मैडिकल साइन्स की तरफ से । गवर्नमेन्ट ने एक एज आफ कन्सेन्ट कमेटी १९२८ में मुकर्रर की थी, जिस का मैं भी मेम्बर था । मैं ने सारे हिन्दुस्तान का दौरा किया और बहुत से डाक्टरों की राय ली । सब डाक्टरों की राय यह थी कि जो पाराशर व मनुस्मृति में एज थी वह ठीक थी । १३ बरस की उम्र में लड़की को मेन्सेज शुरू होते हैं । और मेन्सेज शुरू होने के तीन साल बाद तक लड़की की शादी नहीं होनी चाहिये । इस तरह से १६ बरस बनता था । मैडिकल साइन्स ने भी फैसला किया कि १६ बरस ही सही उम्र है । जहां तक फिजिकल मैच्योरिटी का सवाल है, वह भी १६ बरस में ठीक हो जाती है और यही उम्र मैजारिटी की हिन्दू ला में भी करार पाई गई थी जब तक कि इन्डियन मैजारिटी ला पास नहीं हुआ था । इसी तरह से मोहमडन ला में भी करार पाया गया था ।

मुझे अफसोस है कि मैं इस बात में अपने बुजुर्ग आचार्य कृपालानी से मुत्तफिक नहीं हूं कि यह एक्ट सिर्फ उन लोगों के लिये बना है जो महज मोहब्बत के लिये शादी करते हैं । अगर जनाब इस एक्ट का मुलाहजा फर्मायेंगे तो देखेंगे कि इस के अन्दर दूसरी शादियों के रजिस्ट्रेशन का कानून है । अगर एक शख्स ने हिन्दू ला के अन्दर, जिस में कि लड़की की

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उम्र १६ साल और लड़के की २१ साल की उम्र रखी है, शादी की हो तो वह भी अब इस में रजिस्ट्री करा सकता है। अब पिछली बात नहीं रही है। साथ ही दोनों हिन्दू हों तो भी शादी हो सकती है इस एक्ट के नीचे और दोनों मुसलमान हों तो भी शादी हो सकती है, जब यह बिल पास हो जायेगा। यह एक जनरल ला बन रहा है जिस को कि हम स्पेशल मैरेज ला कहते हैं। यह जनरल ला बन रहा है और सब के वास्ते है। इस लिये आप को सब से पहले यह देखना होगा कि आप ऐसी मिनिमम एज न रख दें जिस से कि आइन्दा बहुत से लड़के लड़कियां मुसीबत ख्याल करें और हम हमेशा लड़ाई किया करें।

आचार्य कृपालानी : यह तो सहमति से होगा। पारस्परिक सहमति से माता-पिता का कोई सम्बन्ध नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस से माता-पिता का सम्बन्ध है।

राज्य सभा ने जो अमेंडमेंट रखा है वह यह है कि लड़के या लड़की की उम्र २१ साल से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आज ला आफ दी लेंड है वह यह है कि पन्द्रह साल की उम्र की लड़की की शादी हो सकती है। सारे हिन्दुस्तान में शादी की उम्र शारदा एक्ट के मुताबिक १८ और १५ है। और यह इसलिए है कि आम तौर से हर मां बाप की यह ख्वाहिश होती है कि उन के सामने लड़की की शादी किसी अच्छे खानदान में हो जाये। आम तौर पर यह होता है।

श्री टेक चन्द : यह तो एरेंज्ड मैरिज होती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह एरेंज्ड मैरिज जरूर है, लेकिन मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या आम तौर से ऐसा नहीं होता है। मैं तो खुद इस राय का हूं कि १८ वर्ष की लड़की की शादी होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लड़की में शादी के पेश्तर पूरी तरह से फिजीकल और मेंटल मैच्योरिटी आ जाय और मैं समझता हूं कि १८ साल पर लड़की में यह मैच्योरिटी आ जाती है कि वह सोच सकती है कि.....

आचार्य कृपालानी : लड़के में तो नहीं आती।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसी लिए तो मेरा अमेंडमेंट है कि लड़के की उम्र २१ साल होनी चाहिए और लड़की की १८ साल होनी चाहिए। मैं ने इस किस्म का बिल १९४९ में हाउस में पेश किया था और अर्ज किया था कि लड़के की उम्र जो १८ साल की है वह बढ़ा दी जाय और लड़की की उम्र जो १४ साल थी वह बढ़ा दी जाय। बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने लड़की की उम्र को १४ से १५ वर्ष किया लेकिन लड़के के लिए हमारे गाडगील साहब ने जो उस वक्त गवर्नमेंट के स्पोक्समैन थे यह कहा जो हमारा एक रिक्रूट फौज में और नेवी में जाता है क्या वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मैं ने उन से पूछा कि क्या उस का कोई यह इम्तिहान भी होता है कि आया वह बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि किसी सूरत में भी लड़के की उम्र २१ साल से कम नहीं होनी चाहिए। मैं वेंकटरामन साहब के इस अमेंडमेंट से मुत्तफिक नहीं हूं कि लड़के की उम्र २१ साल से कम रखी जाय। हिन्दुस्तान में जब शारदा एक्ट बना था तो लड़की की उम्र का झगड़ा था लड़के की उम्र का झगड़ा नहीं था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक मजबूत कौम बने तो हमारा फर्ज है कि हम शादी के लिए लड़के की उम्र २१ साल से कम न रखें। लड़की की बात और है, क्योंकि लड़की और लड़के की साइकालाजी में फर्क है। इस को हिन्दुस्तान में सारे मजहब वाले मानते हैं और

इस बात को सब लोग जानते हैं कि लड़की जल्दी जवान हो जाती है और लड़का देर में जवान होता है । इसलिए मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि दोनों पाइंट्स आफ व्यू से यानी उस की फिजिकल मैच्योरिटी के ख्याल से और उस की मेंटल मैच्योरिटी के ख्याल से, लड़के के लिए मिनिमम एज २१ होनी चाहिए और लड़की की १८ होनी चाहिए । राज्य सभा ने रखा है कि दोनों की उम्र २१ साल की हो । तो मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि ऐसी हालत में वेंकटरामन साहब की जो तजवीज़ है गार्जिअन की वह माकूल ही है ।

कृपालानी साहब ने फरमाया था कि २१ वर्ष के लड़के और लड़कियां तो कालिज में पढ़ते हैं । लेकिन जहां तक लड़की का ताल्लुक है हर एक बाप १८ बरस की उम्र में यह चाहता है कि उस की शादी हो जाय । शायद ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसा न मानते हों । लेकिन जिन लोगों में मैं रहता हूं मैं जानता हूं कि उन को यह फिक्र है । जब से लड़की पैदा होती है तब से उन को यह फिक्र रहती है कि इस की शादी किसी अच्छे खानदान में हो जाय । और बहुत से आदमी ऐसे हैं जो इस बात से डरते हैं कि अगर लड़की १८ बरस से ज्यादा की हो जायगी तो कहीं उस का चाल-चलन खराब न हो जाय ।

आचार्य कृपालानी : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि ये व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह नहीं करेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर आप इस में यह कर दें जैसा कि मेरा अमेंडमेंट है कि यह बिल मुखतलिफ मज़हब वालों की शादी पर ही लागू होगा तो मैं कृपालानी साहब के साथ एग्री करूंगा । अगर आप मेरे अमेंडमेंट को कबूल करवा दें तो मैं उन से एग्री करूंगा । मैं कृपालानी साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपनी बात कहें । मतभेद हो सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बात यह है । उन्हों ने आपत्ति की थी । अतः मैं श्री कृपालानी से कहना चाहता था.....

सभापति महोदय : प्रत्येक के अपने अपने विचार हो सकते हैं । सभी को अपने विचार व्यक्त कर देने चाहियें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने एक अमेंडमेंट भेजा था जिस में यह लिखा है कि यह बिल उन्हीं लोगों को आप कनफाइन कर दें जो दूसरे रिलीजन्स में शादी करते हैं । अगर आप ऐसा कर दें तो ये जो लोग २१ और २५ और ३५ रखना चाहते हैं उन पर यह लागू हो । जो कि फ्रेश पास्चर्स एंड फील्ड्स एन्यू में यकीन करते हैं वे इस के मातहत शादी कर सकते हैं । मुझे कोई एतराज़ नहीं है । लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह बिल सब को कबूल हो और इस से वे लोग भी फायदा उठायें जो कि परसनल ला के मातहत शादी करते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप लड़के के लिए २१ साल रखें और लडकी के लिए १८ साल रखें । इस से ज्यादा लड़कियों के लिए रखना दुरुस्त नहीं होगा । मैं निहायत जोर से अर्ज़ करूंगा कि लड़की की उम्र २१ साल रखना बिल्कुल गलत है । आज कानून यह है कि एक १८ साल की लड़की अपनी सारी जायदाद किसी को दे सकती है । और आप ने क्या रखा है ? आप को मालूम है कि एज आफ कंसेंट क्या है । मैं ने कोशिश की थी कि आप इस को १५ से १६ कर दें और नान-मैरीटल में १८ कर दें, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो कि इस वक्त तशरीफ ले गये हैं आबजेक्ट किया । आज एज आफ कंसेंट तो १५ साल है और शादी की एज २१ साल रखी जाती है । इस से ज्यादा एबसर्ड बात और क्या हो सकती है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में सोशल पीस कायम रहे और लड़कियां बदनाम न हों, तो यह जरूरी है कि एज आफ कंसेंट और एज आफ मैरिज एक रखिये । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश के साथ अन्याय करेंगे । आप को यह भी सोचना है कि एज आफ कंसेंट क्या रखें । मुझे मालूम हुआ है कि जहां तक मैरिज का सवाल है जो दूसरा बिल, हिन्दू मैरिज और डाइवोर्स बिल, आने वाला है, उस की सिलेक्ट कमेटी में यह तजवीज़ किया गया है कि शादी के लिए लड़के की उम्र २१ साल हो और लड़की की १६ या १८ साल हो.....

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : १६ साल ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम को तो अपने साथ सारे मुल्क को ले चलना है और मैं समझता हूं कि सारे मुल्क के लिहाज से १६ साल की उम्र भी ठीक है लेकिन लड़के की उम्र २१ साल से कम नहीं होनी चाहिए । अगर वहां लड़के की उम्र २१ रखी गयी है तो क्या यह बिल उस के पीछे चलेगा । तो म यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस कानून के लिए लड़के की उम्र २१ साल से कम नहीं होनी चाहिए पर लड़की की १८ से ज्यादा रखने के लिए किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए । हां, अगर कोई इस से ज्यादा उम्र में शादी करना चाहे तो वह कर सकता है । मैं समझता हूं कि २१ और १८ की उम्र काफी है और इस उम्र में लड़का और लड़की अपना भला बुरा सोच सकते हैं । इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि जो अमेंडमेंट मैं ने रखा है वह सब से माकूल है और उस को मंजूर फरमाया जाय ।

सभापति महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है ।

सदस्य का त्यागपत्र

सभापति महोदय : मुझे माननीय सदस्य को यह सूचना देनी है कि श्री शिव नारायण टण्डन ने २७ अगस्त, १९५४ से लोक-सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है ।

विशेष विवाह विधेयक—जारी

श्री राघवाचारी : श्रीमान्, चर्चा के समय यह बताया गया था कि प्रवर समिति ने किसी अन्य विचाराधीन विधेयक के सम्बन्ध में अमुक् अमुक् निश्चय किये हैं । वक्ता ने यह कहा था और माननीय सदस्य श्री सहगल ने इस की पुष्टि की थी । क्या इस की आज्ञा है कि प्रवर समिति के विचाराधीन विषय पर सभा में इस प्रकार चर्चा की जाये अथवा उसे इस प्रकार प्रकाशित किया जाये ?

सभापति महोदय : मेरे विचार में इस प्रकार सामान्य उल्लेख की सर्वथा मनाही नहीं है । संयुक्त समिति में दिये गये किसी वक्तव्य को अक्षरशः बताते हुए तो मैं ने किसी को नहीं सुना । सामान्य उल्लेख में तो मुझे कोई हानि नहीं प्रतीत होती ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—341 LSD—28-12-54—000